



बीएड – 103

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Language across the Curriculum

पाठ्यक्रम में भाषा



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

संरक्षक	अध्यक्ष
प्रो. अशोक शर्मा कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रो. एल.आर. गुर्जर निदेशक (अकादमिक) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

** संयोजक	* संयोजक
डॉ. अनिल कुमार जैन सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डॉ. रजनी रंजन सिंह सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

प्रो. (डॉ.) एल.आर. गुर्जर निदेशक (अकादमिक) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रो. जे. के. जोशी निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
प्रो. दिव्य प्रभा नागर पूर्व कुलपति ज.रा. नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर	प्रो. दामीना चौधरी (सेवानिवृत्त) शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
प्रो. अनिल शुक्ला आचार्य शिक्षा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	डॉ. रजनी रंजन सिंह सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
डॉ. अनिल कुमार जैन सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डॉ. कीर्ति सिंह सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
डॉ. पतंजलि मिश्र सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	डॉ. अखिलेश कुमार सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

*डॉ. रजनी रंजन सिंह सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 13.06.2015 तक

**डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 14.06.2015 से निरन्तर

समन्वयक एवं सम्पादक

समन्वयक (बी.एड.)

डॉ. कीर्ति सिंह

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सम्पादक

डॉपतंजलि मिश्र .

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम लेखन

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | श्री संजय कुमार (इकाई सं.1)
सहायक आचार्य,
प्रारंभ शिक्षक शिक्षा विद्यापीठ
झझहरियाणा , | 2 | डॉ मीणामूलचन्द . (इकाई सं.2,3)
सहायक आचार्य
महाराणा प्रताप टी कोटा ,कालेज .टी. |
| 3 | डॉवी .ना यादव (इकाई सं.4,9)
सहायक आचार्य
महाराणा प्रताप टी कोटा ,कालेज .टी. | 4 | डॉपतंजलि मिश्र .
(इकाई सं.5,6,7,8,10,11,12)
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा |

आभार

प्रो विनय कुमार पाठक .

पूर्व कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. अशोक शर्मा

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. करण सिंह

निदेशक

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो .एल.आर .गुर्जर

निदेशक (अकादमिक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. सुबोध कुमार

अतिरिक्त निदेशक

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन 2015, ISBN : 978-81-8496-523 -0

इस सामग्री के किसी भी अंश को व.म.खु.वि.वि., कोटा, की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। व.म.खु.वि.वि., कोटा के लिए कुलसचिव, व.म.खु.वि.वि., कोटा (राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित ।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पेज न.
1	भाषा भाषायी कौशल और भाषा तथा ,अवयव ,प्रकार ,परिचय : साक्षरता में परस्परसंबंध	1
2	भाषा व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया :विद्यार्थियों की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाशिक्षण शास्त्र , विद्यार्थियों की अधिगम ,निर्णय में भाषा एक उपकरण के रूप में प्रकृति एवं भाषा	17
3	मौखिक व लिखित भाषा को कैसे समझे व उसका महत्व , अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया अन्य विषयों केसंदर्भ में	31
4	कक्षाकक्ष में भाषा विविधता को संबोधित करने का माध्यम व - बोध/कक्ष में बहुभाषिकता की सैद्धांतिक समझ-कक्षा ,साधन	45
5	मातृभाषा और विद्यालय भाषा तथा अध्यापन ,अधिगम प्रक्रिया- (विद्यालय भाषा बनाम मातृभाषा) गतिशील मानक भाष की शक्ति	62
6	न्यूनता या कमी का सिद्धांतनिरंतरता या गैर निरंतरता का सिद्धांत , एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया	71
7	कक्षा के संवाद की प्रकृति को समझनाविषय सम्बंधित क्षेत्र में , अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति	80
8	सीखने के उपकरण के रूप में परिचर्चाकक्ष में प्रश्नों का -कक्षा , प्रश्नों के प्रकार एवं शिक्षक का नियंत्रण ,स्वरूप	93
9	विषय वस्तु क्षेत्र में पठन अवबोध(सूचनार्थ पठन) बोध की प्रकृति/, व्याख्यात्मक विषय वस्तु,संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु , हस्तांतरण विषय वस्तु व चिंतनपरक विषयवस्तु कीप्रकृति	103
10	स्कीमा सिद्धांत पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु का परीक्षण	118
11	पाठ्य पुस्तक पढने की रणनीति ,छात्रों द्वारा टिपण्णी लेखन , पढने एवं लिखने के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना ,सारांश लेखन	130
12	लिखने की प्रक्रिया, बच्चों के संप्रत्यय को समझने के लिए उनके लेखन का विश्लेषण करना सीखने एवं समझने के लिए तरीके एवं : माध्यम के रूप में उद्देश्यपरक लेखन	141



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठकों से आग्रह

प्रिय पाठकों,

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 एवं 2010 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुशंसाओं के क्रम में एनसीटीई द्वारा 2014 में तैयार किये गये पाठ्यक्रम की अनुपालना में विश्वविद्यालय ने अपनी विद्या परिषद् की स्वीकृति के पश्चात अन्तिम रूप में बने बी.एड. (ओडीएल) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष की स्व-अधिगम सामग्री (SLM) तैयार की है। यह पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सदस्यों और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अन्य शिक्षाविदों के अथक प्रयास से तैयार की गई है। यह एनसीटीई द्वारा 2014 में सुझाये गये नये पाठ्यक्रम के प्रकाश में किया गया प्रथम प्रयास है। आप प्रबुद्ध पाठक हैं। आपको इस SLM के किसी विषय, उप विषय, बिन्दु या किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ती है या इसके परिवर्द्धन हेतु आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो शिक्षा विद्यापीठ सहर्ष आपके सुझावों को अगले संस्करण में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। आप अपने सुझाव हमें निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, रावतभाटा रोड, कोटा - 324010 या मेल soe@vmou.ac.in पर भेजने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(डॉ. अनिल कुमार जैन)

निदेशक

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इकाई – 1

भाषा : परिचय, प्रकार, अवयव, भाषायी कौशल और भाषा तथा साक्षरता में परस्परसंबंध (Language : Introduction, types, components, linguistic skills and interrelationship between language and literacy)

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 भाषा : संप्रत्यय
- 1.4 परिभाषा
- 1.5 भाषा के प्रकार
- 1.6 भाषा के अवयव
- 1.7 भाषायी कौशल
- 1.8 साक्षरता : संप्रत्यय
- 1.9 भाषा तथा साक्षरता में परस्पर संबंध
- 1.10 सारांश
- 1.11 शब्दावाली
- 1.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.13 निबंधात्मक प्रश्न
- 1.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

1.1 प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रादुर्भाव भी हुआ। मन के विचारों को मूर्त रूप देने का सबसे सरल और सुलभ साधन भाषा है। यद्यपि पशुओं की भी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, परन्तु फिर भी उनका जीवन अत्यंत दयनीय होता है। मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता है, लेकिन वह अपनी विकसित बुद्धि और भाषा के आधार पर वह अन्य सभी पशुओं पर नियंत्रण और अधिकार करने में सक्षम है। प्रस्तुत इकाई में आप विभिन्न सामाजिक – राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा की समझ के साथ ही बच्चों के विभिन्न

वास्तविक परिस्थितियों जैसे- परिवार, विद्यालय, पड़ोस और समुदाय के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- भाषाका अर्थ समझ सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे।
- भाषा के प्रकारों के प्रति समझविकसित कर सकेंगे।
- भाषा के अवयवों को बता सकेंगे।
- भाषा के विभिन्न कौशलों को समझ सकेंगे।
- साक्षरता की अवधारणा के विषय में बता सकेंगे।
- भाषा तथा साक्षरता में परस्परसंबंधकी व्याख्या कर सकेंगे।

1.3 भाषा : संप्रत्यय (Language: Concept)

मानव सभ्यता के बढ़ते हुए संबलों के साथ ही भाषा का उद्भव भी हुआ। मानव मस्तिष्क में उत्पन्न विविध विचारों को मूर्त रूप देने का सबसे उन्नत और सुलभ साधन भाषा है। आप विभिन्न ध्वनियों अथवा संकेतों के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, परन्तु उनमें न स्पष्टता होती है और न ही भावों की प्रधानता। चिड़ियों के चहचहाने, कोयल के कूकने और बिजली के कड़कने को सुनकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, किन्तु उससे भाषा जैसा निश्चित अर्थ-बोध नहीं होता। भाषा के अर्थ-बोध का यह वरदान केवल मानव को ही प्राप्त हुआ है। मानव मस्तिष्क में विभिन्न संवेदनाओं से सम्बन्धित विशिष्ट केन्द्र होते हैं, जो निम्न कोटि के जन्तुओं में नहीं पाए जाते। ये विशिष्ट केन्द्र ध्वनि-यन्त्रों जैसे-तालु, नासिका, श्वास नलिका और कंठ आदि के कार्यों को संचालित और नियंत्रित करते हैं। ध्वनि-यन्त्रों से उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों का जब संयुग्मन होता है, तो भाषा का जन्म होता है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भावाभिव्यंजन का कार्य लिया जाता है। इस दृष्टिकोण से पशु-पक्षियों की बोली भी भाषा है, कोई संकेत भी भाषा है, चौराहे पर लगी विभिन्न रंगों की बत्तियाँ भी भाषा है और मानव जो बोलता है वह भी भाषा है। पशु-पक्षियों की भाषा का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का मत है कि उनकी भाषा में भी भाव और और अभिप्राय के अनुसार अन्तर हो जाया करता है। प्रसन्नता के समय उनकी भाषा वाही नहीं रहती जो दुःख या क्रोध के समय होती है। गाय, कुत्ते और अन्य पशु-पक्षियों की बोली को ध्यान से सुनने पर आप देखते हैं कि मनोदशा के अनुरूप उनकी ध्वनि में अन्तर प्रकट होता है। आप भी जब कभी अपना मत प्रकट करते हैं, तो अपने शरीर के अंगों का संचालन या विभिन्न मुद्राएँ भी भाषा के अन्तर्गत आता है। पलक झपक कर किसी को अपनी सहमति देना, किसी को बैठने या जाने का हाथ से अथवा सिर हिला कर संकेत करना आदि आपके दैनिक व्यवहार की भाषा है। श्रंगार रस के कवि बिहारी के नायक-नायिका तो नेत्रों के माध्यम से अपने सभी भाव एक-दूसरे के सम्मुख अभिव्यक्त कर देते हैं। हिन्दी के रीति कालीन कवि ने इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए सही कहा है-

कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सों
बात॥

इस प्रकार अर्थ-बोध के सभी साधन भाषा की सीमा में ही आते हैं। भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग ध्वनि-संकेतों की सहायता से भावों, विचारों या संवेगों की अभिव्यंजना के लिए ही होना चाहिए। पशु-पक्षियों की भाषा में यह अपूर्ण और अस्पष्ट रहती है। ध्वनि-संकेत की भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो आपके कथन को पूर्णता और स्पष्टता के साथ सम्प्रेषित कर सकती है।

1.3.1 परिभाषा (Definition)

‘भाषा’ शब्द संस्कृत की भाषधातु से उत्पन्न है जिसका तात्पर्य है ‘व्यक्त वाणी’। व्यक्त वाणी का अर्थ है स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना जो कि उच्चारित भाषा से ही सम्भव है। इस उच्चारित भाषा में अति सूक्ष्म अर्थों के बोधगम्य अनन्त ध्वनि-संकेत हैं। अतः ‘भाषा’ मानव की उच्चारित भाषा के लिए ही उचित है, भाव-बोधन के अन्य साधनों के लिए नहीं। भाव-बोधन के अन्य साधनों के लिए भाषा का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही होता है।

भाषा को परिभाषा की परिधि में बांधने का कार्य अत्यंत जटिल है, क्योंकि कोई भी परिभाषा त्रुटिमुक्त नहीं दिखती। इस जटिलता के पश्चात भी भाषाविज्ञानियों द्वारा भाषा की निम्नलिखित परिभाषाएँ देने का प्रयास किया गया है –

हेनरी स्वीट के अनुसार – “ध्वन्यात्मक-शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।”

पी. डी. गुणे के मतानुसार – “ध्वन्यात्मक-शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।”

बाबूराम सक्सेना के अनुसार – “जिन ध्वनि-चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं।”

सुकुमार सेन के शब्दों में – “अर्थवान, कंठोदगीर्ण ध्वनि-समष्टि ही भाषा है।”

खुतेवाँ के मतानुसार – “भाषा यादृच्छिक ध्वनि-संकेतों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर सहयोग एवं विचार-विनिमय करते हैं।”

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं की विवेचना के पश्चात स्पष्ट होता है कि भाषा यादृच्छिक, रूढ़, उच्चारित संकेत की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करता है। भाषाविज्ञानियों द्वारा भाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई गयी हैं –

- भाषा उच्चारित संकेत है।
- भाषा यादृच्छिक है अर्थात् शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत सम्बन्ध नहीं है।
- यह एक प्रकार की व्यवस्था या प्रणाली है अर्थात् इसमें अन्तर्निहित नियमबद्धता पायी जाती है।
- यह परस्पर विचार-विनिमय का सशक्त माध्यम है।
- भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों, संवेगों और अनुभवों को प्रकट करता है।
- भाषा के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण होता है।
- भाषा प्रतीकात्मक व्यवस्था है अर्थात् ध्वनि, वर्ण, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ आदि प्रत्येक स्तर पर भाषा में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
- यह हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण है।

अभ्यास प्रश्न :-1

1. विविध विचारों को ----- रूप देने का सबसे उन्नत और सुलभ साधन भाषा है।
2. ध्वनि-यन्त्रों से उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों का जब ----- होता है, तो भाषा का जन्म होता है।
3. 'भाषा' शब्द संस्कृत की भाष् धातु से उत्पन्न है जिसका तात्पर्य है-----।
4. भाव-बोधन के अन्य साधनों के लिए भाषा का प्रयोग ----- अर्थ में ही होता है।
5. भाषा ----- है अर्थात् शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत सम्बन्ध नहीं है।

1.4 भाषा के प्रकार (Types of language)

प्रकृति द्वारा मानव को मिला सर्वोत्तम उपहार उसकी भाषा है। भाषा के माध्यम से ही वह विविध ज्ञान के अनुशासनों के विषय में जानकारी एकत्र कर स्वयं को समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाता है। भावों और विचारों के अभिव्यक्तिकरण में भाषा का सर्वाधिक योगदान रहता है। यह केवल भावों और विचारों के विनिमय का साधन मात्र नहीं है, बल्कि मानव के चिंतन और मनन का माध्यम भी है। इसके माध्यम से समाज की विभिन्न श्रंखलाएँ जुड़ती हैं। भावों और विचारों के विनिमय के माध्यम से समाज को जोड़ने की यह प्रक्रिया कई प्रकार से होती है। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को तीन प्रकार से प्रकट करता है-

1. मौखिक भाषा द्वारा या बोलकर
2. लिखित भाषा द्वारा या लिखकर
3. सांकेतिक भाषा द्वारा या चिह्न बनाकर

1. **मौखिक भाषा (Oral language) :-** मौखिक रूप में ही मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किया गया। भारतीय वैदिक परम्परा में गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप में ही वेदों का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान देता था। इसीलिए मौखिक भाषा को उच्चारित भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों को बोल कर प्रकट करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग भी होता है, जब श्रोता सामने हो। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मौखिक साधन व्यक्त वाणी कहलाता है। इसकी पृष्ठभूमि में एक व्यवस्थित और स्पष्ट चिंतन होता है, जिससे नयी संस्कृति और समाज का निर्माण होता है। इस माध्यम का प्रयोग सामान्यतः फिल्म, नाटक, संवाद, शिक्षण एवं भाषण आदि में अधिक होता है। इसे स्थायी बनाने और भविष्य के उपयोग हेतु संरक्षित करने के लिए अनेक तकनीकों जैसे-टैप रिकार्डर, रेडियो और कम्प्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है।

2. **लिखित भाषा (Written language) :-** भाषा के लिखित रूप का प्रयोग मौखिक भाषा के पश्चात् हुआ। सर्वप्रथम भोज-पत्रों और ताम्र-पत्रों का प्रयोग लिखने के लिए किया गया। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप चीन में छापेखाने का प्रयोग भाषा-मुद्रण के लिए किया जाने लगा। साइक्लोस्टाइल-मशीन और टाइपराइटर आदि ने भाषा के लिखित रूप को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा के लिखित रूप में लिख कर या पढ़कर विचारों एवं मनोभावों का आदान-प्रदान किया जाता है। लिखित रूप भाषा का स्थायी माध्यम होता है। ज्ञान को दीर्घकाल के लिए संरक्षित रखने के लिए भाषा के इस रूप

का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि वेदों या शास्त्रों को लिखा न गया होता तो आज आप अपने पुरखों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति के विषय में नहीं जान पाते और न ही आपको विभिन्न समुदायों की परम्पराओं का ज्ञान हो पाता। इस प्रकार कक्षा में शिक्षण के दौरान किया जाने वाला श्यामपट्ट कार्य और पुस्तकेंभाषा के लिखित माध्यम को ही अभिव्यक्त करते हैं।

3. **सांकेतिक भाषा (Code language) :-** भावों और विचारों का विनिमय जब संकेतों के रूप में होता है, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। इस तरह की भाषा का प्रयोग श्रवण दोष वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार को संकेत अथवा प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जिसके अन्तर्गत विविध आंगिक क्रियाएँ जैसे- नेत्रों की भंगिमाएँ, हाथों का संचालन और चेहरे के भाव आदिसमीलित हैं। उदाहारणतया कक्षा में शिक्षण के दौरान आप जब अपने छात्रों को अमौखिक पुनर्बलन देते हैं, तब आप सहमति अथवा असहमति में अपना सिर हिलाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आप छात्र के उत्तर से सहमत हैं या असहमत। दूसरी ओर छात्र भी आपके संकेत को समझकर प्रतिक्रिया करता है। भाषा के इस रूप द्वारा होने वाला विचार विनिमय अपने आप में व्यापक होते हुए भी भाषा की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसकी अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं।

सारांशतः भाषा के तीनों रूपों का सार तत्व यह है कि यह उद्देश्यों की अभिव्यक्ति की एक मानवीय सक्रियता है जिससे मन के भावों और विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझा जा सके।


अभ्यास प्रश्न :-2

सही विकल्प का चयन करें -

1. प्रकृति द्वारा मानव को मिला सर्वोत्तम उपहार उसकी भाषा/लिपि है।
2. मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को पाँच/तीनप्रकार से प्रकट करता है।
3. मौखिक भाषा का प्रयोग भी होता है, जब श्रोता/वक्तासामनेहो।।
4. लिखित रूप भाषा का स्थायी/ अस्थायी माध्यम होता है।
5. पुस्तकें भाषा के मौखिक/लिखित माध्यम को ही अभिव्यक्त करती हैं।

1.5 भाषा के अवयव (Elements of language)

मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण विविध सामाजिक संबंधों के बीच अन्तःक्रिया करता है। इसके लिए भाषा ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाषा बोल सकने के कारण ही मानव को पशुओं की अपेक्षा बहुत उच्चकोटि में स्थान प्राप्त है। भाषा को व्यवहार में लाना जितना ही सहज और स्वाभाविक है, उसके तथ्यों से परिचय प्राप्त करना उतना ही कठिन और दुःसाध्य है। वर्तमान तकनीकी युग में दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए लिखित वर्णों की अपेक्षा ध्वनियाँ अधिक महत्वपूर्ण बन गयी हैं। भाषा का वास्तविक स्वरूप ध्वनि ही है। भाषा विज्ञानियों द्वारा भाषा के प्रमुख अवयव ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ बताए गए हैं।



ध्वनि (Sound)-उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम और महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है जिसे स्वन भी कहा जाता है। वायु तरंगों के माध्यम से जो श्रवणेंद्रिय को कम्पित कर बोध कराती है –वह ध्वनि कहलाती है। किसी भी प्रकार की क्रिया जैसे- गिरने, उठने, बैठने और आघात आदि से सामान्य वातावरण में जो कम्पन उत्पन्न होता है –वह सभी ध्वनि के अन्तर्गत ही आता है। ध्वनि का क्षेत्र अनन्त व्यापक है। ध्वनि के तीन पक्ष हैं-पहला उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। इनमें उत्पादन और ग्रहण का सम्बन्ध शरीर से है और संवहन का वायु तरंगों से। ध्वनि की सार्थकता के लिए तीनों पक्षों का होना अति महत्वपूर्ण है। मानव शरीर के जिन अवयवों से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें उच्चारण के अवयव या ध्वनि यन्त्र अथवा वाग्यंत्र कहा जाता है। फेफड़े, श्वासनली, स्वरयंत्र, काकल, कंठ, नासिका, दन्त, जिह्वा और ओष्ठ आदि प्रमुख उच्चारण के अवयव हैं। हिन्दी भाषा में 48 और अंग्रेजी भाषा में 26 ध्वनियाँ हैं। स्वर-यन्त्र में श्वास के आघात से पूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है। ध्वनि के उत्पादन के लिए भाव, विचार, वायु और वाग्यअवयवों के उचित संचालन की आवश्यकता होती है।

शब्द (Words)- सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम, अनिवार्य और स्वतंत्र इकाई शब्द है अर्थात् यह सार्थक ध्वनियों का समूह है। भर्तृहरि ने शब्द को सभी भावों और अर्थों का साधन माना है। **कामता प्रसाद गुरु** के मतानुसार-“एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं।” विश्व का सम्पूर्ण ज्ञान शब्द से ही जाना जाता है। **डॉ. सरयूप्रसाद अग्रवाल** के अनुसार – “ध्वनियों का संयोजन शब्द है।” रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद रूढ़, यौगिक और योगारूढ़ होते हैं, जबकि रूपान्तर की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं -विकारी और अविकारी। अर्थ के नज़रिये से यदि विचार किया जाये तो शब्द के दो भेद होते हैं – एकार्थी और अनेकार्थी। संसार की जिस भाषा का शब्द भण्डार सम्पन्न होता है वह भाषा उतनी ही विस्तार पाती है और दिनोंदिन सम्पन्नता की ओर अग्रसर होती जाती है।

पद- वाक्य में शब्दों को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है, वह पद कहलाता है अर्थात् वाक्य में प्रयोग्य शब्द रूप पद है। यह सविभक्तिक होता है। इससे तात्पर्य यह है कि यह विभाजन करने वाला होता है। वस्तुतः विभक्ति अर्थ को विभाजित करती है। विभक्तियों के संयुग्मन से एक शब्द के कई पद या रूप बनते हैं जो भिन्न-भिन्न अर्थ समाहित किये रहते हैं। शब्द का वाक्य में तभी प्रयोग हो सकता है – जब उसके साथ विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। पद के बिना वाक्य रचना असंभव है। जब तक कोई शब्द पद नहीं बनता, तब तक वह भाव-बोधन और अर्थ-वहन में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। अतः शब्द के उस रूप को पद कहा जाता है, जो विभक्ति और प्रत्यय का संयोग ग्रहण कर तथा किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ-बोध और भाव-बोध में हमेशा समर्थ होता है। इस प्रकार वाक्य पदों का समूह होता है। यह वाक्य की योग्यतम इकाई है जिसका विकास लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के माध्यम से होता है। रचना के आधार पर पद के तीन भेद होते हैं – साधारण पद, संयुक्त पद और मिश्रित पद। पदिम (Morpheme) के माध्यम से

शब्दरूप को पद रूप दिया जाता है। उदाहरणतया किशोर विद्यालय में पढ़ता है। इस वाक्य में किशोर, विद्या, लय, में, पढ़ता है, कुल छः पदम हैं जिनसे वाक्य की रचना के साथ अर्थ-बोध भी होता है। विद्वानों द्वारा पद के निम्नलिखित आठ-विभाग किये गए हैं –1. संज्ञा, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 4. क्रिया, 5. क्रिया-विशेषण, 6. सम्बन्धसूचक, 7. समुच्चयबोधक और 8. विस्मयबोधक।

वाक्य (Sentence)- सामान्यतः सार्थक और व्यवस्थित पद-समूह को वाक्य कहा जाता है— जिसके द्वारा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। **महर्षि पतंजलि** के अनुसार —“ क्रिया, अव्यय, कारक और विशेषण जहाँ एकत्र हों, उसे वाक्य कहते हैं।” वाक्य एक पद भी हो जाता है और पद-समूह भी। वाक्य क्रियायुक्त और क्रिया विहीन भी होता है। पद और वाक्य का अटूट सम्बन्ध है। पद के बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यवहार में आप बोलने के लिए वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। वाक्य भाषा की सहज इकाई है – जिसमें एक या एक से अधिक शब्द या पद होते हैं। **साइमन पॉटर** के मतानुसार —“ वाक्य भाषा की मुख्य इकाई और लघुतम पूर्ण विचार है।” प्रत्येक भाषा में वाक्य-रचना की अपनी व्यवस्था होती है। सामान्यतः रचना, आकृति, अर्थ, क्रिया और शैली के आधार पर वाक्य रचना के विविध भेद होते हैं जिन्हें निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है -

क्र. सं.	वाक्य के भेदों का आधार	वाक्य के विविध भेद
1.	रचना के आधार पर	1. साधारण वाक्य 2. संयुक्त वाक्य 3. मिश्रित वाक्य।
2.	आकृति के आधार पर	1. अयोगात्मक वाक्य 2. योगात्मक वाक्य
3.	अर्थ या भाव के आधार पर	1. विधि सूचक वाक्य 2. निषेध वाक्य 2. 3. आज्ञार्थक वाक्य 4. इच्छार्थक वाक्य 5. सम्भावनार्थक वाक्य 6. सन्देशार्थक वाक्य 7. प्रश्नार्थक वाक्य 8. विस्मयादि बोधक वाक्य 9. संकेतार्थक वाक्य
4.	क्रिया के आधार पर	1. क्रिया पद युक्त वाक्य 2. क्रिया पद विहीन वाक्य
5.	शैली के आधार पर	1. शिथिल वाक्य 2. समीकृत वाक्य 2. 3. आवर्तक वाक्य

इस प्रकार वाक्य एक व्यवस्थित पद समूह होता है - जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। बिना वाक्य के पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सामान्यतः वाक्य में उद्देश्य और विधेय का संयुग्मन होता है। वाक्य ही स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ देने वाली इकाई है। यह पदों के क्रम की उचित व्यवस्था है।

अर्थ- बिना अर्थ के भाषा, शब्द और वाक्य का कोई औचित्य नहीं होता है। **यास्क** का मत है कि - “जिस प्रकार अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन जल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार बिना अर्थ को जाने समझे जो शब्द दोहराया जाता है, वह कभी भी मुख्य विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता।” अर्थ शब्द की अन्तरंग शक्ति का नाम है, क्योंकि शब्द-शब्द से बहिर्मूर्त होता है, जबकि अर्थ अबहिर्मूर्त या अपृथक होता है। **डॉ. शिलर** के अनुसार - “अर्थ कुछ और नहीं - वह अनिवार्यतः वैयक्तिक होता है, क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, जिसे वह वस्तु अभिप्रेरित होती है।” मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ वास्तव में सन्दर्भ का प्रकरण होता है, किन्तु तार्किक रूप में अर्थ को सन्दर्भ या प्रकरण की अपेक्षा कुछ और भी माना जा सकता है। शब्द की सम्पूर्ण गरिमा अर्थ पर ही टिकी रहती है। सामान्यतः अर्थ सम्प्रेषण के 5 तत्व होते हैं - 1. वक्ता, 2. श्रोता, 3. प्रतीक, 4. वस्तु और 5. निर्देश। अर्थ के साथ जुड़कर ही भाषा का औचित्य सिद्ध होता है। अर्थ के साथ ही वस्तु का मूर्त - अमूर्त प्रतिबिम्ब हमारे मष्तिष्क पटल पर अंकित हो जाता है। विद्वानों द्वारा अर्थ बोध के 8 साधन स्वीकार किये गए हैं - 1. व्यवहार 2. आप्त वाक्य 3. व्याकरण 4. उपमान 5. कोश 6. वाक्य शेष (प्रकरण) 7. विवृति (व्याख्या) 8. प्रसिद्ध पद का सान्निध्य। इस प्रकार किसी शब्द के उच्चारण मात्र से ही किसी वस्तु का बोध होना ही अर्थ है। शब्द की आत्मा अर्थ में ही विद्यमान रहती है। बिना अर्थ को समझे तो वेदों का अध्ययन भी अनुचित है। बीज मंत्र अर्थ को जानने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके रटने या उच्चारण मात्र से नहीं।

अभ्यास प्रश्न :-3

1. उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम और महत्वपूर्ण इकाई ----- है।
2. सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम, अनिवार्य और स्वतंत्र इकाई----- है।”
3. वाक्य में प्रयोग्य शब्द रूप ----- है।
4. पद के बिना ----- की कल्पना नहीं की जा सकती है।
5. अर्थ के साथ ही वस्तु का ----- प्रतिबिम्ब हमारे मष्तिष्क पटल पर अंकित हो जाता है ॥

1.6 भाषायी कौशल (Language Skills)

अनुभव मनुष्य का सर्वोत्तम शिक्षक है। मनुष्य का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उसके जीवन में आगे का मार्ग सुगम और कष्ट रहित हो जाता है। मनुष्य ने अतीत में घटित घटनाओं से सम्बन्धित अनुभवों को इतिहास का नाम दे दिया और इसी प्रकार भिन्न-भिन्न अनुभवों को देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप विविध संज्ञाएँ दीं। भाषा संसार का नादमय चित्र और ध्वनिमय स्वरूप है। भाषा के विविध प्रसंगों को समझने के लिए भी अन्य विषयों की सहायता लेनी होती है, जो कि भाषायी कौशल के अभाव में असम्भव है।

आधुनिक तकनीकी युग में सुचारू रूप से जीवन -यापन करने के लिए और अन्य भाषा - भाषी लोगों की संस्कृति और परम्पराओं को समझने के लिए केवल एक भाषा की जानकारी पर्याप्त नहीं है।

आपको अपने घर से निकलते ही किसी-न-किसी दूसरी भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार भारत में रहकर भी एक भाषा से काम नहीं चलता है, उसी प्रकार विश्व-पृष्ठभूमि पर आंग्ल भाषा को जाने बिना काम चलाना दुःसाध्य है। आज के युग में किसी भाषा को लिखने और पढ़ने की अपेक्षा उसे बोलने और सुनने की समझ होना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में, सफल जीवन व्यतीत करने के लिए भाषायी कौशल अति आवश्यक है। भाषायी कौशल से तात्पर्य भाषा की शुद्धता और भावों को अभिव्यक्त करने की योग्यता से है। जिस भाषा को आप जानते हैं उसे शुद्ध रूप में बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, आपके भाषा कौशल को अभिव्यक्त करता है। भाषा कौशल में निपुण व्यक्ति सफलता की ऊंचाईयों को छूने लगता है। व्यावहारिक दृष्टि से वाणी का मूल्य लिखने से कहीं अधिक है। मित्रों के साथ संलाप, साधारण वार्तालाप, पारिवारिक और अन्य समस्त सामाजिक क्रिया-कलाप वाणी द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। बोलने के कौशल में निपुण वक्ता कुछ क्षणों में आम लोगों की धारणा को परिवर्तित कर सकता है। श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह के अनुसार – “पूज्य मालवीय जी के मुख से एक-एक शब्द मोती की तरह निकलते थे। श्रोता के हृदय पर वह टाईप की मशीन के अक्षर के समान छपता चला जाता था।” भाषायी कौशल पर ही अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनते और बिगड़ते हैं। उदाहरणतया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीने अपने भाषायी कौशल से न केवल विपक्षियों को धूल चटाई है, अपितु विश्व पटल पर भारत के साथ ही अपनी पहचान भी सुदृढ़ की है। भाषायी कौशल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। आपके अन्दर निर्भीकता सहित अपनी सम्मति और विचार प्रकट करने का सत्साहस उत्पन्न होता है। भाषा की कुशलता से आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं। भाषायी कौशल में निपुण होने पर आप अन्य क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ने लगते हैं। गणित या विज्ञान के रहस्यों को आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक आपको भाषा की अच्छी तरह समझ नहीं है। अतः भाषायी कौशल निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता की कुंजी के सामान है।

अभ्यास प्रश्न :-4


सही विकल्प का चयन करें –

1. अनुभव मनुष्य का सर्वोत्तम भाई/शिक्षक है।
2. मनुष्य ने अतीत में घटित घटनाओं से सम्बन्धित अनुभवों को इतिहास/भूगोल का नाम दे दिया।
3. सफल जीवन व्यतीत करने के लिए भाषायी कौशल/गणितीय कौशल अति आवश्यक है।
4. भाषायी कौशल से तात्पर्य भाषा की पहचान/शुद्धता से है।
5. व्यावहारिक दृष्टि से वाणी का मूल्य लिखने/सुनने से कहीं अधिक है।

1.7 साक्षरता : संप्रत्यय (Literacy: Concept)

इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिस देश और सभ्यता ने ज्ञान को अपनाया है, उसका विकास अभूतपूर्व गति से हुआ है। शिक्षा के महत्वका वर्णन करना शब्दों में बेहद मुश्किल है, और शायद इसीलिए हर साल आठ सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता वह वैयक्तिक गुण है, जो किसी व्यक्ति को पढ़ने और लिखने की योग्यता को अभिव्यक्त करता है। यह मनुष्य के चिंतन और कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करती है और उसे नवीन खोजों की दिशा में प्रेरित करती है, जिससे शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परम्पराओं, अन्धविश्वास, अस्पृश्यता, निर्धनता और धार्मिक कट्टरता आदि से व्यक्ति को दूर करने में साक्षरता का महत्त्व सर्वोपरि है। निरक्षर व्यक्ति समाज और देश की प्रगति में अपना उचित योगदान देने में असमर्थ होता है। निरक्षर व्यक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कोई समझ नहीं होती है।

निरक्षर व्यक्ति की तुलना सभ्य समाज में पशु से की जाती है। आज के तकनीकी दौर में प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना अति आवश्यक है, जिससे उसको अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध हो सके, साथ ही वह समाज और राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बन सके।



ग्रामीण साक्षरता अभियान को इंगित करता चित्र

वह समाज के प्रति अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन भली-भांति कर सके। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल व्यक्तियों की जनसंख्या और पढ़े-लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। भारत में विश्व की सबसे अधिक निरक्षर जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय साक्षरता दर केवल 12 प्रतिशत थी। उसके बाद के वर्षों में भारत में सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टि से परिवर्तन आया और वर्ष 1950 में साक्षरता की दर 18 प्रतिशत हो गयी जो वर्ष 1991 में 52 प्रतिशत और वर्ष 2001 में 65 प्रतिशत तक पहुँच गयी। वर्ष 2007 तक यह प्रतिशत बढ़कर 68 हो गया और अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत पाई गई है। भारत में वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 2011 तक साक्षरता-दर की स्थिति को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है –

क्र. सं.	वर्ष	पुरुष साक्षरता-दर	महिला साक्षरता-दर	कुल साक्षरता-दर
1.	1901	9.8	0.7	5.4
2.	1911	10.6	1.1	5.9
3.	1921	12.2	1.8	7.2
4.	1931	15.6	2.9	9.5
5.	1941	24.9	7.3	16.1
6.	1951	27.2	8.9	18.3
7.	1961	40.4	15.4	28.3
8.	1971	46.0	22.0	34.5
9.	1981	56.0	26.6	43.6
10.	1991	64.1	39.3	52.2
11.	2001	75.9	54.2	65.4
12.	2011	82.1	65.5	74.0

भारत में यदि महिला साक्षरता की दर को देखें, तो यह पुरुष साक्षरता दर से कम है, क्योंकि आज भी अधिकांश माता-पिता बालिकाओं को स्कूल जाने की अनुमति नहीं देते, बल्कि वाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। यद्यपि बाल-विवाह की उम्र काफी कम कर दी गई है, लेकिन फिर भी प्रतिवर्ष बाल-विवाह होते हैं। जनगणना 2011 की साक्षरता दर के अनुसार आज महिलाओं में साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है और पुरुषों में साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी भारत में ज्यादातर लोग पढ़ना-लिखना नहीं जानते। इसीलिए 1966 से 8 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों, बंचितों और निर्धन समाजों में साक्षरता के महत्व का प्रचार-प्रसार करना है, ताकि वे जीवन पर्यन्त शिक्षा ग्रहण कर सकें। भारत जैसे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए साक्षरता मूल आधार है। केरल भारत का एक मात्र राज्य है, जहां साक्षरता दर 100 प्रतिशत है। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थान आता है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। साक्षरता के महत्व को समझते हुए भारत सरकार के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कई उपाय किए हैं, जैसे-प्रारंभिक स्तर पर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना,

शिक्षा के राष्ट्रीय और समग्र स्वरूप को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भागीदार बनना, गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता की सहायता से संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित समाज का निर्माण करना, सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे-मील योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा योजना, राजीव गाँधी साक्षरता मिशन, गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए सभी को सामान अवसर उपलब्ध कराना तथा पूर्णरूप से साक्षर समाज का निर्माण करना आदि। परन्तु ये सभी योजनाएँ आशा के अनुरूप सफल नहीं हो सकी हैं। इसके जो भी कारण हैं या रहे हों परन्तु प्रत्येक साक्षर माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को स्कूल भेजे जाने की अधिक संभावना होती है, साक्षर व्यक्ति भविष्य में शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने के योग्य हो जाता है और साक्षर समाज चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होता है।

सारांशतः साक्षरता एक मानव अधिकार और सशक्तिकरण का मार्ग है। समाज तथा व्यक्ति के विकास का साधन है। शिक्षा के अवसर साक्षरता पर निर्भर करते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए, बाल मृत्युदर को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए, स्त्री-पुरुष में समानता को बढ़ावा देने के लिए तथा सतत विकास, शांति और लोकतंत्र की सुनिश्चितता के लिए साक्षरता आवश्यक है।

1.8 भाषा तथा साक्षरता में परस्पर संबंध (Partionship between language and literacy)

भारतविश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। स्वतंत्र होने के छः दशक बाद भी भारतीय जनमानस की जो महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं, उनमें सबसे ज्यादा गम्भीर समस्याएँ समाजिक विषमता और भाषा ही हैं। भारत के विभाजन में धर्म तो मूल कारण रहा ही, भाषा ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उत्तर के लोग दक्षिण की और पश्चिम के लोग पूरब की भाषाओं को लिखने और बोलने में असमर्थ थे। उस समय ऐसी कोई भाषा नहीं थी, जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बाँधे रखे। इसका परिणाम भारत बिभाजन के रूप में सामने आया। जिस प्रकार भाषा कहने पर ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ का बोध होता है, उसी प्रकार साक्षरता कहने पर मात्र अक्षर ज्ञान का बोध होता है। भाषा अपने आप में व्यापक संकल्पना है, जबकि साक्षरता का क्षेत्र सीमित है। भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले साक्षर होना जरूरी है। लेखन कला का विकास मानव इतिहास की एक क्रान्तिकारी घटना थी, क्योंकि इससे ज्ञान को संचित करना और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करना सुगम हो गया। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार के पश्चात तो इसमें चार चाँद लग गए। कालान्तर में समस्त ज्ञान पुस्तकों के रूप में संग्रहीत होने लगा, जिससे पुस्तकालयों की संकल्पना सामने आयी। पुस्तकों को पढ़ने की योग्यता, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रमाणिक साधन मानी जाने लगी। वर्तमान में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि साक्षरता के बिना आप न कोई भाषा सीख सकते हैं और न ही ज्ञान प्राप्त करने की कल्पना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए साक्षरता अनिवार्य शर्त और ज्ञानासागर की कुंजी है। अर्थात् पढ़-लिख सकने की क्षमता प्राप्त करने पर ही आप भाषा विशेषज्ञ बन सकते हैं। आने वाले समय में कम्प्यूटर का ज्ञान भाषा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जायेगा। अतः आज के सूचना तकनीकी-युग में साक्षरता का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति समाज और राष्ट्र की वर्तमान वास्तविक परिस्थितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में असमर्थ होता है तथा

तकनीकी दृष्टि से अकुशल होने के कारण अत्याधुनिक उद्योगों और सेवाओं में उचित योगदान नहीं कर पाता है। भारत में साक्षरता की माप के लिए निम्नलिखित आधार प्रयुक्त होते हैं –

- भारत में प्रचलित किसी भू-भाग की वर्णमाला का ज्ञान होने या हस्ताक्षर बना लेने और पढ़ने-लिखने की योग्यता पर व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। इसके लिए किसी शिक्षण संस्थान में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं होता है।
- कुछ लोग विद्यालयी शिक्षा को साक्षरता निर्धारण का आधार मानते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप विद्यालय जाए बिना भी पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।
- जो व्यक्ति देश में प्रचलित किसी एक भाषा के वर्णों को पहचानता है और उसे पढ़ सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग द्वारा प्रस्तावित मापदण्ड के अनुसार उन सभी व्यक्तियों को साक्षर माना जाता है, जो किसी एक भाषा में साधारण सन्देश को पढ़-लिख और समझ सकते हैं।

इस प्रकार साक्षरता निर्धारण के लिए प्रयुक्त होने वाले उपर्युक्त मापदण्डों के अतिरिक्त देश की स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिति के अनुरूप अन्य मापदण्डों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी देश में वहाँ की कुशल और साक्षर मानवीय शक्ति भाषायी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। भारत में साक्षरता-दर के वितरण पर यदि ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा साक्षरता-दर भिन्न है। शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में साक्षरता-दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शैक्षणिक सुविधाएँ अधिक हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, अन्धविश्वास, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और परंपरागत रूढ़िवादी जीवन-शैली साक्षरता की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है।

एक पूर्ण समाज उसी को कह सकते हैं, जिसके पास एक भाषा हो, जीवन व्यवहार के नियम हों और एक संस्कृति हो। भारत में वर्ष 1961 ई. के दौरान भाषाओं का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि भारत में 1200 से अधिक भाषाएँ सम्प्रेषण का माध्यम बनी हुई हैं। भारतीय संविधान ने इनमें से 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखा है। राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए एक सम्पर्क भाषा का ज्ञान सभी नागरिकों के लिए अति आवश्यक है। साक्षरता के माध्यम से यह कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि साक्षर व्यक्ति ज्ञान में वृद्धि के लिए अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखता है। किसी भी भाषा को सीखने की पहली सीढ़ी साक्षरता है। अक्षर ज्ञान होने पर ही व्यक्ति भाषा के अन्य तत्वों की सीखने की दिशा में आगे कदम बढ़ाता है। अतः भाषा और साक्षरता परस्पर एक-दूसरे पर आश्रित हैं। भारतीय प्रजातंत्र में भावप्रकाशन, अध्ययन और ज्ञानार्जन के लिए एक राष्ट्र-भाषा के साथ ही साक्षरता की भी आवश्यकता है। एक भाषा में विशेषज्ञता होने और दूसरी भाषा में साक्षर होने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। एक भाषा दूसरी भाषा के सम्बन्ध से ही अधिक सफल और विकसित हो सकती है। भाषा का भाषा से ही सम्बन्ध नहीं है, बल्कि अन्य विषयों जैसे-इतिहास, भूगोल, कला, संगीत और गणित आदि से भी अविच्छिन्न सम्बन्ध है।

अभ्यास प्रश्न :-5

1. 1966 से ----- का दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2. 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय साक्षरता दर केवल ----- थी।
3. निरक्षर व्यक्ति की तुलना सभ्य समाजमें ----- से की जाती है।
4. भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ----- होना जरूरी है।
5. भारत में ----- से अधिक भाषाएँ सम्प्रेषण का माध्यम बनी हुई हैं।

1.9 सारांश (Summary)

मन के विचारों को मूर्त रूप देने का सबसे सरल और सुलभ साधन भाषा है। 'भाषा' शब्द संस्कृत की भाष् धातु से उत्पन्न है जिसका तात्पर्य है 'व्यक्त वाणी'। व्यक्त वाणी का अर्थ है स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना जो कि उच्चारित भाषा से ही सम्भव है। विद्वानों द्वारा भाषा की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गयी हैं-

हेनरी स्वीट के अनुसार –“ध्वन्यात्मक-शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।”

बाबूराम सक्सेना के अनुसार –“जिन ध्वनि-चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं।”

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं की विवेचना के पश्चात स्पष्ट होता है कि भाषा यादृच्छिक, रूढ़, उच्चारित संकेत की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करता है। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को तीन प्रकार से प्रकट करता है-

1. मौखिक भाषा द्वारा या बोलकर
2. लिखित भाषा द्वारा या लिखकर
3. सांकेतिक भाषा द्वारा या चिह्न बनाकर

भाषा विज्ञानियों द्वारा भाषा के प्रमुख अवयव ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ बताए गए हैं। सफल जीवन व्यतीत करने के लिए भाषायी कौशल अति आवश्यक है। भाषायी कौशल से तात्पर्य भाषा की शुद्धता और भावों को अभिव्यक्त करने की योग्यता से है। साक्षरता वह वैयक्तिक गुण है, जो किसी व्यक्ति को पढ़ने और लिखने की योग्यता को अभिव्यक्त करता है। यह मनुष्य के चिंतन और कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करती है और उसे नवीन खोजों की दिशा में प्रेरित करती है, जिससे शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। भाषा अपने आप में व्यापक संकल्पना है, जबकि साक्षरता का क्षेत्र सीमित है। भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले साक्षर होना जरूरी है।

1.10 शब्दावली

- ध्वनि-यन्त्र –वाणी को उत्पन्न करने वाले शारीरिक अंग जैसे-फेफड़े, श्वासनली और कंठ आदि।
- समवर्ती - जो समान रूप से स्थित रहता हो।
- कंठोदगीर्ण –कंठ से उत्पन्न।

- यादृच्छिक-जैसी इच्छा हो या माना हुआ।
- पुनर्बलन- कार्य करने के बाद की जाने वाली प्रशंसा।
- आघात -किसी ध्वनि के उच्चारण पर बल या जोर देना।
- सविभक्तिक -विभाजन करने वाला।
- पदिम- पद के स्वरूप और अर्थ में अन्तर लाने वाला।
- समीकृत-साम्य मूलक।
- आवर्तक -श्रोता के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने के पश्चात वक्ता द्वारा अपना भाव प्रकट करना।
- विवृत्ति-व्याख्या या वर्णन।
- साक्षरता-पढ़ने और लिखने की योग्यता।
- निरक्षर -जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना नहीं जानता।
- सर्वशिक्षा - सभी के लिए शिक्षा।
- अविच्छिन्न- जिसे विभजित न किया जा सके।

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न -1

- | | | |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. मूर्त | 2. संयुग्मन | |
| 3. 'व्यक्त वाणी' | 4. संकुचित | 5. यादृच्छिक |

अभ्यास प्रश्न -2

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1. भाषा | 2. तीन | |
| 3. श्रोता | 4. स्थायी | 5. लिखित |

अभ्यास प्रश्न -3

- | | | |
|----------|----------|-------------------|
| 1. ध्वनि | 2. शब्द | |
| 3. पद | 4. वाक्य | 5. मूर्त - अमूर्त |

अभ्यास प्रश्न -4

- | | | |
|----------------|------------|----------|
| 1. शिक्षक | 2. इतिहास | |
| 3. भाषायी कौशल | 4. शुद्धता | 5. लिखने |

अभ्यास प्रश्न -5

- | | | |
|-------------|---------------|---------|
| 1. 8 सितंबर | 2. 12 प्रतिशत | |
| 3. पशु | 4. साक्षर | 5. 1200 |

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. “ध्वन्यात्मक-शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।” इस कथन की पुष्टी कीजिए।
2. भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
3. आप अपने भावों और विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? वर्णन कीजिए
4. भाषा के प्रमुख अवयव कौन-कौन से हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए।
5. भाषायी कौशल आपके लिए क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए।
6. साक्षरता ज्ञान प्राप्ति की अनिवार्य शर्त कैसे है? वर्णन कीजिए।

भाषा और साक्षरता में परस्पर सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।

1.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

- घल, जी.बी.(1984). *ध्वनि विज्ञान*, पटना: बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- जलज, जे. के. (2001). *ऐतिहासिक भाषा विज्ञान*, नई दिल्ली : भारतीय ग्रन्थ निकेतन।
- लाल, आर. बी. (2009). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त*, मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन्स।
- पाण्डेय, आर. एस., आर्य, जे. एवं सिंह, आर. पी. (1974). *भारतीय शिक्षा की समस्याएँ*, आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
- शर्मा, डी. एन. एवं शर्मा, डी. (2008). *भाषाविज्ञान की भूमिका*, नई दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।
- शंकर, वी. (2015). *भाषा विज्ञान*, जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- सक्सेना, एस. (2004). *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार*, आगरा: साहित्य प्रकाशन।
- सिंह, ए.पी. (2007). *भाषा –विज्ञान*, नई दिल्ली : नमन प्रकाशन।
- सिंह, के.एस. एवं सहाय, सी. (1977). *आधुनिक भाषा विज्ञान*, नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- सिंह, जे. पी. (2013). *समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत*, नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- तिवारी, बी. एन.(1997). *भाषा विज्ञान*, इलाहाबाद : किताब महल।
- क्षत्रिया,के. (1975). *मातृभाषा – शिक्षण*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

इकाई – 2

भाषा व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया: विद्यार्थियों की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण शास्त्र निर्णय में भाषा एक उपकरण के रूप में, विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति एवं भाषा

**Language and teaching-learning process:
Language and literacy background of
students and teaching learning process,
language as a tool for pedagogical
decisions, language and nature of
students' learning.**

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 भाषा व शिक्षण प्रक्रिया
- 2.4 भाषा व अधिगम प्रक्रिया
- 2.5 शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के घटक/तत्व
- 2.6 शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में भाषा का महत्व
- 2.7 विद्यार्थियों की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
- 2.8 शिक्षण शास्त्रीय निर्णय में भाषा एक उपकरण के रूप में
- 2.9 विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति एवं भाषा
- 2.10 सारांश
- 2.11 अभ्यास प्रश्न
- 2.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

मनुष्य भाषा को भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं, इतने और हम इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि सोचने, समझने, महसूस करने और वस्तुओं से जुड़ाव के साधन के रूप में भाषा की उपादेयता को सामान्यतया भुला दिया गया है। बच्चों के व्यक्तित्व एवं उनके विभिन्न कौशलों के विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा एक सर्वाधिक मजबूत ताकत के रूप में बच्चों के चिंतन, मनन, दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों, आदि को साकार करती है। बच्चा जिसकी मातृभाषा कोई भी हो भाषा का उपयोग कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। भाषा बच्चों को उनके जीवन में विभिन्न स्थितियों का सामना करने की सीख देती है। भाषा मनुष्य के जीवन का उतना ही स्वभाविक अंग है जितना उसके लिए साँस लेना। बच्चे पहले अक्षर ध्वनि, फिर शब्द तत्पश्चात् वाक्य तथा स्वरों के उतार-चढ़ाव और अंत में अर्थग्रहण करते हैं बल्कि वे भाषा को समग्रता एवं व्यापकता से सीखते हैं। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सिमित नहीं होता अपितु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित विषय की कक्षाएँ भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएँ होती हैं। इस तरह भाषा शिक्षण एक विषय का शिक्षण न होकर बहु विषयों का समग्र शिक्षण है अतः हमें भाषा की इस प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए जैसे समग्र उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा। भाषा शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। भाषा जितनी सरल एवं सुगम होगी शिक्षण कार्य भी उतना ही सरल एवं सुगम तरीके से अधिगम होगा। इस प्रकार शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे:- गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने व समझने के लिए सर्वप्रथम बालकों को भाषा को ही समझना पड़ता है। बालक सबसे पहले अपनी स्थानीय व मातृभाषा में ही गणित के सवालियों को हल करना सीखता है तत्पश्चात् वह विद्यालय में गणितीय भाषा को सीखता है। शुरु बालक केवल आलू को पहचानने लगता है कि आलू कैसा होता है? लेकिन जब वह विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर उसको विज्ञानीय भाषा में आलू की संरचना व आकृति, पत्तियाँ आदि भागों के बारे में पढ़ाया जाता है। आलू में मंड भी उपस्थित होता है, आलू में यह मंडपौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है परन्तु पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रकार हर विषय को समझने व पढ़ने के लिए एक भाषा ही महत्वपूर्ण होती है। इस इकाई में भाषा व शिक्षण प्रक्रिया, भाषा व अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में भाषा का महत्व, विद्यार्थियों की साक्षरता एवं भाषागत पृष्ठभूमि, शिक्षण शास्त्रीय निर्णय में भाषा एक उपकरण के रूप में, विद्यार्थियों की अधिगम प्रवृत्ति एवं भाषा का महत्व का आंकलन एवं वर्णन किया गया है।

2.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी व शिक्षक समझ पाएँगे :-

- भाषा शिक्षण प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया को जान सकेंगे।
- शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में अंतर कर सकेंगे।
- शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में भाषा के महत्व को समझ सकेंगे।

- शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के घटकों को समझ सकेंगे |
- विद्यार्थियों की साक्षरता एवं भाषायी पृष्ठभूमि को पहचान सकेंगे |
- विद्यार्थियों की भाषायी पृष्ठभूमि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की भूमिका को जान सकेंगे |
- भाषा को एक उपकरण के रूप में अवबोध कर सकेंगे |
- विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को सरल बनाने में भाषा की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे |


2.3 भाषा एवं शिक्षण प्रक्रिया (Language & Teaching Process)

भाषा का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि बिना भाषा के शिक्षण प्रक्रिया सम्भव नहीं होती है | शिक्षण शब्द से तात्पर्य सिखाना, पढ़ाना, अर्थात् ज्ञान देना, शिक्षा देना तथा शिक्षार्थी में कुछ क्षमताओं का विकास करना है | शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है अर्थात् शिक्षण का उद्देश्य मानव में व्यवहार परिवर्तन करना है | किसी छात्र का दूसरे छात्र को सही ढंग से गेंद फेंकना, बताना या सीखना शिक्षण प्रक्रिया है | शिक्षण प्रक्रिया औपचारिक, अनौपचारिक एवं सहज संयोगिक भी होती है | जैसे घर में समाज के रीति-रिवाज, फैशन, फ़िल्मी गाने, संवाद आदि सीख लेना सहज संयोगिक शिक्षण प्रक्रिया है | इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में भाषा का ज्ञान एवं समझ महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भाषा के बिना वह अपनी इच्छाओं व भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाता और अपने शिक्षण कार्य को सम्पूर्ण नहीं कर पाता है | भाषा ही एक ऐसा सशक्त साधन है जिससे शिक्षण रूपी सम्प्रेषण प्रक्रिया सहज एवं सरलता से पूर्ण होती है | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा एक साधन है शिक्षण एक साध्य है | शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी होती है – शिक्षक, शिक्षार्थी, विषयवस्तु | शिक्षक अपने व्यक्तित्व एवं भाषा प्रवाह से शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन एवं सुधार लाता है शिक्षक-शिक्षार्थी दोनों के मध्य होने वाली अन्तः क्रिया ही शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है | इस शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य योगदान विषयवस्तु एवं भाषा का होता है | जैक्सन “शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने –सामने होने वाली अन्तःक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे प्रतिभागियों व विद्यार्थियों में विशेष परिवर्तन लाने की इच्छा रखता है | ” उदाहरणतः- कक्षा आठवीं में शिक्षक हिंदी भाषा को पढ़ाता है | वह सबसे पहले भाषा का ज्ञान कराता है | अक्षर विन्यास, शब्द, वाक्य, तथा अनुच्छेद आदि की संरचना को समझायेगा | छात्र इन सब को समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेगा | इस प्रकार शिक्षक व छात्र के मध्य अन्तः क्रिया को शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं |

2.4 भाषा व अधिगम प्रक्रिया (Language & Learning Process)

अधिगम प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि भाषा के बिना अधिगम प्रक्रिया सम्भव नहीं है | अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य सिखने वाले के अनुभवों, उसकी आन्तरिक एवं बाह्य क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करना है | अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तनों का उल्लेख करता है | व्यवहार परिवर्तन का मुख्य आधार उद्दीपन (stimulus) तथा अनुक्रिया (response) है | यह अनुक्रिया स्वभाविक भी हो सकती है और सीखी हुई भी | जो क्रिया सीखी हुई होती है उसे ही सिखना या अधिगम प्रक्रिया

कहते हैं। अधिगम प्रक्रिया बालक के जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह कुछ ज्ञान अर्जित व अनुभव करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जन्म के तुरंत बाद ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। सिखने की क्रिया से ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। शैशवास्था में शिशु माँ की ध्वनि या संकेतो का अनुकरण करता है उस ध्वनि को सुनकर वह चलना उठना, बोलना सीखता है। घर में परिवार के सदस्य जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं बालक उसी भाषा को सबसे पहले बोलना सिखता है। जैसे-जैसे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे उसके भाषा ज्ञान का भी विकास उत्तरोत्तर होता जाता है जिससे बालक सीखकर अपने व्यवहार, आदत, मूलप्रवृत्तियों (Basic instinct) में परिवर्तन करता है। यह व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया ही भाषा व अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। बालक के भाषा सीखने की इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जब बालक छोटा होता है तो वह भाषा को तीव्रता से सीखता है लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता जाता है उसमें भाषा सीखने की गति मंद हो जाती है। भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में बालक के मस्तिष्क में चार प्रकार के भाषा बिम्ब बनते हैं—दृश्य, भाव, विचार, श्रुत।



उदाहरण-शिशु पहली बार गाय को देखता है तो गाय का बिम्ब बालक के मस्तिष्क में बनता चला जाता है यही बिम्ब 'दृश्य बिम्ब' होता है। बालक जब-जब गाय को देखता है तब-तब माता-पिता, परिजनों द्वारा एक ध्वनि 'गाय' सुनता है तो उसके मस्तिष्क में गाय की ध्वनि 'श्रुति बिम्ब' का निर्माण होता है। अब गाय सामने नहीं है फिर भी गाय का दृश्य बिम्ब मन में प्रत्यक्षीकरण करने पर गाय का जो बिम्ब बनता है यही 'विचार बिम्ब' कहलाता है। इसके बाद धीरे-धीरे गाय के प्रति बालक में आस्था के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, गाय को माता की तरह पवित्र मानता है, उसे रोटी खिलाकर खुशी का अनुभव करता है। गाय के प्रति ये बिम्ब ही बालक के 'भाव बिम्ब' है।


गेट्स के अनुसार (According to Gates) "अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है"

क्रो&क्रोके अनुसार (According to Crowe & Croque) "सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है।

बालक में भाषा अधिगम की संस्थितियाँ—बालक भाषा सीखता है तो उसे मानसिक रूप से विभिन्न भाषा बिम्बों के निर्माण से गुजरना होता है लेकिन भाषा अधिगम के लिए कुछ अधोलिखित

संस्थितियाँ है—(1) भाषा एक कला है (2) भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है (3) भाषा निरंतर अभ्यास से सीखी जाती है (4) भाषा प्रयोग की वस्तु है (5) भाषा अभिरुचि होने पर ही सीखी जा सकती है (6) भाषा अधिगम में भाषा शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है।

उदाहरणतः—एक माँघर में हाड़ौती बोलती है, पापा हिंदी बोलते है, परिवार के अन्य सदस्य हाड़ौती व हिंदी बोलते है कुछ लोग अंग्रेजी भाषा बोलते है, पडोस के कुछ लोग भी हाड़ौती का ही प्रयोग करते है तो वह बालक हाड़ौती भाषा को शीघ्र ही सीख लेता है क्योंकि ज्यादातर समय वह उन्हीं व्यक्तियों के बीच में गुजारता है। हाड़ौती भाषा ही उसके अधिगम प्रक्रिया का साधन होगी। जब बालक स्कूल जाता है तो वह अन्य बच्चो के साथ हिंदी भाषा को समझने व बोलने में कठिनाई महसूस करता है। इसीलिए बालक के भाषा अधिगम की प्रकृति एवं प्रक्रिया का माध्यम एक ही भाषा पर निर्भर न हो कर बहुभाषा पर निर्भर होनी चाहिए ताकि बालक शीघ्र ही सीखी हुई वस्तु को अधिगम कर सके। क्योंकि सभी बच्चे स्वभाव से ही सिखने के लिए प्रेरित रहते है और उनमें सिखने की क्षमता होती है। बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता को चित्र के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—




बोध प्रश्न :


1. भाषा से आप क्या समझते है ?
2. शिक्षण प्रक्रिया से क्या मतलब है ? स्पष्ट करे।
3. शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है ?
4. शिक्षण प्रक्रिया में भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है ? समझाइए।

2.5 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा का महत्व (Importance of Language in Teaching Learning Process)

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि भाषा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल एवं सहज बनाती है। शिक्षण में अधिगम निहित होता है और अधिगम की प्रक्रिया भाषा के बिना सम्भव नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया गया है —



शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना या परिवर्तन करना अर्थात् उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। अधिगम को प्रभावी बनाने तथा व्यवहार को परिवर्तन करने की उचित दिशा क्या हो, इसका निर्णय विद्यालय और अध्यापक मिलकर शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य अध्यापक को भी पता होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तथा विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुकूल ही अधिगम करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तीन मुख्य बिंदु हैं – (1) उद्देश्य (2) अधिगम अनुभव क्रियाये (3) विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण।



उपरोक्त चित्रण गतिमय है। इसमें तीनों मुख्य अंगों की पारस्परिक अन्तः क्रिया दिशा तीरो के द्वारा बतायी गयी है। उद्देश्य यह निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी कौनसे वांछित व्यवहार को प्राप्त करने की दिशा में चलना चाहिये? अधिगम अनुभव क्रियाये और अनुभव है जो वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को करने चाहिए। अध्यापन अनुभव प्रदान करने में अध्यापक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण व अधिगम अनुभव विद्यार्थी और विषय सामग्री के बीच अन्तः सम्बन्ध स्थापित करना निहित है। अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। अतः अधिगम में विद्यार्थियों के व्यवहार में आया परिवर्तन शामिल है। अध्यापन के अतिरिक्त शैक्षिक अनुभवों प्राप्त करने के और भी साधन अपनाये जा सकते हैं जैसे – भाषा यंत्र लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, रेडियो, फिल्में, विज्ञान क्लब, और भ्रमण इत्यादि जीवन में सीखने से सम्बन्धित हैं। इन सब प्रक्रियाओं में भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच इस क्रिया को सम्पन्न करने में एवं संवाद सम्प्रेषण को पूर्ण करने में भाषा एक साधन के रूप में कार्य करता है। शिक्षक को भाषा का पूर्व ज्ञान एवं समझ होना चाहिए तब ही वह शिक्षार्थी की भाषा को समझ सकता है और शिक्षार्थी की भाषा एवं रूचि के अनुसार प्रभावी शिक्षण अधिगम करा सकता है। भाषा का अधिगम अनुकरण द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है,

लिखता हुआ देखता है उसे अनुकरण द्वारा सिखने का प्रयास करता है। भाषा अधिगम का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक योग्यता, अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की माँग भाषायी योग्यता के विकास में विशेष भूमिका निभाती है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए होने अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से सम्बन्धित समस्याएँ जैसे – अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि का अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से समाधान कर सकता है। बालकों के भाषा सिखाने के सन्दर्भ में व्यवहारवादी एवं संज्ञानात्मकवादी मनोवैज्ञानिकों जैसे पावलव, स्किनर ने अध्यास नकल व रटने से भाषा की समता प्राप्त होती है जबकि चौमस्की (1959) ने अपने “रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर (Review of Skinner’s Verbal Behaviour)” द्वारा व्यवहार की बुनियाद को हिला कर रख दिया। चौमस्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात ही होती है वरना भाषा को सीखने की प्रवृत्ति सम्भव नहीं हो सकती। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क को एक “कोर्शस्लेट” माना, वही चौमस्की ने माना कि भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई थी। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भाँती परिवेश के साथ अन्तः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। दूसरी ओर वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ सम्पर्क का ही परिणाम है साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तीन तरह की बोली बोलता है - पहली आत्मकेन्द्रित तथा दूसरी सामाजिक। उदाहरण के लिए वाइगोत्स्की ने यह देखा कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं बल्कि काफी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी विकसित कर लेते हैं। समय के साथ उन्हें जरूरत होती है जटिल वाचिक तंत्र विकसित करने की ताकि वे विश्व के साथ अन्तः क्रिया करने हेतु अपना खजाना जोड़ सके। बच्चे अच्छी भाषा विकसित व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं इसलिए स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चे को इस प्रकार साक्षर बनाना है कि बच्चे समझने के साथ पढ़ने व लिखने की क्षमता हासिल कर सके। साथ ही द्विभाषिकता और पराभाषिक चेतना को बढ़ावा देना हमारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों में विनम्रता व नम्यता की भावना विकसित करना जरूरी है ताकि वे सभी प्रकार की स्थितियों में सहिष्णुता व आत्मसम्मान के साथ संवाद स्थापित कर सके। चौमस्की की मानसिक धारणा का भाषा सीखने की प्रक्रिया में बहुत प्रभाव दिखायी पड़ता है लेकिन शिक्षा क्षेत्र में पियाजे का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। चौमस्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ-साथ चलती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण व उनका सत्यापन करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं कि भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

2.6 शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के घटक /तत्व (Factor of Teaching & Learning Process)

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच की अन्तः क्रिया को समाहित किया जाता है। शिक्षण में ही अधिगम की क्रिया सन्निहित होती है। हम कह सकते हैं कि शिक्षण व

अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू है | शिक्षण प्रक्रिया का कार्य शिक्षकों द्वारा होता है जो सुनिश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है | शिक्षण द्वारा बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर जोर दिया जाता है जबकि अधिगम द्वारा बालक के संज्ञानात्मक स्तर पर बल दिया जाता है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया छात्र के अन्तःमन में निहित होती है | शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया के घटक निम्न प्रकार से है-

- (1) किसी विशिष्ट संदर्भ में उद्दीपन प्रस्तुत करना |
- (2) विषय वस्तु का सुघटित एवं स्पष्टीकरण करना |
- (3) अधिगम अनुभव के संगठन से सही अनुक्रियाओंको करना |
- (4) अभ्यास एवं दोहराने के माध्यम से शिक्षार्थी में व्यवहार परिवर्तन लाना |
- (5) अधिगम उपलब्धियों का मूल्यांकन करना |
- (6) उद्दीपन परिस्थिति का विभेदीकरण करना |
- (7) अनुक्रिया का ज्ञान होना |
- (8) विशिष्ट तत्वों के सम्बन्ध को आत्मसात करना |
- (9) अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है |
- (10) शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु अधिगम व शिक्षण में समन्वय आवश्यक है |
- (11) शिक्षक शिक्षण बेचने वाला है शिक्षार्थी खरीदने वाला है अर्थात् शिक्षक शिक्षण देता है और छात्र अधिगम सिखता है |
- (12) कक्षा एक शिक्षण अधिगम परिस्थिति है |

शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के चार मूल तत्व या घटक है- (1) शिक्षक (2) शिक्षार्थी (3) शिक्षक की क्रिया (4) अधिगम क्रम

अधिगम प्रक्रिया के पक्ष :- (i) आवश्यकता (ii) तत्परता (iii) परिस्थिति (iv) अन्तःक्रिया होते है | अधिगम छात्रों से सम्बंधित मानसिक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम में सहायता पहुँचाने वाला बाह्य प्रक्रम है |

बोध प्रश्न :-

1. अधिगम प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है ?
2. अधिगम प्रक्रिया में भाषा का क्या महत्व है ?
3. शिक्षण व अधिगम घटकों का उल्लेख कीजिए ?

2.7 विद्यार्थियों की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया(Language & Literacy Background of Students & Teaching Learning Process)

विद्यार्थियों की साक्षरता एवं शैक्षिक उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी परिवारिक पृष्ठभूमि, भाषागत पृष्ठभूमि एवं साक्षरता व व्यावसायिक पृष्ठभूमि कैसी है ? अगर विद्यार्थियों के अभिभावकों की शैक्षिक एवं साक्षरता पृष्ठभूमि अच्छी है तो उनके बच्चों की साक्षरता पृष्ठभूमि भी अच्छी होगी और उनकी पढ़ने में रुचि जाग्रत होगी और यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भाषायी दृष्टि से कमजोर है अर्थात् निर्धन, पिछड़े वर्ग या मजदूर वर्ग से सम्बन्ध रखता है तो उनकी साक्षरता व भाषायी ज्ञान में कमी पायी जाती है। ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी शून्य ही होगी क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा, क्षेत्रीय बोली एवं साक्षरता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। साक्षरता अर्थात् शिक्षा के साथ-साथ उनकी भाषागत पृष्ठभूमि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि में उसके परिवार की पृष्ठभूमि अर्थात् परिवार का वातावरण, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, बोल-चाल की भाषा आदि का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर अभिभावक उच्च स्तर के धनाढ्य वर्ग या शिक्षित वर्ग से सम्बन्धित है तो उनकी साक्षरीय पृष्ठभूमि उच्च स्तर की होगी और उनके बच्चों की साक्षरता दर, भाषाशैली, रहने की स्टाइल, बातचीत करने का तरीका उच्च स्तर का होगा। इन सब क्रियाओं में सर्वाधिक प्रभाव भाषागत पृष्ठभूमि एवं क्षेत्रीय वातावरण का पड़ता है क्योंकि बच्चे परिवार में रहते हुए ही अपनी मानसिक व बौद्धिक समझ से भाषायी कौशलों द्वारा भाषा दक्षता को प्राप्त करता है। इस प्रकार के विद्यार्थियों की सीखने की गति भी तीव्र होती है। दूसरी तरफ निर्धन वर्ग के व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। रोटी कपड़ा एवं मकान के साथ-साथ शिक्षा भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है ऐसे में निर्धन परिवार अपना पेट ठीक से नहीं भर पाते हैं तो वह अपने बच्चों को शिक्षा कहा से दिलाएंगे। शिक्षा के अभाव में वे बच्चे काम पर चले जाते हैं और अपने को असहाय, कमजोर एवं पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं ऐसे बच्चों की अधिगम शैली व शिक्षण प्रक्रिया तथा सिखने की प्रवृत्ति भी मंदगति से होती है। जब वे बालक स्कूल में जाते हैं तो दूसरों बच्चों के सामने अपने आप को कमजोर मानकर पीछे एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। गरीबी का दुःप्रभाव बच्चों की शिक्षा एवं भाषायी पृष्ठभूमि पर भी पड़ता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किये जाने के बावजूद भी अज्ञानता के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं वे बालक आज भी शिक्षा से वंचित हैं। **उदहारण** के तौर पर हम हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले को लेते हैं। कोटा क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर हाड़ौती भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह ग्रामीण परिवेश में ही पले बड़े हुए होते हैं इसीलिए उनकी बोली व भाषा में भी हाड़ौती भाषा का ही लहजा आता है। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के बच्चे जब बड़े होकर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर वे हिंदी व अंग्रेजी भाषा बोलने वाले बच्चों के साथ बातचीत करने में, कक्षा में प्रश्न पूछने में, शिक्षक से समस्या का समाधान करने में भी संकोच करते हैं इसीलिए ऐसे बालकों में पूर्णतया भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है और वह बालक शैक्षिक या साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ जाता है। भाषागत व साक्षरता पृष्ठभूमि की दृष्टि से बालकों में काफी अंतर देखने को मिलता है। एक शहरी क्षेत्र में उच्च व धनी सम्पन्न परिवार में निवास करने वाला

बालक तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले बालक की पढ़ने, लिखने, बोलने की सम्प्रेषण शैली, अधिगम शैली एवं शिक्षण प्रक्रिया में काफ़ी असमानताएँ देखने को मिलती है। **दूसरे उदहारण** के तौर पर एक बालक है जो ग्रामीण परिवेश में निर्धन परिवार में जन्म लेता है, उसका पालन-पोषण भी ग्रामीण परिवेश में ही होता है, उसका पारिवारिक वातावरण व मातृभाषा भी पूर्णतया हाड़ौती ही होगी। जैसे-जैसे वह बालक बड़ा होता जाता है वह उसी हाड़ौती भाषा को सीखना प्रारम्भ कर देता है, वही उसकी अधिगम की भाषा होती है, शुरू में शिक्षण कार्य भी लगभग हाड़ौती भाषा में ही करता है। जब वह विद्यालय में प्रवेश लेता है तो हिंदी बोलने में, सिखने में, पढ़ने व लिखने में विषयवस्तु को अधिगम करने में कठिनाई होती है। जैसे ही वह आगे की कक्षा में प्रवेश लेता है तो वहाँ पर उसका अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू भाषा से पाला पड़ता है तो उसको अंग्रेजी व संस्कृत भाषा सीखने में बहुत कठिनाई होती है जिस कारण से उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है इसीलिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब वह एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेता है तो वहाँ शिक्षण कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होता है, छात्रों में परस्पर वार्तालाप भी अंग्रेजी भाषा में ही होता है ऐसी स्थिति में वह बालक अपने आप को मन्दबुद्धि, पिछड़ा हुआ और घोर निराशावादी मानकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है एवं एकाकीपन जीवन जीने लगता है। इस प्रकार के विविध भाषीय व साक्षरता पृष्ठभूमि वाले छात्रों की अधिगम शैली पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसे बालकों की साक्षरता पृष्ठभूमि व भाषा अधिगम शैली को बढ़ाने तथा दक्ष बनाने के लिए शिक्षक को बहुभाषी व द्विभाषी बनना पड़ेगा। शिक्षण कार्य भी बहुभाषा या द्विभाषा में ही करवाना पड़ेगा। ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ लगवाकर उनको अकेले में बहुभाषा व द्विभाषा सिखने के लिए प्रेरित किया जाये। ऐसे बालकों को उनकी स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाये, उनसे आपसी संवाद भी स्थानीय भाषा में ही किया जाये ताकि वे उनके सिखने की गति को बढ़ा सके।

2.8 शिक्षण शास्त्रीय निर्णय में भाषा एक उपकरण के रूप में (Language as a Tool for Pedagogical Decisions)

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम के सन्दर्भ में प्रजातांत्रिक व समानतावादी कक्षा-कक्ष व्यवहारों की रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षाशास्त्र की विविध विधियों, व्यूहरचनाओं एवं तकनीको शिक्षण प्रक्रिया व व्यवहार में समाहित करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व पाठ्यचर्या को प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षाशास्त्र की विधियों व तकनीकों को समझने में भाषा एक मुख्य उपकरण के रूप में कार्य करती है। शिक्षकों को रचनात्मक, समीक्षात्मक, सृजनात्मक, चिन्तनात्मक शिक्षाविद बनाने में तथा बच्चों के प्रति जाति, वर्ग, लिंग आदि की पहचान सम्बन्धी भेदभाव को दूर करने एवं आदर व सम्मान को बढ़ावा देने के दृष्टिकोणसे कक्षा-कक्ष व्यवहारों व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा एक उपकरण का कार्य करती है क्योंकि बिना भाषीय ज्ञान के हम किसी विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र की विधियों को समझ नहीं सकते। भाषा एक उपकरण व साधन के रूप में होती है जो अर्जित होती है तथा शिक्षण व अधिगम एक साध्य या लक्ष्य के रूप में होता है जो अधिगामक या ग्रहणशील होता है। इसीलिए भाषा को उपकरण के रूप में स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षाशास्त्र व भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सजीव, सुग्राह्य एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन ज्ञान भाव एवं विचार इस प्रकार

प्रस्तुत किये जाये कि उनका स्वरूप प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं मूर्त हो उठे इसी कारण से भाषायी उपकरणों की अति आवश्यकता पडती है। भाषायी उपकरणों की सहायता से ही अमूर्त, जटिल एवं सूक्ष्म बातों को मूर्त व सरल बनाकर बालकों को उनका प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है। **थॉमस एम.रिस्क** के अनुसार “ज्ञानेन्द्रिय अनुभव द्वारा ही किसी भी वस्तु या क्रिया का मानसिक चित्र बनता है और इस मानसिक चित्र के आधार पर ही तत्संबंधी प्रत्यय बनते हैं। अतः शिक्षण अधिगम द्वारा ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण एवं उसे मूर्तताप्रदान करने के लिए ऐसे भाषायी उपकरणों की आवश्यकता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध है जिनके माध्यम से वस्तु, क्रिया, भाव एवं विचार का बिम्बग्रहण हो सके।”

भाषायी उपकरणों को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया है :-

- (1) मौखिक या श्रव्य उपकरण :- रेडियो, ग्रामोफोन, टेपरिकॉर्डर, लिंग्वाफोन इत्यादि।
- (2) शाब्दिक या दृश्य उपकरण :- चित्र, रेखाचित्र, डायग्राम, मानचित्र, ग्लोब, पोस्टर, चार्ट मॉडल, मैजिक लैंटर्न, चित्र विस्तारक यंत्र (एपिडायस्कोप), प्रतिमूर्ति, कम्प्यूटर।
- (3) मौखिक व शाब्दिक या दृश्य-श्रव्य उपकरण :- सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, भाषा प्रयोगशाला।

इस प्रकार से ज्ञान एवं अनुभव के लिए चक्षु एवं श्रवण प्रमुख ज्ञानेन्द्रिया होती हैं। शिक्षण के समय नई बात सिखाने या नवीन अनुभव कराने के लिए ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता पडती है जो बालकों की दृष्टि एवं श्रवण शक्ति को सक्रिय बना सके। इसी कारण महान शिक्षाशास्त्रियों जैसे रूसो, पेस्टोलॉजी, प्लेटो, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, जॉन ड्यूवी, डाल्टन आदि ने वस्तुओं के साक्षात् एवं प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर पढ़ाने की प्रणाली व भाषायी उपकरणों का प्रतिपादन किया है।

2.9 विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति एवं भाषा (Language and Nature of Students' Learning)

अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन सम्भव होता है। शिक्षा के द्वारा अधिगम प्रक्रियाओं को सुसंगत व्यक्तित्व विकास जैसे व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता का प्रमुख स्थान होता है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया तथा अधिगम प्रक्रिया द्वारा उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसीलिए विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति एवं अधिगम अनुभवजन्य शैली में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि एक शिक्षक विद्यार्थी की भाषा को समझे बिना उसे प्रभावी अधिगम कराने में सक्षम व समर्थ नहीं हो पाता है। सभी विद्यार्थियों की सिखने की प्रकृति भी अलग-अलग होती है। कोई तीव्र गति से सीखता है तो कोई मंद गति से सीखता है, कोई हिंदी में सीखता है तो कोई अंग्रेजी में सीखता है या फिर कोई छात्र अपनी स्थानीय भाषा व मातृभाषा में जल्दी सीखता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भाषा की अति आवश्यकता पडती है क्योंकि भाषा ही अधिगम कराने या सीखने का मूलाधार होती है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए की वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता व भाषा के आधार पर छात्रों को शिक्षण कार्य कराये। शिक्षक छात्रों को द्विभाषा या बहुभाषिकताके सिद्धांत के आधार पर सिखाये सीखने के लिए प्रेरित करे। विद्यार्थियों को भी अपनी अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए, उन्हें भी बहुभाषिकता या द्विभाषिकता का

माध्यम अपनाना चाहिए | यदि विद्यार्थी बहुभाषी है तो उसका अधिगम भी प्रभावी होगा और यदि विद्यार्थी बहुभाषा को नहीं समझता है, पढ़ता है या लिखता है तो उसका अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा | ऐसे में वह विद्यार्थी साक्षरता व भाषायी पृष्ठभूमि की दृष्टि से पिछड़ जायेगा | **उदहारण** के तौर पर एक ग्रामीण परिवेश के स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के निजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी की अपेक्षा एक ही भाषा को समझ पाता है, पढ़ व लिख पाता है अन्य भाषा को बोलने, समझने, पढ़ने व लिखने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करते हैं जबकि शहरी विद्यार्थी सभी भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने व लिखने में दक्ष होते हैं क्योंकि उसके वातावरण, पारिवारिक व विद्यालयी परिवेश में बहुभाषा या द्विभाषा का प्रयोग किया जाता है | इसीलिए इनका परीक्षा-परिणाम या शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च स्तर की रहती है |

2.10 सारांश (Summary)

भाषा भावों, इच्छाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन या माध्यम होती है | मनुष्य पशुओं से इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अपने विचारों व भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं | भाषा बच्चों की बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक व सांवेगिक क्षमता का विकास करती है | भाषा एक दूसरे के विचारों व भावों को आदान-प्रदान करने का सम्प्रेषण के साधन के रूप में कार्य करती है | भाषा अधिगम व अर्जन के चार प्रमुख कौशल होते हैं – सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना | इन चारों कौशलों के आधार पर ही भाषा का सम्पूर्ण विकास होता है | जन्म लेने के पश्चात शिशु सबसे पहले इस सम्पूर्ण प्रकृति को देखता है, प्रकृति में उत्पन्न सभी ध्वनियों को सुनता है और सुनकर के भाषा को सीखता है | तत्पश्चात सुनी हुई भाषा को बोलना सीखता है | जब वह स्कूल में जाता है तब वह पढ़ना व लिखना सीखता है | भाषा ही इस विद्यार्थी की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है | विद्यार्थी की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि पर उसकी भाषा व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है | शिक्षाशास्त्र में अध्ययन प्रणालियों को पढ़ने व सीखने में भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है जो भाषायी उपकरण के रूप में विद्यार्थी की अधिगम प्रकृति व भाषा को प्रभावी बनाती है |

2.11 अभ्यास प्रश्न

- भाषा है –
 - अत्यंत जटिल प्रक्रिया है
 - विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम
 - विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का साध्य
 - इनमें से कोई नहीं
- भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है –
 - अत्यंत जटिल प्रक्रिया है
 - भाषा की कक्षा में ही सम्भव है
 - घर में सम्भव नहीं है
 - विभिन्न विषयों की कक्षाओं में सम्भव है
- विद्यार्थियों की साक्षरता व भाषागत पृष्ठभूमि को पहचान करने में भाषा का योगदान है ? वर्ण कीजिए |
- भाषा उपकरण से आप क्या समझते हैं ?

5. किसी विषयवस्तु या शिक्षाशास्त्र को अधिगम करने में भाषायी उपकरण का क्या महत्व है ? स्पष्ट कीजिए |
6. भाषायी उपकरणों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है ?सविस्तार समझाइये |
7. भाषायी उपकरणों को निर्मित करने वाले शिक्षाशास्त्रियों के नाम बताइये?
8. भाषा व अधिगम की प्रक्रिया किसे कहते है ?स्पष्ट कीजिए |
9. शिक्षण व अधिगम के चार मूलतत्व बताइए ?
10. अधिगम प्रक्रिया के चार पक्ष कौन-कौन से है ? वर्णन कीजिए |

3.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ. सिंह, निरंजन कुमार (2008),“माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण”, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी जयपुर|
- डॉ. मंगल, उमा (2006),“हिंदी शिक्षण”, आर्यबुक डिपो, करोल बाग नई दिल्ली |
- डॉ. शर्मा, खेमराज & ब्रजराज (2012),“हिंदी शिक्षण”,अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा |
- डॉ. पाण्डेय, नित्यानंद & डॉ. गंगाराम शर्मा (2005),“हिंदी भाषा शिक्षण”,एच.पी.भार्गव बुक हाउस, आगरा |
- भाई योगेन्द्र जीत (2006),“हिंदी भाषा शिक्षण”विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा |
- डॉ. चतुर्वेदी शिखा,“भाषा एवं हिंदी साहित्य शिक्षण”,आर लाल बुक डिपो, आगरा |
- डॉ. डबास रामकरण, पारिक शिवराज,“हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता”(SIERT उदयपुर)राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर|
- NCF पाठ्यचर्या (2005), “NCERT नई दिल्ली”
- डॉ. पाठक पी. डी., “शिक्षा मनोविज्ञान”आर लाल बुक डिपो, आगरा |
- डॉ. गाँधी, भारत कुमार, बी एल नापित, “भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में” (SIERT उदयपुर)राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर|
- अग्निहोत्री, रमाकांत (2011), “बहुभाविक्ता, साक्षरता, भाषाशिक्षण एवं बौद्धिक विकास छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर |
- भारतीय भाषाओं शिक्षण (2009), “आधार पत्र NCERTनई दिल्ली” |
- सिंह सूरजभान (2008),“हिंदी भाषा संदर्भ औरसंरचना,साहित्य सहकार, नई दिल्ली|
- वाजपेयी किशोरीदास, “शब्दकोश अनुशासन, वाणीप्रकाशक,नई दिल्ली |

- प्रसाद वासुदेवनंदन(2013), “आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, भारती भवन प्रकाशक पटना”
- डॉ. त्यागी ओंकारसिंह& एम्. पी. सिंह, “शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षा-कक्ष प्रबंध” अरिहंत शिक्षा प्रकाशन जयपुर |

इकाई - 3

मौखिक व लिखित भाषा को कैसे समझे व उसका महत्व, अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया अन्य विषयों के संदर्भ में

Knowhow and significance of oral and written language to ensure optimal learning of the subject area

इकाई की रूपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 भाषा की प्रकृति
- 3.4 भाषीय कौशल
 - 3.4.1 मौखिक भाषा कौशल
 - 3.4.2 लिखित भाषा कौशल
- 3.5 मौखिक भाषा की प्रकृति व महत्व
- 3.6 लिखित भाषा की प्रकृति व महत्व
- 3.7 मौखिक व लिखित भाषा की मूलभूत प्रक्रियाएँ
- 3.8 अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया (अन्य विषयों के संदर्भ में)
- 3.9 विद्यार्थियों की विषयगत उपलब्धि एवं भाषा
- 3.10 सारांश
- 3.11 अभ्यास प्रश्न
- 3.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

पृथ्वी पर मानव के लिए प्राण की अति आवश्यकता होती है उसी प्रकार बोलना भी आवश्यक है। प्रारंभ में बालक गिर-पड़कर चलना सीख लेता है और वह तुतलाकर, हकलाकर बोलना भी सीख लेता है। चलना व बोलना मूल रूप से नैसर्गिक कायिक प्रवृत्ति है जो मनुष्य के लिए आवश्यक होती है क्योंकि मनुष्य अपने विचारों, भावों, इच्छाओं तथा सूचनाओं को दूसरों के समक्ष प्रकट करने

के लिए भाषा रूपी साधन या माध्यम का प्रयोग करता है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए भाषा है जबकि पशुओं के पास अपनी इच्छाओं व भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा एक साधन के रूप में उपलब्ध नहीं है। वह केवल संकेतो से ही अपनी भावनाओं को प्रकटकरते है। कोई भी भाषा मौखिक शब्द समूह या वाक्यों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से दो या अधिक व्यक्ति परस्पर विचारों का विनीमय करते है। विचार विनीमय की श्रृंखला बालक माता की गोद में जन्म लेकर व बड़े होने तक माँ की भाषा का ही अनुकरण करता है। वही बालक की मातृभाषा या प्राथमिक भाषा कहलाती है। प्राणी भावों को बोलकर ही अभिव्यक्त कर सकता है उसे भाषा ही मानव समाज में प्रतिष्ठित करती है, अपने जीवन में सुख-दुःख, हर्ष-विमर्ष, भय-क्रोध आदि भावों को समझने के योग्य बनाती है। भाषा बौद्धिक क्षमता की भी अभिव्यक्त करती है। बुद्धि एवं विचार शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है। भाषा मनुष्य की सूक्ष्म चिंतन क्षमता व व्यवहार का परिचायक है। सुमित्रानंदन पंथ जी कहते है कि “ भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिस्वरूप है यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाई जाती है। ”

उदाहरणतया-वाल्मीकि आश्रम के निकट भार्या क्रौंची करुणा जनक स्वर चित्कार करने लगी और वाल्मीकि उस करुण चित्कार को सुनकर उनके मुख से करुणामय धारा निकल पड़ी “ मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम् । ” वाल्मीकि की इस करुणामय भाषा से सम्पूर्ण संसार का मन उद्देवित हो उठा जिसमे रामायण के रूप में लिखा गया है जो आगे चलकर आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ (वाल्मीकि)। मनुष्य की भाषा-सामर्थ्य का सबसे बड़ा कारण उसके मस्तिष्क की रचना है। मानव मस्तिष्क में देखने, सुनने, बोलने, हाथ-पैर चलाने के विशेष केंद्र स्थल होते है जो निम्न श्रेणी के जीवों में नहीं होते। शब्दों के उच्चारण के लिए मनुष्य अपने ध्वनि यंत्रों का संचालन करता है। इसी कारण कभी-कभी सिर पर चोट लगने पर मनुष्य के बोलने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जो प्राणी ध्वनि यंत्रों का संचालन करने में समर्थ नहीं होते है वे समझदार नहीं होते है जैसे –कुत्ता, बंदर, हाथी आदि। जो प्राणी ध्वनि यंत्रों का सही संचालन करते है, वे प्राणी समझदार होते है जैसे –तोता, मनुष्य आदि। भाषा को अभिव्यक्त करने के दो माध्यम है – मौखिक व लिखित। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष मौखिक रूप से बोलकर प्रकट करता है या मौन रहकर तथा लिखित भाषा में वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को लिखकर अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार भाषा को सम्प्रेषण का साधन माना जाता है जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बनाकर दूसरों के सामने अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है मूलतः वे मौखिक प्रतीक होते है। ये प्रतीक मनुष्य के मुख से निसृत ध्वनिसमूहों से निर्मित होते है। ये प्रतीक तीन प्रकार के हो सकते है – स्पर्शग्राह्य, चक्षुग्राह्य और श्रोतग्राह्य। भाषा के लिखित रूप मौखिक प्रतीकों का ही प्रतिनिधित्व करते है। भाषा का यह लिखित रूप पुनः पठन एवं श्रवण के द्वारा मौखिक एवं श्रोतग्राह्य बन जाता है। फिर भी संसार में अनेक ऐसी भाषाएँ जिनका केवल मौखिक रूप ही है लिखित नहीं। इस इकाई में भाषा के मौखिक व लिखित कौशल, मौखिक व लिखित भाषा का महत्व, प्रकृति अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया को सविस्तार वर्णित किया गया है।

3.2 उद्देश्य(objective)

इस इकाई के अध्ययन के बाद शिक्षक- विध्यार्थी समझ पाएँ :-

- भाषा को समझ सकेंगे |
- भाषायी कौशलों को अवबोध कर सकेंगे |
- मौखिक भाषा की प्रकृति व महत्व को बता सकेंगे |
- लिखित भाषा की प्रकृति व महत्त्व का वर्णन कर सकेंगे |
- मौखिक व लिखित भाषा की मूलभूत प्रक्रिया को समझ सकेंगे |
- मौखिक व लिखित भाषा में अंतर कर सकेंगे |
- भाषा का अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया के अन्य विषयों के सन्दर्भ में महत्त्व को बता सकेंगे |
- विद्यार्थियों की विषयगत उपलब्धि में भाषा की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे |
- भाषा की प्रकृति व स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे |
- मौखिक व लिखित भाषा की सोदाहरण व्याख्या कर सकेंगे |

3.3 भाषा की प्रकृति (Nature of Language)

ब्लाक तथा ट्रेगर ने भाषा की प्रकृति की दृष्टि से भाषा की जो परिभाषा प्रस्तुत की है जिससे भाषा की प्रकृति का बोध होता है | इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार “ भाषा यादृच्छिक मौखिकप्रतीकोंकी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करते है | ” इस परिभाषा में भाषा की प्रकृति सम्बन्धी पांच बातें हैं –(1) भाषा एक व्यवस्था है

(2) भाषा प्रतीकोंकी व्यवस्था है

(3) ये प्रतीकमौखिक अथवा वाचिक है

(4) ये प्रतीक यादृच्छिक है

(5) भाषा परस्पर विचार विनीमय एवं सामाजिक क्रियाकलाप का साधन है

इसमें प्रथम चार का सम्बन्ध भाषा की रचना एवं उसमें अंतर्भूत तत्वों से है और पांचवी बात का सम्बन्ध भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता एवं उसके महत्त्व से है | भाषा की प्रकृति को इन पांच तत्वों में विस्तारपूर्वक समझा जा सकता है –

(1) भाषा एक व्यवस्था है (Language is a system):— भाषा की प्रकृति या स्वरूप एक व्यवस्था या संगठन है | अपनी प्रारंभिक अवस्था में भाषा अपेक्षाकृत कुछ अव्यवस्थित रही होगी किन्तु उत्तरोत्तर विकास करती हुई वह अधिकाधिक व्यवस्थित एवं संगठित होती जा रही है | भाषा का मूल तत्व ध्वनि है प्रत्येक भाषा में कुछ मूल ध्वनियाँ मान्य है उनकी भी एकमान्य व्यवस्था है जैसे – स्वर, व्यंजन, संयुक्तस्वर, मिश्रितस्वर व व्यंजन | कुछ ध्वनियाँ मिलकर जब शब्द का निर्माण करती है तब वे सार्थक सिद्ध होती है क्योंकि शब्द ही किसी वस्तु, भाव या विचार का प्रतीक होता है | फिर शब्द के रूप, रचना, अर्थ एवं प्रयोग की भी एक व्यवस्था बन जाती है |

अभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण करना होता है | प्रत्येक भाषा में वाक्य संरचना या गठन की अपनी व्यवस्था है उदाहरणतः- हिंदी वाक्य रचना में शब्दों का जो क्रम है वह अंग्रेजी वाक्य रचना में नहीं है | वाक्य भाषा की इकाई है अनुच्छेद भाषा का वृहत रूप है तथा भाषा विभिन्न पदों का क्रम बद्ध रूप है | ध्वनि, शब्द, पद वाक्य, अनुच्छेद, पद्यांश आदि स्तरों पर भाषा की संरचना के लिए रहती है इसलिए भी भाषा को उप व्यवस्थाओं की व्यवस्था (system of subsystem) कहा जाता है |

(2) भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है :- शब्दों से भाषा का निर्माण होता है ये शब्द किसी प्रदार्थ, भाव, विचार, अनुभूति आदि के ध्वनि संकेत या प्रतीक है | किसी वस्तु या विचार को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक रूप से शब्द का प्रयोग किया जाता है | परम्परागत प्रचलन के कारण शब्द और अर्थ इतने संयुक्त हो जाते हैं कि शब्द प्रतीक मात्र को सुनते ही तत्संबंधी वस्तु, भाव या विचार का प्रत्यक्षीकरण हमारे मनस्पटल पर हो जाता है | “देखिये रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नाहि नाम विहिना” में तुलसीदास ने ‘नाम’ का प्रयोग इन शब्द प्रतीकों के लिए ही किया है | ये प्रतीक किसी वस्तु के नामकरण ही तो हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी उत्तेजना को दूसरे व्यक्ति में संचारित करके प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ होता है |

(3) ये प्रतीक मौखिक हैं :- जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है मूलतः वे मौखिक प्रतीक हैं | ये प्रतीक मनुष्य के मुख से निस्कृत ध्वनिसमूहों से निर्मित होते हैं | प्रतीक तीन प्रकार के होते हैं – स्पर्शग्राह्य, चक्षुग्राह्य, श्रोतग्राह्य | भाषा शब्द स्वतः मनुष्य की वाचिक भाषा का द्योतक है |

(4) भाषायी प्रतीक यादृच्छिक हैं :- भाषा में प्रयुक्त प्रतीक शब्द सार्थक तो होते हैं पर उनसे बोधित वस्तु, भाव या विचार से उनका कोई सहजात या ईश्वरीय सम्बन्ध नहीं होता है | यह सम्बन्ध यादृच्छिक होता है | भाषा के प्रतीक या ध्वनि संकेत रूढ़ अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं | यह रूढ़ी परम्परागत प्रचलन से बन जाती है | शब्द अर्थ का रूढ़ अर्थ हम बिना तर्क या कारण मानते चलते हैं | तुलसीदास ने “ गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न” में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध यादृच्छिक ही है | जैसे – कुत्ते सारे संसार में एक सा ही भौंकते हैं, घोड़े एक साथ ही हिनहिनाते हैं |

(5) भाषा समाज सापेक्ष है :- भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है | समाज में ही उसका उद्भव, पल्लवन और विकास होता है | सामाजिक विचार विनीमय की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया अथवा भाषा की उत्पत्ति ने समाज निर्माण का पथ प्रशस्त किया | व्यक्ति समाज से ही भाषा सीखता है और भाषा द्वारा ही वह समाज से सम्बन्ध स्थापित करता है | सामाजिक सहयोग का मूल आधार भाषा ही है |


भाषा की प्रकृति सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ हैं जो भाषा शिक्षण को अधिक तर्क सम्मत, वैज्ञानिक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं : ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

(1) भाषा अर्जित सम्पत्ति है पैतृक नहीं :- मानव शिशु माँ के उदर से कोई भाषा सीखकर नहीं आता बल्कि जिन भाषा-भाषियों के बीच उसका जन्म, उसका पालन-पोषण होता है और जो भाषा उसे सुनने को मिलती है वही भाषा वह सीख लेता है | अतः बालक जिस समुदाय में रहता है उस समुदाय की भाषा को ही अर्जित कर लेता है |

- (2) **भाषा आद्यंत सामाजिक प्रक्रियां है :** भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का जन्म और विकास, अर्जन और प्रयोग सब कुछ समाज सापेक्ष है। मनुष्य स्वतः सामाजिक प्राणी है और भाषा उसकी ही कृति है भाषा पूर्णतः; एवं आद्यन्त समाज की ही वस्तु है।
- (3) **भाषा अनुकरण जन्म प्रक्रिया है:-** भाषा हम अनुकरण द्वारा सीखते है। शिशु माता-पिता, भाई-बहिन आदि से भाषा का व्यवहार सुन-सुनकर स्वयं बोलने का प्रयास करता है।
- (4) भाषा परम्परागत है व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उत्पन्न नहीं।
- (5) **भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है :-** अनुकरण द्वारा ही हम भाषा सीखते है और यह प्रक्रिया ही भाषा की परिवर्तनशीलता का या दूसरे शब्दों में विकासशीलता का एक प्रमुख कारण है। अनुकरणीय व्यक्ति से अनुकरणकर्ता के शारीरिक और मानसिक गठन की भिन्नता ही अनुकरण की क्रिया में भिन्नता ला देती है और भाषा में परिवर्तन होता जाता है। भाषायी परिवर्तन ध्वनियों, शब्दों, पदबंधो एवं वाक्यरचनाओं आदि सभी स्तरों पर हो सकते है।
- (6) **भाषा कोई अंतिम रूप नहीं है:-** भाषा की परिवर्तनशीलता ही इस तथ्य का परिचायक है कि उसका कोई अंतिम रूप नहीं है।
- (7) **प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है :** ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि की दृष्टि से किसी एक या अनेक स्तरों पर एक भाषा का ढांचा या संरचना दूसरी भाषा के ढांचे या संरचना से भिन्न होगी।
- (8) **भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है।**
- (9) भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है।
- (10) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर विकसित होती है।
- (11) प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है:-भाषा का एक मानक रूप होता है और हमे सदा इस मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए।


3.4 भाषायी कौशल (Language Skills)

भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है और अभिव्यक्ति का माध्यम कौशल होते है। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण अभिव्यक्ति का सैद्धान्तिक पक्ष होता है और भाषा कौशल अभिव्यक्ति की व्यावहारिक भाषा होती है। व्यक्ति की सम्प्रेषण की सक्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर करती है। भाषा की प्रभावशीलता का मानदण्ड बोधगम्यता होती है। मनुष्य जिन विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते है उन्हें कितनी सक्षमता से बोधगम्य करते है यह भाषा कौशलों के उपयोग पर निर्भर होता है। उच्चारित रूप से भाषा का जो व्यवहार होता है उसके भी दो पक्ष है—ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष में सुनना व बोलना कौशल निहित होते है। ग्रहण पक्ष में लिखना व पढ़ना कौशल निहित होते है। भाषायी कौशल मुख्यरूप से चार प्रकार के होते है—सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन चारों कौशलों को भी अभिव्यक्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है—मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति भाषायी कौशल।



Language Skills

Skills	Oral	Written
receptive(अर्थग्रहण)	listening(सुनना)	reading(पढ़ना)
productive(उत्पादक)	speaking(बोलना)	writing(लिखना)



3.4.1 मौखिक भाषायी कौशल (Oral Language Skill)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही करता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के सदस्यों से परस्पर सम्पर्क बनाकर ही करता है और सभी सदस्य आपसी सम्पर्क सिर्फ भाषाओं के माध्यम से ही बनाते है जिसका प्रथम रूप मौखिक या वार्तालाप का कौशल होता है | मौखिक भाषायी कौशल के अंतर्गत सुनना व बोलना दो कौशल आते है | स्त्री व पुरुष जब अपने विचारों को किसी के समक्ष बोलकर व्यक्त करते है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है | मौखिक भाषा में व्याकरण के नियमों की शिथिलता रहती है इसीलिए मनुष्य अपने विचारों को मौखिक रूप से सहज ही प्रकट करता है | मौखिक भाषा प्रायः सांकेतिक, विभिन्न मुख मुद्राओं एवं ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते है | जैसे हम बड़ो को नमस्कार करते है तो दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर प्रणाम का इशारा करते है | हम किसी से बात करते हुए अपनी आँखों, चेहरे, हाथ की गति और स्तर के उतार चढ़ाव के जरिये मौखिक संचार की क्रियाएं करते है | हमारे जीवन की कई भावनाएं जैसे – खुशी, दुःखः, प्रेम, भय आदि मौखिक रूप से व्यक्त करते है | जैसे माँ के गर्भ से निकला हुआ शिशु अपनी भूख को रोकर व्यक्त करता है, एक वर्ष का बालक तुतलाकर व्यक्त करता है, दो वर्ष का बालक अपनी बात को बोलकर या चिल्लाकर मनवाता है जैसे-जैसे उसकी आयु व मानसिक विकास बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उसका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है |


3.4.2 लिखित भाषायी कौशल (Written Language Skill)

हिंदी भाषा की लिखित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को पढ़कर अर्थ समझने और अपने भाव, विचार तथा अनुभवों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति करने में निपुण करता है। बालकों के जीवन में लिखित भाषा का अत्यधिक महत्व है। पाठशाला में प्रवेश होते ही बालक को वर्णमाला लिखाना प्रारम्भ कर देते हैं जो शिक्षा का एक दूषित समझदारी का परिणाम है। बालक से लिखाना तभी प्रारम्भ करायें जब वह मांसपेशियों पर नियन्त्रण रखना सीख जाए। लिखने की प्रथम सोपान चित्रकारी है। महात्मा गांधी के अनुसार “ लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकलासिखाना आवश्यक है उनके अनुसार अक्षर भी चित्र ही है। लिखित भाषायी कौशल के अंतर्गत पढ़ना व लिखना दो कौशल आते हैं। मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष लिखकर व पढ़कर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में लिपि संकेत चिन्हों का महत्व होता है। लिपि व व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है। लिखित भाषा में मौखिक की अपेक्षा स्थायित्व अधिक होता है। लिखित भाषा अधिक श्रमसाध्य तथा समयसाध्य होती है। लिखित भाषा में अर्थ तक पहुँचने में जो प्रक्रिया है वह मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक लम्बी, क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध एवं व्याकरण के नियमों से सुसज्जित होती है। लिखित भाषा में किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर – मराठी, गुजराती, राजस्थानी, व्यक्ति ‘प्रश्न’ को प्रश्न तथा चम्मच को ‘चमस’ कहते हैं लेकिन लिखते समय वे प्रश्न या चम्मच ही लिखते हैं। रेलवे प्लेटफार्म पर भी उद्घोषणा होती है कि – यात्रीजन कृपया ध्यान दे ! “उदयपुर से अहमदाबाद आने वाली गाड़ी साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित समय 16 बजकर 30 मिनट पर प्लेटफोर्म 3 पर आ रही है” इस उद्घोषणा को लिखते समय किसी क्षेत्रीय बोली का प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मौखिक रूप से बोलते समय गुजराती, मराठी, राजस्थानी, हिंदी व अंग्रेजी भाषा के लहजे का प्रभाव दिखाई देगा।

3.5 मौखिक भाषा की प्रकृति एवं महत्व (Nature and Importance of Oral Language)

बात-चीत इन्सान के लिए एक स्वाभाविक क्रिया है। सभी इन्सान घर, परिवार व शाला में बड़ों से, छोटे से तथा शिक्षकों से बातचीत करते हैं जिससे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। मूकबधिर भी अपनी सांकेतिक भाषा में मौखिक ही बातें करते हैं। मौखिक भाषा में भाषण, सवाल-जबाब, निर्देश देना, विवरण देना, कविता या गीत सुनना, नाटक करना, किसी मुद्दे पर सामूहिक चर्चा करना ये सभी आते हैं। प्राचीन शिक्षा में मौखिक भाषा व अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान था। क्योंकि कोई भी बात या घटना विषय की याद को ही स्मृति में रखना पड़ता था उस समय लिखित कार्य नहीं हुआ करता था। ग्रामीण लोक संस्कृति में आज भी मौखिक भाषा ही प्रदान मानी जाती है क्योंकि वह अपने विचारों व भावों को सहजता एवं स्पष्टता से बोल पाता है। मौखिक भाषा को बोलने में दो बातें होना जरूरी हैं – श्रोता व उद्देश्य। श्रोता अलग अलग तरह के होते हैं – एक व्यक्ति, बालक, समूह सभागार आदि। श्रोता के हिसाब से मौखिक भाषा का बदलना स्वाभाविक हो जाता है। जबकी बोलने वालों का उद्देश्य श्रोता को उन्मुख अर्थात् आग्रह पूरा करना होता है। सुनकर समझना और समझ कर बोलना साथ-साथ चलता है। पढ़ना लिखना सिखाने से पहले बच्चे मौखिक भाषा ही सीखते हैं। वे भाषा की जटिल व्यवस्था को कैसे आत्मसात करता है, इसके बारे में

वाईगोत्स्की का मानना है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ सम्पर्क का ही परिणाम है साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है पहली आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मकेंद्रित भाषा के माध्यम से व स्वयं से संवाद करता है जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद करता है। उदाहरणतः बच्चा जब पैदा होता है तब वह रोता है, धीरे-धीरे उसके रोने के तरीके बदल जाते हैं। रोकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना शिशु के सम्प्रेषण का पहला प्रयास है। जब शिशु रोता है तो सब अलग-अलग अनुमान लगाते हैं कि भूखा होगा, पेट दुःख रहा होगा, गीला होगया होगा आदि जैसे माँ के समझ में आता है तो शिशु चुप हो जाता है। यह बच्चे की पहली भाषा है जिसे मौखिक रूप से ही अभिव्यक्त करता है। मौखिक भाषा ही उसके सम्प्रेषण का माध्यम होती है। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति सम्प्रेषण प्रवाह को निम्न डायग्राम द्वारा स्पष्ट किया गया है जैसे –



मौखिक अभिव्यक्ति सम्प्रेषण प्रवाह

बोधप्रश्न –


- (1) बच्चे सहज स्वभाविक भाषा का प्रयोग करते हैं –
(अ) स्कूल में (ब) घर में (स) लिखने में (द) इनमें से कोई नहीं
- (2) मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है –
(अ) सुनना (ब) बोलना (स) पढ़ना (द) अ व ब दोनों
- (3) शिशु के सम्प्रेषण का माध्यम है –
(अ) मौखिक भाषा (ब) लिखित भाषा (स) शब्द विज्ञान (द) इनमें से कोई नहीं
- (4) भाषा के कौशल है –

- (अ) सुनना (ब) बोलना (स) पढ़ना (द) लिखना (य) उपर्युक्त सभी
- (5) जन्म के तदुपरांत शिशु सबसे पहले कौनसा भाषायी कौशल सीखता है?
(अ) सुनना (ब) बोलना (स) पढ़ना (द) लिखना
- (6) एक शिशु किस प्रकार अपने भावों, इच्छाओं एवं विचारों को अपनी माँ के सामने प्रकट करता है ?

उत्तर – रोकर व चिल्लाकर

3.6 लिखित भाषा की प्रकृति एवं महत्व (Nature and Importance of Written Language)

बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे भाषा के बारे में जानकारी होती है। वह अपने परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस की बातें सुनता है और उनको लिखने का प्रयास करता है। बच्चों को अक्षरों के प्रतीकों की पहचान नहीं होती विद्यालय में आने के बाद शिक्षक अक्षरों को लिखाने का अभ्यास करवाता है। लिखित भाषा के अंतर्गत पढ़ना व लिखना क्रिया होती है जो पाठ्यक्रम को सीखने का आधार होती है। लिखना सामान्य अक्षर विन्यास से लेकर रचनात्मक लेखन के उच्चस्तर तक व्याप्त है। लिखने और पढ़ने का आपसी सम्बन्ध है। ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं जो पढ़ा जाता है वह लिखा भी जाता है। **उदाहरणतः** राहुल रोज अपने चार साल के भाई रमन के साथ विद्यालय जाता है। रमन हर दिन कक्षा के एक कोने में बैठ जाता है और कक्षा में पढाई के कार्य को चुपचाप देखता रहता है। एक दिन वह उठकर शिक्षिका के पास गया और उसने बोला तुम मुझे मेरा नाम लिखना सिखाओगी ? शिक्षिका ने मुस्कराते हुए उससे पूछा की वह नाम लिखना सीखना क्यों चाहता है? इस पर रमन का जवाब था “अगर मैं अपना नाम लिखना सीख जाऊंगा तो यह कहानी पढ़ सकूंगा जो कक्षा में टंगी हुई है।” लिखना अपनी बात को कहने का एक सार्थक माध्यम है। लिखने माध्यम से अमूर्त प्रतीकों से अपने विचार व भाव व्यक्त करने आते हैं। वर्णमाला के अक्षर अमूर्त प्रतीक होते हैं। लिखने से अक्षर मूर्त एवं स्थायी बन जाते हैं। लिखने में शारीरिक उर्जा एवं समय अधिक लगता है। लिखित भाषा में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे – कमान से निकला तीर कभी नहीं लौटता और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती अर्थात् भाषा स्थान एवं परिवेश के अनुसार बदलती रहती है। लिखित भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखित भाषा सम्प्रेषण में भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का तरीका इस प्रकार है –



लिखित अभिव्यक्ति सम्प्रेषण प्रवाह

3.7 मौखिक एवं लिखित भाषा की मूलभूत प्रक्रियाएँ(Fundamental Process of Oral & Written Language)

मौखिक एवं लिखित भाषा की प्रक्रिया अत्यंत ही सरल एवं सहज होती है। व्यक्ति अपने विचारों व भावों का आदान-प्रदान बोली या भाषा के माध्यम से करता है तथा दूसरों तक पहुँचाता है यह मौखिक भाषा कहलाती है। यदि व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए लिपिबद्ध लेखन का कार्य करता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है अर्थात् मनुष्य जिन विचारों को बोलकर प्रकट करता है वह मौखिक और जिनको लिखकर प्रकट करता है वह लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक एवं लिखित भाषा की प्रक्रिया में शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा कहते हैं –

पढ़ा	+	लिखा
↓		↓
पढ़ना जानता है।		लिखना जानता है।
मौखिक अभिव्यक्ति करता है।		लिखित अभिव्यक्ति करता है।

(इसमें उच्चारण व सस्वर वाचन आता है – (इसमें वर्तनी, व्याकरण सम्मत भाषा, पत्र लेखन, वार्तालाप, संवाद, वादविवाद, चर्चा, परिचर्चा, निबंध कहानी लेखन आदि आते हैं) विचार – विमर्श आदि)

इस प्रकार मानव अपने जीवन में लिखित कार्य की अपेक्षा बोलने का कार्य अधिक करता है और यहाँ भी सीखने की प्रक्रिया में बालक बोलना पहले सीखता है और बादमे लिखना इसीलिए लिखित की अपेक्षा मौखिक अभिव्यक्ति की भाषा का अत्यधिक महत्त्व होता है।

3.8 अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया (अन्य विषयों के संदर्भ में)(Optimal Learning Process With Respect to Subject Area)

अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया में भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसकी सहायता से अन्य विषयों को भी सरलता से सीखा जा सकता है। जब बालक को अलग-अलग भाषा, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एवं समझ होगी तो वह अन्य विषयों की कठिनाईयों एवं जटिलताओं को आसानी से समझ सकता है। अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य है कि अधिगम को भाषा के माध्यम से सहज ही सीख लेना परिस्थिति व परिवेश के अनुसार अधिगम कर लेना। भाषा की समझ एवं ज्ञान के बिना गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, इतिहास इत्यादि विषयों को नहीं सीखा व पढ़ा जा सकता है इसीलिए भाषा को सीखना या अनुकूल करना अत्यावश्यक है। जैसे गणित विषय के संदर्भ में – कक्षा 7th में मेडम कागज दिखाकर आकृति की पहचान करने को कह रही है। अब यहाँ पर आकृति की संकल्पना की समझ गणित पढ़ाने का उद्देश्य है न कि भाषा। लेकिन वहाँ हिंदी भाषा के उपयोग के माध्यम से गणितीय संकल्पनाओं के समक्ष विकसित करना है। हिंदी भाषा गणित सिखने- सिखाने का माध्यम अर्थात् साधन है और गणित की समझ साध्य है।

दूसरा उदाहरण :- महिला के सिर पर कितने मटके हैं ? पेड़ पर कितनी पतंगें हैं ? यहाँ पर इन वाक्यों का उद्देश्यों विद्यार्थियों को गणितीय गिनती की संकल्पना को समझाना है। भाषा के माध्यम से बच्चे कितने सहज रूप से गणित सीख रहे हैं और अपने आस- पास के जीवन परिवेश से जुड़ रहे हैं।

विज्ञान विषय के संदर्भ में :- जैसे पृथ्वी गोल है, सभी पत्ते हरे रंग के हैं, सभी पत्ते एक जैसे क्यों नहीं हैं, नींबू आम, नीम, तुलसी, पुदीना सभी पत्तों को मसलो एवं सूँघो। क्या सभी की महक एक-सी है ? इन सब उदाहरणों को विज्ञान के माध्यम से ही समझा व सीखा जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा को सरल व सहज बनाने के लिये भाषा को समझना अत्यावश्यक है। भाषा जितनी सरल होगी अधिगम उतना ही अनुकूल होगा वैज्ञानिकों के पास भाषा कथनात्मक, तथ्यात्मक तथा तार्किक हो जाती है। विज्ञान की भाषा सरल सार्वभौमिक और तार्किक होती है। **उदाहरण के लिए :-** ‘पानी’ शब्द को देखे यह पानी भाषिक कवियों के लिए अश्रुजल या गंगाजल होता है लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह मात्र एक तरल प्रदार्थ है जिसे H₂O सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान की भाषा सुनिश्चित एवं सुबोध होती है वह अपनी बात को तर्क पूर्ण ढंग से कहता है। विज्ञान की भाषा में जहाँ तक हो सके, माना जाए, ऐसा ही हो जाए तो इत्यादि शब्दों का कोई स्थान नहीं है।

सामाजिक अध्ययन एवं मानविकी विषय के संदर्भ में – उदाहरणार्थ देखो, कितने सुंदर चित्र बने हैं ? बीमबेटका गुफाये 100 साल पुरानी है। इस चट्टान पर शैलचित्र बने हुए हैं। सांड व हिरणों के चित्र कितने सुन्दर हैं ? तुम सब अपनी कॉपी में अलग-अलग जानवरों के चित्र बनाओ।

इन सभी उदाहरणों का उद्देश्यों बच्चों को सामाजिक एवं ऐतिहासिक विषय का ज्ञान कराना है। ऐतिहासिक भाषा को कितने सरल एवं सुन्दर ढंग से सिखाया जा रहा है। बच्चे भी इन सभी चीजों को सीखने में रुचि ले रहे हैं। भाषा के माध्यम से ही सामाजिक अध्ययन विषय को सरल व सहज बनाया जा सकता है। सामाजिक विषय शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए भाषा के लोकोक्ति एवं

मुहावरे व उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है यहाँ पर भी भाषा एक साधन का कार्य करती है | भाषा की समझ एवं ज्ञान के बिना अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषा विषयों को पढ़ना एवं सीखना आसान नहीं है | इन सभी प्रसंगों में अलग-अलग विषयों को समझाने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थियों को बात समझाने में तथा बात को कहने में मदद कर सकते हैं | इससे पता चलता है कि स्कूल में भाषाओं के उपयोग के अवसर भाषा शिक्षण की कक्षाओं तक ही सीमित नहीं होते बल्कि इसका फैलाव सभी विषयों तथा सभी गतिविधियों तक होता है | इसलिए भाषा सिखने-सिखाने के अवसर सृजित करने की जरूरत है | राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा 2005 के अनुसार- “ भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता बल्कि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित तथा मानविकी विषयों की कक्षाएँ भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती हैं | ”

3.9 विद्यार्थियों की विषयगत उपलब्धि एवं भाषा (Language and Discipline Achievement of Students)

विद्यार्थियों की विषयगत उपलब्धिमें भाषा का महत्व पूर्ण योगदान होता है | यदि बालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होगा तो वह सभी विषयों को सरलता से सीख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और यदि उसको भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह विषय को पढ़ लिख नहीं सकता | इसीलिए भाषा की अज्ञानता का बालक की विषयगत उपलब्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है | बालक की भाषायी समझ अच्छी होगी तो उसकी विषयगत उपलब्धि भी अच्छी होगी और यदि भाषायी समझ कम है तो विषयगत उपलब्धि भी कम होगी | उदाहरणार्थ :- एक ग्रामीण परिवेश का बालक है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्यादा प्रयोग करता है तथा अन्य भाषा को सीखने व बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो निश्चित ही उस बालक की विषयगत उपलब्धि कम होगी | एक शहरी एवं इंग्लिश मिडियम में पढ़ने वाला बालक हिंदी अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से समझता एवं बोलता है तो उसकी विषयगत उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ होगी | इसीलिए हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु को समझने, सीखने, पढ़ने में तथा उसकी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है |

बोध प्रश्न

- (1) लिखित भाषा की प्रकृति कैसी होती है ?
- (2) अनुकूलतम अधिगम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ?
- (3) विषयगत उपलब्धि क्या है ?
- (4) विद्यार्थियों की विषयगत उपलब्धि में भाषा का क्या महत्व है ? उल्लेख करें |
- (5) लिखित अभिव्यक्ति प्रक्रिया में किन भाषायी कौशलों को समिलित किया है ?
- (6) चार भाषायी कौशलों के नाम लिखिए ?
- (7) गणित व विज्ञान विषय के सन्दर्भ में भाषा का क्या महत्व है ?

3.10 सारांश (Summary)

भाषा आचार विचार-विनीमय, भावनाओं एवं इच्छाओं को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के बिना इस संसार में मनुष्य के लिए कोई भी कार्य करना सम्भव नहीं है। भाषा के दो रूप हैं मौखिक एवं लिखित। मौखिक सांकेतिक होती है जबकि लिखित लिपिबद्ध होती है। मौखिक भाषा में भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं वहीं लिखित में लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा से ही अन्य विषयों को जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि को सरलता एवं सहजता से सीखा जा सकता है। भाषा को सरलतापूर्वक सीखने से विद्यार्थी की विषयगत उपलब्धि भी बढ़ती है।

3.11 अभ्यास प्रश्न

1. भाषा क्या है ? समझाइये।
2. भाषा के दो रूप कौन-कौन से हैं ?
3. भाषा को कितने भागों में अभिव्यक्त किया है ?
4. लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं ?
5. मौखिक भाषा से क्या तात्पर्य है ?
6. लिखित व मौखिक भाषा में क्या अंतर है ?
7. लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति सम्प्रेषण को विस्तारपूर्वक समझाइये ?
8. मौखिक अभिव्यक्ति प्रक्रिया में कौनसे भाषायी कौशल आते हैं ?
9. “गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएँ एक तरह से भाषा की ही कक्षाएँ हैं।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए ?
10. अपनी कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की कोई दो गतिविधियाँ लिखिए ?

3.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ. सिंह, निरंजन कुमार (2008), “माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण”, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
- डॉ. मंगल, उमा (2006), “हिंदी शिक्षण”, आर्यबुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली।
- डॉ. शर्मा, खेमराज & ब्रजराज (2012), “हिंदी शिक्षण”, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
- डॉ. पाण्डेय, नित्यानंद & डॉ. गंगाराम शर्मा (2005), “हिंदी भाषा शिक्षण”, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- भाई योगेन्द्र जीत (2006), “हिंदी भाषा शिक्षण”, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- डॉ. चतुर्वेदी शिखा, “भाषा एवं हिंदी साहित्य शिक्षण”, आर लाल बुक डिपो, आगरा।

- डॉ. डबास रामकरण, पारिक शिवराज, “हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता”(SIERT उदयपुर)राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर
- NCF पाठ्यचर्या (2005), “NCERT नई दिल्ली”।
- डॉ. पाठक पी. डी., “शिक्षा मनोविज्ञान” आर लाल बुक डिपो, आगरा |
- डॉ. गाँधी, भारत कुमार, बी एल नापित, “भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में” (SIERT उदयपुर)
- राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर |
- अग्निहोत्री, रमाकांत (2011), “बहुभाषिकता, साक्षरता, भाषाशिक्षण एवं बौद्धिकविकास छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर |
- भारतीय भाषाओं शिक्षण (2009), “आधार पत्र NCERT नई दिल्ली”।
- सिंह सूरजभान (2008), “हिंदी भाषा संदर्भ और संरचना, साहित्य सहकार, दिल्ली”।
- वाजपेयी किशोरीदास, “शब्दानुशासन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली” |
- प्रसाद वासुदेवनंदन(2013) “आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, भारती भवन प्रकाशक, पटना |
- डॉ. त्यागी ओंकारसिंह & एम्. पी. सिंह “शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षा-कक्ष प्रबंध” अरिहंत शिक्षा प्रकाशन जयपुर |

इकाई - 4

कक्षा-कक्ष में भाषा विविधता को संबोधित करने
का माध्यम व साधन, कक्षा-कक्ष में बहुभाषिकता
की सैद्धांतिक समझ/बोध

**Ways and means to address the Language
Diversity in the classroom, theoretical
understanding of Multilingualism in the
classroom**

इकाई की रूपरेखा

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 भाषीय विविधता की अवधारणा
- 4.4 कक्षा कक्ष में भाषीय विविधता
 - 4.4.1 विद्यार्थियों के संदर्भ
 - 4.4.2 शिक्षकों के संदर्भ में
 - 4.4.3 अभिभावकों के संदर्भ में
- 4.5 भाषीय विविधता सम्बन्धी आवश्यकता एवं चुनौतियाँ
- 4.6 भाषीय विविधता सम्बन्धी उपाय
- 4.7 बहुभाषिकता की अवधारणा
- 4.8 कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता की समझ
- 4.9 सारांश
- 4.10 अभ्यास प्रश्न
- 4.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को अपने समुदाय में सम्प्रेषित करने होते हैं। भाव- विचार व अनुभवों के आदान-प्रदान का माध्यम भाषा है। हम यह जानते हैं कि

मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल में मनुष्य छोटे-छोटे समूहों-कबीलों में रहा करता था | भाषा का विकास अपने-अपने समुदायों में होता था, क्योंकि उस समय एक समूह का दूसरे समूह से सम्पर्क दूरियों के कारण नहीं होता था | अपने समूह में व्यक्तियों को भाव-विचार प्रकट करने के लिए संकेतो, प्रतिको, ध्वनियों आदि की सहायता लेनी पड़ती थी | भाषा के निरंतर प्रयोग से अनेक ध्वनियों व संकेतो के प्रयोग से का विकास हुआ | अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की भाषाएँ भी एक-दूसरे से अलग अलग विकसित हुईं और उनके ध्वनि संकेतो में विविधता आती गयी | भाषा के परिवर्तनशील रूप के कारण ही भाषा 'बहता नीर' अर्थात् बहते पानी के समान है | "जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरो के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही 'भाषा' है |

प्रत्येक भाषा की अपनी अस्मिता होती है | अस्मिता का अर्थ है – भाषा बोलने वालो की अपनी पहचान होती है | किसी मनुष्य के बोलने, या बोलचाल से उसकी सभ्यता व संस्कृति का अंकन किया जा सकता है | मनुष्य की रचनात्मकता की अदभूत उपलब्धि भाषा के विभिन्न स्मृतियों, कौशलों और कल्पनों को सहेजती हुई अपने रूप का निखार और विस्तार करती है | आपने ध्यान दिया है ? प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा- कक्ष में विद्यार्थियों के सम्पर्क में आता है जो भिन्न-भिन्न जाति, समुदाय, धर्म व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा कुछ तो विभिन्न भौगोलिक परिदृश्य से आये होते हैं | ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को विभिन्नता की जानकारी हो | अतः यह कहना गलत नहीं होगा की विद्यालय में प्रत्येक कक्षा-कक्ष में विविधता निवास करती है | क्योंकि विद्यार्थी विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म के होते हैं, तो यह स्वभाविक है उनकी भाषा में विभिन्नता होगी | अतः हम एक ही कक्षा-कक्ष में भाषा विविधता व विभिन्नता को देख सकते हैं | उदाहरणतः वर्तमान समय में संचार के उत्कृष्ट माध्यमों के कारण प्रत्येक व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानने व समझने लगे हैं | जाने अनजाने जीवन में हम अनेक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं | जो हमें भाषा विविधता का अभ्यास करता है | अतः कई भाषाओं को समझ सकने व बोलने की क्षमता ही भाषायी विविधता कहलाती है | "Languagae diversity in ability to speak and understand more than one language."

जैसे – गीत गुनगुनाते समय हम जाने अनजाने बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका सम्बन्ध अनेक भाषाओं से होता है |

4.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी व शिक्षक समझ पाएंगे :-

- विद्यार्थी भाषा व भाषा विविधता को जान सकेंगे |
- भाषायी विविधता की अवधारणा को समझ सकेंगे |
- छात्र, शिक्षक व अभिभावक के संदर्भ में भाषायी विविधता के महत्व को जान सकेंगे |
- भाषायी विविधता के संदर्भ में भाषायी विकलांगता को समझ सकेंगे |
- भाषायी विविधता सम्बन्धी आवश्यकता, चुनौतियों व उनके उपाय को समझ सकेंगे |

- बहुभाषा की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- बहुभाषिकता व बहुसंस्कृति को समझ सकेंगे।

4.3 भाषा व भाषा विविधता क्या है ?

(What is Language and Language Diversity?)

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा भावों-विचारों को दूसरों तक पहुँचाया जाता है, जो किसी समूह विशेष के सांस्कृतिक, व्यक्तिगत पहचान व सामाजिकता को एक सांस्कृतिक समूह के रूप में संजोती है। भाषा शाब्दिक व अशाब्दिक या दोनों रूप में होती है। भाषा के लिखित व मौखिक घटक है। अतः भाषागत धारा प्रवाह विकसित करने हेतु उस भाषा की संस्कृति को सीखना व समझना अतिमहत्वपूर्ण है।

विविध भाषीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को अपने कक्षा-कक्ष में भाषीय द्वंद्व से जूझना पड़ता है। क्योंकि भाषा व संस्कृति आपस में बुनी हुई है, बिना संस्कृति को समझे भाषा को समझना कठिन है। जब विद्यार्थी से नये माहौल में नई भाषा को सीखने की अपेक्षा की जाती है। जो भाषीय द्वंद्व में फंस कर भाषीय विकलांगता का शिकार हो जाता है। इसका कारण यह भी है कि नई भाषा को सीखना व उसकी संस्कृति, उसकी पारिवारिक संस्कृति व भाषा से भिन्न होती है। भिन्न-भिन्न भाषाओं का ज्ञान ही भाषीय विविधता कहलाती है।

विश्व में भारत ही एक देश है जिसमें विभिन्न धर्म, समुदाय, भाषा बोलने वाले नागरिक निवास करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी क्षेत्र में कार्य करता हो या विद्यार्थी जो कक्षा-कक्ष में पढ़ रहा है उसे भाषा की समझ के संदर्भ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अतः भारत जैसे देश में सामाजिक सोहार्द्रता को तब ही विकसित किया जा सकता है, जब हम एक दूसरे की भाषा को और संस्कृति को सम्मान दे। दूसरों की संस्कृति व भाषा को ज्ञान के अभाव में, उत्तम विचारों के आवागमन में अवरोद्धउत्पन्न होता है जो कही न कही व्यक्ति की रचनात्मकता व नवाचार को दबाता है तथा समाज के आधुनिकरण को कुंद कर देता है। अतः यह आवश्यक है प्रत्येक स्कूल में भाषीय विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाये तथा बहुभाषीय शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाये। भारत के बहुभाषित परिदृश्य के सिलसिले में एन. सी. एफ. 2005 (NCF-2005)की यह टिप्पणी हमें एक सम्पन्न और सघन भाषा स्थिति से अवगत कराती है-

“भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार के भाषा बोली जाती है बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में पाँच भाषा परिवारों की भाषाएँ नहीं पाई

जाती। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न हैं की उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके नाम हैं- इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन अंडमानी। यह भाषाएँ आपस में सतत सम्पर्क -संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक - भाषिक विशेषताएँ ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पायी जाती हैं। इस बात का सबूत है

की भारत में विभिन्न भाषाएँ और संस्कृतियाँ सदियों से एक-दूसरे को समृद्ध करती हैं। शास्त्रीय भाषाएँ (जैसे- लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल और संस्कृत) विभक्ति प्रधान व्याकरण के मामले में और सौन्दर्यबोध की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रही हैं और हमारे जीवन को प्रदीप्त करती रही हैं क्योंकि अनेक भाषाएँ उनसे शब्द लेती रहती हैं। ”

तात्पर्य है अनेक भाषाएँ एक दूसरे के सानिध्य में फलती-फूलती हैं। भारत का बहुभाषिक परिदृश्य इसी मेल-जोल का परिणाम है। हम विविध संदर्भों में अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हम दोस्तों से जिस भाषा में बातचीत करते हैं ठीक उसी भाषा में अपने अधिकारी से बात नहीं करते। उसी तरह हम खेल के मैदान में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं कम्प्यूटर की चर्चा करते हुए उसी भाषा में बात नहीं करते, अर्थात् संदर्भानुसार भाषा भी बदलती है। ध्यान से देखें तो आप स्वयं बहुभाषी हैं।

जैसे –

- घर में बुजुर्गों से बातचीत करना।
- सब्जी खरीदते हुए।
- अपने प्रधानाध्यापक से बात करते हुए।
- बच्चों को पढ़ाते हुए।

बहुभाषिकता की बात शायद तब तक अधूरी रहेगी, जब तक एक ही परिवार में उपस्थित बहुभाषिता की मौजूदगी को हम अपनी निगाह में न लायें। एक ही परिवार में विभिन्न भाषाओंका सह अस्तित्व भारतीय समाज के अनेक क्षेत्रों में मौजूद है। उसी तरह एकदम स्वाभाविक है कि कोई लड़का या लड़की अपने परिवार में मौजूद पहली पीढ़ी से मारवाड़ी या मेवाड़ी भाषा में बात करता हो, अपने पड़ोसी से हिंदी या मेवाड़ी / मारवाड़ी में बात करता हो, स्कूल-कॉलेज के दोस्तों से हिंदी या अंग्रेजी में और अपना सारा व्यावसायिक काम अंग्रेजी में सम्पन्न करता हो। रमाकांत अग्निहोत्री इस सिलसिले में कहते हैं – “यही नहीं कई परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि दो या अधिक भाषाएँ मिल-जुल जाती हैं। इसी प्रक्रिया में भाषाएँ समृद्ध होती हैं, न की खिचड़ी बनती हैं।”

इन सभी तथ्यों से रूबरू होने के बाद यह बात साफ तौर पर प्रकट हो जाती है कि भाषायी विविधता न तो कोई समस्या है और न ही पिछड़ेपन का प्रतीक, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए वरदान है। शिक्षा क समझ या लोकतंत्र में सहजीवी समझ बनाने की दिशा में भाषा के प्रति बरती गयी संवेदनशीलता और ग्राह्यता (अन्य भाषाएँ सीखना) हमें एक सम्पन्न और समर्थ मनुष्य में परिवर्तित करती है।

4.4 कक्षा-कक्ष में भाषायी विविधता (Language diversity in class room)

शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक छात्र, कक्षा-कक्ष व पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि शिक्षक कक्षा-कक्ष में अध्यापन कार्य को विभिन्न भाषाओं में करवाता है तो विद्यार्थियों को विषय वस्तु को समझने में सरलता व सहजता होती है। क्योंकि कक्षा-कक्ष में विभिन्न क्षेत्रों के

विविध भाषीय विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की भाषा, अधिगम शैली, अध्ययन रुचि एवं संज्ञानात्मक समझ अलग-अलग होती है। इसलिए शिक्षक को भी उनकी रुचियों, इच्छाओं व क्षमताओं के अनुसार अध्यापन कार्य विभिन्न भाषाओं में करवाना चाहिये। इस प्रकार से कक्षा-कक्ष में भाषीय विविधता देखने को मिलती है।

4.4.1 भाषीय विविधता छात्रों के संदर्भ में

भाषा के विभिन्न शोध बताते हैं कि भाषीय विविधता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से गहरा सकारात्मक सम्बन्ध है। इस सिलसिले में 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण'(NCERT, आधारपत्र) की अनुशंसा ध्यान देने योग्य है – "दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी ज्यादा रचनात्मक होते हैं; साथ ही उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई जाती है। भाषिक खाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की व विविधस्तर की समाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होता है। साथ ही इस बात की पक्के सबूत मिलते हैं कि बहुभाषी बच्चे विविध सोच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते करते हैं।" अर्थात् भाषीय विविधता बालक के बौद्धिक स्तर, चिंतन स्तर तथा संज्ञानात्मक स्तर और लोकतान्त्रिक संवेदना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उदाहरण :- कल्पना कीजिए अध्यापक किसी ऐसे इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ के विद्यार्थियों की भाषा-सम्पदा में ज्ञान के अनेक मानक शब्द नहीं हैं। नागौर जिले के दीनबंधु जी की नियुक्ति दौसा जिले के एक गाँव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। दीनबंधु जी छोटे-छोटे बच्चों के साथ घुल मिल गये थे। भाषा में जहाँ भी परेशानी होती वे स्थानीय ढूंढाड़ी भाषा में समझकर समझाने की कोशिश करते हैं। अतः वे बच्चों के प्रिय शिक्षक थे। कहानी में आया कि- "मियाँ मिट्टू बनना बुरी आदत है। इससे आदमी घमंडी बनता है। बच्चों ने ज्यो ही 'मियाँ मिट्टू' शब्द सुना एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। दीनबंधु जी ने बच्चों की मनः स्थिती समझी और कई पर्याय शब्दों से अर्थ समझाने का प्रयास करने लगे। किन्तु बच्चे संतुष्ट नहीं दिखाई दिये, कैसे समझाएँ ...? संयोग से उसी समय विद्यालय की स्थानीय अध्यापिका विमलेश जी वहाँ से गुजर रही थीं। मैडम को देख दीनबंधु जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। चूँकि मानक हिंदी के स्थानीय पर्याय सुझाने में पहले भी मैडम उनकी कई बार सहयोग किया था। लिहाजा मैडम का स्वागत करते हुए दीनबंधु जी ने अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया, मैडम के कक्षा में प्रवेश करते ही सभी विद्यार्थी मैडम के सम्मान में खड़े हो गये। मैडम ने सबको बैठने का संकेत दिया और बच्चों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा- बच्चों जो आदमी बार-बार अपने कार्यों और गुणों का बखान करे उसे क्या कहते हैं? एक बच्चा बोला- बड़ाईलो! अनेक बच्चों ने एक साथ पूछा-मतलब? मैडम ने उत्तर दिया- जो आदमी अपनी बड़ाई खुद करे, उससे ही मियाँ मिट्टू कहते हैं। जब बच्चों ने शब्द का अर्थ सुना तो उन्हें कहानी बखूबी समझ में आ गई। कहना न होगा की दीनबंधु जी ने चैन की साँस ली और मैडम को धन्यवाद दिया।

अतः उल्लिखित अनुभव में हमने देखा कि कैसे भाषीय विविधता की संवेदनशील समझ कक्षा में विषय वस्तु की ग्राह्यता को बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की

संकल्पना को भी मूर्त रूप प्रदान करती है कि विद्यालय के बाहर की दुनिया में आवाजाही बढ़े | भाषीय विविधता की स्वीकृति विद्यार्थी की भाषा की स्वीकृति है |




Diagram 1: Separate underlying proficiency / Common underlying proficiency




Diagram 2: The iceberg analogy

4.4.2 भाषीय विविधता शिक्षक के संदर्भ में

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है की भाषीय विविधता वाली कक्षा-कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु शिक्षक को भाषीय विविधता सीखना अनिवार्य है। भाषीय विविधता के आभाव में शिक्षक अपने ज्ञान का हस्तांतरण करने में स्वयं को असक्षम पाता है। भाषीय विविध कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य कराने हेतु शिक्षक को निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए :-

- (i) शिक्षक स्वयं की संस्कृति को समझे – एक प्रभावी व जागरूक शिक्षक को स्वयं की संस्कृति, सामाजिक मूल्यों व लक्ष्यों का भली भांति ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान के आभाव में शिक्षक अपने तर्कों को तार्किक रूप में रखने में असमर्थ पाता है। स्वयं की संस्कृति के मूल्यों, भाषा ज्ञान व संज्ञान शिक्षक को अपने आस पास के वातावरण को समझने में सहायक होता है। इनका ज्ञान शिक्षक को अन्य शिक्षकों की संस्कृति विभिन्नता व समानता को जानने तथा समझने में बहुत मददगार होता है और वह अन्य संस्कृति को जान कर उनके प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करता है। शिक्षक का ज्ञान व अनुभव उनकी भाषीय विविधता वाली कक्षा-कक्ष में शिक्षक एक आदर्श होता है जिसका अनुकरण विद्यार्थी करता है। विचारों व ज्ञान के आदान-प्रदान से भाषीय विविध कक्षा में शिक्षक स्वयं व विद्यार्थी की संस्कृति का आदर कर विद्यार्थी में गुण विकसित करने में सहायक है।
- (ii) विद्यार्थियों की संस्कृति को समझना – भारतीय कक्षा-कक्ष में सामान्यतः विविधता देखने को मिलती है। क्योंकि यंहा प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न भाषा-भाषी के व्यक्ति निवास करते हैं। अतः प्रत्येक बालक और शिक्षक अलग अलग परिवेश व संस्कृति का वाहक होता है। ऐसे में शिक्षक के लिए यह आवश्यक है की उसे बहुसंस्कृति का ज्ञान हो। शिक्षक की यह जागरूकता व नवीन ज्ञान को सीखने की ललक उसे उसके विद्यार्थियों की संस्कृति व विभिन्नता को समझने में मदद करता है। विद्यार्थी को यह महसूस हो जाता है उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक आधार को भी जगह दी जा रही है। ऐसे कक्षा-कक्ष वातावरण में छात्र स्वयं को सहज महसूस करता है जो विद्यार्थी की सीखने सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनता है।
- (iii) विद्यार्थियों की भाषीय गुणों को समझना – छात्रों के भाषीय तत्वों का ज्ञान शिक्षक को उनके सम्प्रेषण प्रारूप को समझने में सहायक होता है।
- (iv) विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील बनाना – विद्यालयों में शिक्षक ही वो माध्यम है जो बालकों को विभिन्न संस्कृतियों, भाषा, समाज आदि के प्रति संवेदनशील बना सकता है। अलग अलग खेल, पुस्तकों, कार्यक्रमों व जयंतीयों पर कार्यक्रम आयोजित कर बालको को सूचनात्मक जानकारी दी जानी चाहिए जिससे वो नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में अपनी रुचियों का विकास करे।

4.4.3 अभिभावकों के संदर्भ में भाषीय विविधता

अभिभावकों के संदर्भ में भाषीय विविधता देखने को मिलती है। हम अक्सर ये देखते हैं हरे आस पास या हम अपने परिवार को ही ले प्रत्येक सदस्य की भाषा में अंतर मिलता है जिसके कई कारण हो सकते हैं जैसे माता-पिता का भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्र से होना, व्यवसाय या नौकरी के लिए

परिवार के सदस्यों का परिवार से अलग-अलग क्षेत्रों में रहना आदि का प्रभाव बालक की भाषा पर पड़ता है | उदाहरण:- अभिभावक हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, शैखावटी, हाडौती इत्यादि भाषायी क्षेत्र के होते हैं तो उनकी बोलने की भाषा शैली भी वैसी ही होती है ऐसे उन अभिभावकों की भाषा शैली का प्रभाव उनके बालकों की भाषा शैली पर भी पड़ता है | इसीलिए भाषा विविधता में अभिभावकों की भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है |

बोध प्रश्न

1. भाषा से आप क्या समझते हैं ?
2. भारत को भाषीय विविध देश क्यों कहा जाता है ?
3. भाषीय विविधता को परिभाषित कीजिए ?
4. एक शिक्षक को भाषीय विविधता का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है ?

4.5 भाषीय विकलांगता (Language Handicapped)

हम जाने-अनजाने बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं जो विभिन्न भाषाओं से सम्बन्ध रखते हैं | जैसे –अखबार पढ़िए ! हॉस्पिटल चलना चाहिए ! इन वाक्यों में अखबार, हॉस्पिटल फारसी व अंग्रेजी भाषा से लिए गये शब्द हैं | इसी प्रकार हम बहुत सारे ऐसे गाने गुनगुनाते हैं जो भाषा की बहुभाषी प्रकृति का अहसास कराते हैं ! इसी तरह लोग भारत को भाषीय विविधता का देश मानते हैं इसलिए हमारे यहाँ टेलीविजन, अखबारों, रेडियो, दफ्तर, शिक्षा, न्यायालय आदि का कामकाज एक साथ अनेक बाधाओं में होता है | भाषीय विविधता हमें दूसरे से जुड़ने में ही नहीं, बल्कि विभिन्न भाषाओं को समझाने में सहायक होता है | पर सवाल यह उठता है कि भाषीय विविधता का क्या कोई शैक्षिक सन्दर्भ है | किसी बच्चे को विभिन्न भाषा का ज्ञान होना उसके लिए समस्या है या सीखने का बेहतरीन साधन ? जनजातीय या आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी की संकल्पनात्मक (विषय की) समझ या अवधारणात्मक समझ (दृष्टिकोण) के न बन पाने का कारण क्या केवल समझ के कौशल का न होना है या उनका अपनी शिक्षक से संवाद कायम न हो पाना भी है ? स्कूल आने के बाद विद्यार्थी की भाषीय विभिन्नता में कौनसे नये आयाम जुड़ते हैं ? कक्षा-कक्ष में भाषीय विविधता का शिक्षायी अर्थ स्थानीय भाषा में शिक्षण सामग्री का अनुवाद नहीं है | किन्तु इसका मतलब है अन्य भाषा-भाषी समुदाय के प्रति संवेदनशील होने से है | अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में समान पाठ्यक्रम NCERT पर आधारित संचालित किया जा रहा है | इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रदान करना है बिना भेदभाव के | इस हेतु RTE2009 लागू किया गया है जिसके अंतर्गत 25% सीटे SC/ST व आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है | एक ओर तो शिक्षक संस्थाएं विविधता को कम कर बहुभाषियता को बढ़ावा दे रहे हैं वही दूसरी ओर विद्यार्थियों के अन्दर मस्तिष्क द्वन्द बढ़ता जा रहा है | जैसे- एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो ईसाई संस्था के योगदान द्वारा संचालित है | RTE2009 के तहत कक्षा चौथी में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार (OBC) की बालिका प्रवेश लेती है | उसके माता-पिता बहुत अधिक शिक्षित नहीं हैं | किन्तु अपने व अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए वह उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के लिए विद्यालय

में प्रवेश दिला देते हैं। बालिका भी खुशी-खुशी विद्यालय जाना शुरू कर देती है। किन्तु कुछ दिनों बाद वह स्कूल व कक्षा-कक्ष में जाने से कतराने लगती है। कारणों का पता लगाने पर यह बात सामने आई कि वह अपनी कक्षा-कक्ष स्वयं को सहज महसूस नहीं कर पा रही है। क्योंकि स्कूल में आने वाली छात्राएँ अच्छे, सम्पन्न परिवार से हैं, वही उनकी जीवन शैली विविधता है। अतः वह कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं इसलिए उन्हें किसी नवीन परिस्थिति में समायोजन / अनुकूलन करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता तथा वह इन सब के लिए आदतन हो चुकी है। किन्तु छात्र जिसने नवीन प्रवेश लिया है, वह कक्षा-कक्ष में शिक्षक द्वारा पढाई जा रही भाषा शैली, स्वयं की भाषा शैली व पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली व पारिवारिक भाषा के मध्य स्वयं को भाषीय विकलांग पाती है। जिस तेजी से उसे भाषा की समझ विकसित करनी होती है वह नहीं कर पाती और कक्षा-कक्ष में पिछड़ जाती है। अतः इन परिस्थिति में शिक्षक ही अहम भूमिका निभाकर ऐसे बच्चों को उनकी समस्याओं से उभार सकती है।

4.5.1 भाषीय विकलांगता के दोष

भाषा के सम्पूर्ण कौशल विकसित न होने के कारण कहीं न कहीं बालक में भाषा विकलांगता आ जाती है जिस वजह से उसके भावी विद्यालय व कार्य क्षेत्र में समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। भाषीय विकलांगता के निम्न दोष हैं—

- (1) शब्दों के उच्चारण, विस्तार व रुकने आदि के चरों के संदर्भ में शब्दों को अभिवृत्तितात्मक अर्थ विश्लेषण न करना / नकारना।
- (2) कक्षा-कक्ष में प्रयुक्त शब्दों का स्वयं की भाषा शैली में अर्थ निकलने में असमर्थ होना।
- (3) व्याकरण की दृष्टि से वाक्य संरचना को सही न कर पाना।
- (4) शब्दों के उच्चारण में परेशानी व सम्प्रेषण करने में कठिनाई।
- (5) अपने विचारों को विस्तारण करने में स्वयं को असक्षम महसूस करना।
- (6) स्वयं के विचारों को कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत न कर पाना।
- (7) मानसिक द्वन्द की स्थिति से गुजरना जिसके कारण अंतर्मुखी हो जाना।
- (8) नवीन परिस्थिति व नवाचार के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित न कर पाना।
- (9) भाषा के प्रति अरुचि व रुझान कम होना।
- (10) स्वयं की सांस्कृतिक व सामाजिक आधार के प्रति तर्कपूर्ण होने में असक्षम।

4.6 भाषीय विविधता की आवश्यकता व चुनौतियाँ (Challenges and Need of Language Diversity)

4.6.1 भाषीय विविधता की आवश्यकता

- (i) संज्ञानात्मक वृद्धि व शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक है।
- (ii) सम्प्रेषण कौशल विकसित करने व अपने विचारों एवं भावों को प्रभावी रूप में प्रकट करने में सहायक।

- (iii) विद्यार्थी को वैशविक दृष्टी से सजग बनाने, विषय सम्बन्धी रूचि और रचनात्मकता विकसित करने में भाषीयविविधता का ज्ञान होना आवश्यक है |
- (iv) विभिन्न शोधों के माध्यम से यह तर्कपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि बहुभाषा या भाषीय विविधता का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति या विद्यार्थी व शिक्षक अधिक सामाजिक होते हैं |
- (v) बहुभाषिक विद्यार्थी रचनात्मक व विविध सोच रखते हैं तथा इनका विचार विस्तार (thought range) अधिक होता है |
- (vi) भाषीय विविधता बालकों में आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता, विश्लेषण क्षमता व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है |
- (vii) भाषीय विविधता बालको को विविधताओं के प्रति संवेदनशील व विभिन्न विविधताओं का आदर करने का भाव विकसित करती है |
- (viii) भाषीय विविधता बालकों के तीनों संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों को विकसित करने में सहायक है |
- (ix) भाषीय विविधता नवीन ज्ञान का आत्मसातीकरण व अनुकूलन क्षमता को विकसित करने में सहायक होती है |
- (x) विद्यार्थी के स्मृति, बोध व चिंतन स्तर को विकसित करती है |

4.6.2 भाषीय विविधता की चुनौतियां :

- (i) **विभिन्न भाषाओं का गहनता से ज्ञान-** एक ही भाषा अपने अंदर कई उपभाषा व क्षेत्रीय भाषा समाहित करती है | अतः भाषीय विविधता कक्षा कक्ष के शिक्षक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके | इसलिए शिक्षक के सामने यह चुनौती होती है कि वह कैसे अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट करे और अपने ज्ञान को प्रभावपूर्ण ढंग से बच्चों को दे सके |
- (ii) **उच्चारण सम्बन्धी चुनौती** – प्रत्येक भाषा के अंतर्गत व्याकरण से अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का होता है | सही उच्चारण से शब्दों के उचित अर्थ को जानना जा सकता है | उच्चारण अशुद्धि शब्द के अर्थ का अनर्थ कर सुचना को गलत दिशा में मोड़ देता है |
- (iii) **क्षेत्रीय भाषाओं का विद्यार्थी पर प्रभाव** – प्रत्येक प्रदेश व संभाग में अपनी क्षेत्र की भाषा का प्रचलन होता है, इसका प्रभाव हम आम बोल चल की भाषा में स्पष्ट रूप में देख सकते हैं | जैसे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा प्रचलित है- हिंदी भाषा का वाक्य 'में पढ़ रहा हूँ' का मेवाड़ी रूप है :

भण रयो ऊँ |

भण रियो ऊँ |

अतः उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि मेवाड़ी भाषा का कोई रूप नहीं है | भौगोलिक व

- (iv) **विद्यार्थी का सामाजिक आधार सुदृढ़ करने की चुनौती**– भाषीय विविधता वाले देश व राज्य में भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करना एक चुनौती है | क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो बच्चे कभी भी अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकता | प्रत्येक भाषा अपनी विशेषताएँ व संस्कृति की वाहक होती है |
- (v) **विद्यार्थी को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ बनाना**– कोई भी भाषा किसी क्षेत्र, राज्य व देश विशेष की सांस्कृति की पहचान होती है | अतः बालको को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ भाषा ज्ञान द्वारा बनाया जा सकता है |
- (vi) **सम्प्रेषण कौशल का विकास करना एक चुनौती** – बच्चों में सम्प्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण व कुशलता होना आवश्यक है | किन्तु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है | भाषीय विविध कक्षा इस पराक्र की समस्या निवारण हेतु उचित गतिविधि है की हिंदी के पाठों में आये चिड़िया, पुस्तक, कुआँ आदि शब्दों को उनकी क्षेत्रीय विशेष भाषा में क्या कहते है बताए ! इस तरह पूरी कक्षा में एक ही समय में तीन से चार भाषा में इन शब्दों के नए नाम का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को हो जायेगा व अपने ज्ञान में वृद्धि कर बहुभाषिक बन जायेगा |
- (vii) **उचित व योग्य शिक्षको का आभाव** – हमारे देश में जिस तरह की भाषीय विविधता है उसके अनुरूप विविध भाषा का ज्ञान रखने वाले योग्य शिक्षकों की कमी है | अतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कोई भी एक भाषा शिक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए |
- (viii) **भाषा के प्रति विद्यार्थियों की रूचि व रुझान का आभाव** – एक भाषा शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है की भाषीय विविध कक्षा कक्ष में शिक्षण के लिए किस रणनीति का चुनाव करे जिससे छात्रों में भाषा के प्रति रुझान व रूचि को बढ़ाया जा सके |

4.7 भाषीय विविधता सम्बन्धी चुनौतियों के उपाय (Remedy for Language Diversity)

इसका सबसे उत्तम उपाय मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रखना चाहिए क्योंकि मातृभाषा या आस पास की क्षेत्रीय भाषा में उच्च दक्षता स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतवैयक्तिक सवांद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है | दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों का मातृभाषा पर नियंत्रण, शैक्षिक स्तर में रचनात्मकता, सामाजिकता, सहिष्णुता व विविध सोच पाई जाती है | भाषीय विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को कक्षा कक्ष में अधिकाधिक अवसर देने चाहिए जिससे उनकी भाषीय सम्बन्धी समस्याँ व विकारों को दूर किये जा सके | निम्न कुछ उपाय है जिनकी साहयता से बहुत हद तक विकारों को दूर किया जा सके –

- i बालको को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध करना |
- ii विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने का अभ्यास करना |
- iii संबोधन के चिन्ह पर समुचित बल देते हुए पढ़ाने का अभ्यास करना |
- iv प्रश्नसूचक वाक्यों में अंतिम शब्द पर बल देकर पढ़ाने का अभ्यास |

- v सहज गति से पढ़ने का अभ्यास करना |
- vi विचार व भाव अनुरूप वाचन की शिक्षा देना |
- vii पठित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना |
- viii आरोह अवरोह अनुसार पढ़ाने का अभ्यास करना |
- ix गतिपूर्वक पढ़ने का अभ्यास करना |
- x मनोयोग (ध्यान) के साथ पढ़ाने का अभ्यास करना |

बोध प्रश्न

1. भाषीय विकलांगता का क्या अर्थ है ?
2. भाषीय विकलांगता के क्या दोष हैं ?
3. भाषीय विविधता किन पक्षों को विकसित करती है ?
4. भाषीय विविधता की कौन-कौनसी चुनौतियाँ हैं ?

4.8 बहुभाषा की अवधारण (Concept of Multilingualism)

बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। प्रत्येक भाषा की भी अपनी अस्मिता होती है। अस्मिता का अर्थ है- पहचान। भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ है- भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। भाषा की यह पहचान सत्तातंत्र से जुड़ी है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषीय अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत माना है। यही कारण है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने आठवीं अनुसूची की व्यवस्था कर विभिन्न भाषाओं की महत्व को स्वीकारा है। आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय-समय पर यह सूची बढ़ती है अर्थात् सूची में नई-नई भाषाएँ शामिल होती रहती हैं। हम इस बात से भलीभाँति अवगत हैं कि राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों में यह माँग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये अर्थात् राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता को स्वीकार हो।

हम ऐसे प्रसंग पट नज़र डालें जो अक्सर हमारे आस पास घटित होती हैं, पर आमतौर पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जब हम किसी अनजान व्यक्ति या फिर परिचित व्यक्ति से अनेक प्रकार के सवाल पूछते हैं या जिज्ञासाएं जाहिर करते हैं, तब अनजाने ही जवाब के संगत व असंगत क्रमों में क्या एक विशेष दृष्टिकोण की उपस्थिति नहीं पाते हैं ? भाषा वैज्ञानिक डेविड क्रिस्टल का विश्लेषण इस प्रकार से है- “ आप कहाँ से हैं ? आप क्या करते हैं ? ऐसे सवालों के उत्तर में हमारे बोलने के ढंग में छिपे होते हैं ? जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, सुनने वाले (the interlocutor) को बिना ज्यादा सोचे-विचारे और बिना चाहे, अपने बारे में, अपने निजी इतिहास और सामाजिक पहचान के बारे में कई बातों की झलक देते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा, हमारी पहचान का निशान होती है। जो भाषीय संकेत हमारे संवाद में होते हैं, वो इतने विशिष्ट होते हैं कि जानकार (जानने वाला) व्यक्ति उससे बहुत कुछ जान लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा यह दिखाती है कि हम कहाँ के हैं और भाषा ही हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय पहचान का स्वाभाविक बिल्ला या चिन्ह है। ”

अर्थात् दूसरे शब्दों में कहे तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है की विभिन्न पेशों, व्यवसायों या दोनों क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों में हम अलग-अलग भाषाएँ पाते हैं। सभी भाषाएँ अलग-अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोय हुए रहती हैं। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढाँचे को रचते व समझते हैं। एन. सी. ई. आर. टी का आधार पत्र 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' इस संदर्भ में मूल्यवान टिप्पणी करता है—

“यदि भाषा किसी की पहचान सहज बनाती है बजाय इसके जो अस्मिता अस्तित्व में उसकी खोज भर के तो यह अस्मिता संकेतकों की व्यवस्था देखने वाली नहीं तथा प्रतीकों और यादों के ढेर को वहाँ करने वाली नहीं रह जाती, बल्कि इसकी भूमिका और व्यापक हो जाती है, तब यह ऐसी स्प्रिंगबोर्ड हो सकती है, जो हमारे लिए अनेक संभावनाओं की गहराई में गोता लगाने के लिए लाँचिंग पैड का काम करे।”

अर्थात् भाषाएँ हमारी सजझ का विस्तार वहाँ तक करती हैं, जहाँ हम उनका इस्तेमाल विभिन्न विचारों, सांस्कृतिक विरासतों एवं ज्ञान की परम्पराओं को समझने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में हम भाषा के माध्यम से अस्मिता की पहचान करते हैं। आप भली-भाती जानती हैं की अक्सर अलग-अलग स्थितियों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अध्यापन के सिलसिले में आप भी प्रायः स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करती हैं। बहुभाषिकता और शैक्षिक संदर्भों से जुड़े दो मसले महत्वपूर्ण हैं – एक यह कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता की अवधारणा का क्या उपयोग है ? इसके उपयोग से हम भाषा शिक्षण में क्या नया जोड़ सकते हैं ? दूसरा यह कि बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है ? इन दोनों संदर्भों का हम सीखने-सीखाने के क्रम में उपयोग कर शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावी बना सकते हैं। भारत में बहुभाषिकता का संदर्भ पश्चिम के भाषा संदर्भों से अलग है। जहाँ पश्चिम में भाषा शिक्षण की अवधारणाएँ एकभाषी देशों की जरूरतों को ध्यान में रखकर गढ़ी गई हैं, वही भारत स्वभावतः बहुभाषिक देश है, अतः भारत में भाषा के वही आयाम या मानक नहीं हो सकते जो पश्चिम के हैं।

रमाकान्त अग्निहोत्री के शब्दों में :- “बहुभाषिकता केवल साक्षरता में ही नहीं, अपितु भाषा शिक्षण में भी बहुत मददगार हो सकती है। वास्तव में हमारे लिए तो जरूरी है कि हम ऐसे तरीके निकालें जिनका आधार बहुभाषिकता ही हो। दुर्भाग्यवश हम निरन्तर एक भाषी देशों में बनाये गये तरीकों व सामग्री का उपयोग अपने देश में करते रहे हैं।”

वे आगे सवाल उठाते हैं, मुझे कभी यह समझ नहीं आया कि एकभाषी समाज में स्थापित मानदंडों से आप बहुभाषी समाज की क्षमताओं को कैसे नाप सकते हैं ? कहना न होगा बहुभाषिकता पर बात करते हुए हमें एकभाषी देशों के मानदंडों को नहीं अपनाना चाहिये। बहुभाषी देश की कक्षाओं में स्वभावतः अलग-अलग भाषाओं की क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को समस्या मानने की बजाय उनका अध्ययन-अध्यापन में अधिक क्रियात्मक उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी आठवी की कक्षा में अनेक मातृभाषा (जैसे – हिंदी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, पंजाबी, तमिल, बांग्ला आदि) वाले विद्यार्थी हों, तब वहाँ ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है ? ऐसी स्थिति का विश्लेषण करते हुए रमाकान्त अग्निहोत्री कहते हैं :-

“अध्यपक बच्चों से पूछकर हिंदी के कुछ शब्द बोर्ड पर लिख देता है। फिर उन्हीं से उनके बहुवचन पूछकर लिख देता है। अध्यापक का काम लगभग खत्म। अब तमिल बच्चा उठकर उन्हीं शब्दों के

एकवचन या बहुवचन सभी बच्चों को सिखाता व लिखवाता है। देवनागरी लिपि में तमिल लिखी जा सकती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। अध्यापक भी इस प्रक्रिया में कुछ तमिल शब्द सीख रहा है, बच्चों के साथ बैठ। इसके बाद इसी तरह बंगाली बच्चे की बारी आती है। काफ़ी मसाला हो गया दो दिन के लिए? बच्चों को तीनों भाषाओं के एकवचन-बहुवचन बनाने के लिए नियम निकालने है व सारी कक्षा को समझाने है। अध्यापक को भी। "कहना न होगा इस पूरी प्रक्रिया में भाषायी नियमबद्धता और व्याकरणबद्धता की सार्वभौम व्यवस्था बच्चों को सहज ही समझ में आ जाती है। इतना ही नहीं बच्चों को यह भी समझ में आ जाता है कि जितनी व्याकरणबद्ध भाषा हिंदी है उतनी ही तमिल और बांग्ला भी मारवाड़ी या मेवाड़ी भी। भाषाओं की समरूपता और अंतरों को भी बच्चों पहचानने लगते हैं। बच्चों की समझ वैज्ञानिक मानदंडों के मुताबिक विकसित होती है। उसी तरह बहुभाषिकता का प्रयोग ज्ञान के प्रसार में भी होता है।

4.9 बहुभाषिकता की कक्षा-कक्ष में समझ (To understand multilingualism in classroom)

बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे, स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कहीं बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। वे न केवल उन भाषाओं को सही-सही बोल लेते हैं, बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि भिन्न प्रतिभाव वाले बच्चे, जो बोल नहीं पाते वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतनी ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतिकों का विकास कर लेते हैं। भाषाएँ एक प्रकार से स्मृतिकोष का भी काम करती हैं, जिसमें अपने सहवक्ताओं से विरासत में मिले संकेतों के साथ अपने जीवन काल में बनाये संकेत भी शामिल होते हैं। ये वे माध्यम भी हैं जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है, इस लिए इनका मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा सम्बन्ध होता है। वास्तव में, उनका अस्मिता के साथ इतना गहरा सम्बन्ध होता है कि बच्चों की मातृभाषा(ओं) को नकारना या उनको मिटाने के प्रयास उसके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप की तरह लगते हैं। प्रभावी समझ और भाषा(ओं) के प्रयोग के माध्यम से बच्चों विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा अपने आस पास के संसार से अपने आपको जोड़ पाते हैं। जिन बच्चों में भाषा सम्बन्धी अक्षमताओं हों उनके लिए मानक संकेत भाषा अपनाई जाये जिससे उनके सतत और पूर्ण विकास को समर्थन मिलता रहे। विद्यार्थियों की भाषिक क्षमताओं की पहचान से उनका स्वयं के और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।

“बहुभाषिकता, जो बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और जो भारत के भाषा- परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है, उसका संसाधन के रूप में उपयोग, कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। यह केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर इस्तेमाल नहीं है बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और संरक्षित महसूस करे और भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाये।”

अतः बहुभाषिकता भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय करना चाहिए

तथा शिक्षक के द्वारा बालको को अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए जि उनके मौखिक व अभिव्यक्ति कौशलों को विकसित करने में सहायक है।

बोध प्रश्न

1. बहुभाषिकता क्या है ?
2. क्या बहुभाषिकता व बहुसंस्कृति में सम्बन्ध है ?

4.10 सारांश (Summary)

भारत में भाषीय विविधता एक जटिल चुनौती तो है किन्तु वह कई प्रकार के अवसर प्रदान करती है जो बालक के सीखने- सिखाने की प्रक्रिया में सहायक है। भारत केवल इस मामले में अनूठा नै की यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में पांच-भाषा की भाषाएँ नहीं पाई जाती। इस बात का सबूत है कि भासत में विभिन्न भाषाएँ और संस्कृतियाँ सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही है। हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि बहुभाषिकता या द्विभाषी क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिन्तन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ा देती है। सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना किसी भी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा देने का प्रावधान हो, जो कि त्रिभाषा फ़ॉर्मूला को उसके मूलभाव के साथ लागू किये जाने की जरूरत है, ताकि बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे।

4.11 अभ्यास प्रश्न

1. एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग –
 - (i) भाषा सीखने में बाधक है
 - (ii) संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है
 - (iii) अन्य भाषाएँ सीखने की प्रक्रिया को धीमी बनाता है
 - (iv) बच्चों को किसी भी एक भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता
2. भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में का आधार मुख्य है।
 - (i) पाठ्य-पुस्तक
 - (ii) समाज-सांस्कृतिक परिवेश
 - (iii) शिक्षक द्वारा अर्थ बताना
 - (iv) शब्दकोष देखना
3. भाषीय विविधता का ज्ञान क्यों आवश्यक है ?
4. भाषीय विविधता में शिक्षक की क्या भूमिका है ?
5. बहुभाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का क्या कथन है ?
6. भाषीय विविधता का कौनसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
7. भाषीय विविधता का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है?

8. बहुभाषिकता विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप ? स्पष्ट करे।
9. अपने आस पास के वातावरण से बहुभाषिकता का उदाहरण दे ?
10. भारत के बहुभाषित परिदृश्य के सिलसिले में एन. सी. एफ. 2005 (NCF-2005)की क्या टिप्पणी है ?

4.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ. सिंह, निरंजन कुमार (2008), “माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- डॉ. मंगल, उमा (2006), “हिंदी शिक्षण” आर्यबुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली।
- डॉ. शर्मा, खेमराज & ब्रजराज (2012), “हिंदी शिक्षण” अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
- डॉ. पाण्डेय, नित्यानंद & डॉ. गंगाराम शर्मा (2005), “हिंदी भाषा शिक्षण” एच.पी.भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- भाई योगेन्द्र जीत (2006), “हिंदी भाषा शिक्षण” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- डॉ. चतुर्वेदी शिखा, “भाषा एवं हिंदी साहित्य शिक्षण” आर लाल बुक डिपो, आगरा।
- डॉ. डबास रामकरण, पारिक शिवराज, “हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता” (SIERT उदयपुर), राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर।
- NCF पाठ्यचर्या (2005), “NCERT नई दिल्ली”
- डॉ. पाठक पी. डी. (2009), “शिक्षा मनोविज्ञान” आर लाल बुक डिपो, आगरा।
- डॉ. गाँधी, भारत कुमार, बी एल नापित (2014), “भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में” (SIERT उदयपुर), राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर।
- अग्निहोत्री, रमाकांत (2011), “बहुभाषिकता, साक्षरता, भाषाशिक्षण एवं बौद्धिक विकास छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर।
- भारतीय भाषाओं शिक्षण (2009), “आधार पत्र NCERT नई दिल्ली”
- सिंह सूरजभान (2008), “हिंदी भाषा संदर्भ और संरचना, साहित्य सहकार, नई दिल्ली।
- (14) वाजपेयी किशोरीदास, “शब्दकोश अनुशासन, वाणी प्रकाशक, नई दिल्ली
- प्रसाद वासुदेवनंदन (2013), “आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना”, भारती भवन प्रकाशक, पटना।

- डॉ. त्यागी ओंकारसिंह& एम्. पी. सिंह, “शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षा-कक्ष प्रबंध”अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
- www.ncert.nic.in
- www.google.com
- www.amazon.com

इकाई - 5

मातृभाषा और विद्यालय भाषा तथा अध्यापन- अधिगम प्रक्रिया, गतिशील मानक भाषा की शक्ति (विद्यालय भाषा बनाम मातृभाषा)

(The home language and school language and teaching learning process, the power dynamics of the “standard” language as the school language vs home language or dilects)

इकाई की रूपरेखा

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 मातृभाषा
- 5.3 मातृभाषा का महत्त्व-
- 5.4 मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यल-
- 5.5 शिक्षा के माध्यकम के रूप में मातृभाषा का महत्व
- 5.6 अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया
- 5.7 गतिशील मानक भाषा की शक्ति (मातृभाषा बनाम विद्यालय भाषा)
- 5.8 सारांश
- 5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.10 संदर्भ ग्रंथ

5.1 प्रस्तावना

शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। शिक्षक या विद्यार्थी होने के नाते आप अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते है या छात्र आपसे कुछ पूछते हैं या प्रधानाचार्य बुलाकर आपको आदेश देते हैं, प्रशंसा या आलोचना करते हैं, उपरोक्त सभी क्रियाओं में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे लिखकर, संकेत द्वारा, बोलकर। इन

सब के लिए आप किसी भाषा का प्रयोग आवश्यक करेंगे। विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी भाषा का आना बहुत जरूरी है।

प्रस्तुत इकाई में आप मातृभाषा का अर्थ, महत्व और विद्यालय भाषा तथा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, गतिशील मानक भाषा की शक्ति जैसे विद्यालय भाषा बनाम मातृभाषा का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

5.2 मातृभाषा

मातृभाषा का अपने नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है। मातृभाषा बच्चा अपनी मां से सीखता है। पर मां की भाषा को मातृभाषा नहीं कहते हैं। बच्चा जन्म के बाद अपने परिवेश से जो भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बच्चे को उपहार स्वरूप मिलती है। माता, पिता, भाई, बहन या घर के अन्य बड़े लोग बच्चे को भाषा का संस्कार देते हैं।

5.3 मातृभाषा का महत्त्व

भाषा समाज की संस्कृति का आवश्यक तत्व है। वास्तव में भाषा सामाजिक संगठन की सभी क्रियाओं का आधार है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया पर भाषा का प्रभावपड़ता है और वह जो भी क्रिया करता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न बिन्दुओं के आधार पर मातृभाषा शिक्षा के महत्त्व को समझा जा सकता है-

1. शिक्षा का आधार – बालक की मातृभाषा शिक्षा का आधार होती है। उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्यापन के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। बालक को लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षा में मातृभाषा को ही स्वीकार करना अधिक उचित होता है।
2. अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता – एक बालक के लिए अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु मातृभाषा सबसे उपयुक्त भाषा होती है। बालक अपने विचारों और भावनाओं को सरल और स्पष्ट रूप से मातृभाषा में प्रकट कर सकता है। ऐसा वह अन्य किसी भाषा में नहीं कर सकता है। इसलिए मातृभाषा से विचार अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता आती है।
3. मातृभाषाप्रभावोत्पादक – बालक की मातृभाषा पर अच्छी पकड़ होती है। मातृभाषा में बोलने के लिए बालक को विचार नहीं करना पड़ता। इससे अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता आती है। जो दूसरों पर प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मातृभाषा प्रभावोत्पादक होती है।
4. सरसता एवं पूर्णता की अनुभूति - व्यक्ति जन्म के बाद से ही मातृभाषा का प्रयोग करने लगता है। व्यक्ति चाहे कितनी ही भाषाएं सीख जाए लेकिन उसे उसमें सरसता और पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है। बालक को मातृभाषा के ज्ञान से ही सरसता एवं पूर्णता की अनुभूति होती है।
5. सृजनात्मकता का विकास – बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास मातृभाषा में ही अधिक होता है। व्यक्ति चाहे कितनी ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उनमें साहित्य कार्य करना बहुत कठिन कार्य होता है। मातृभाषा में साहित्य कार्यकरना सरल होता है क्योंकि वह बचपन से ही उसके साहचर्य में होता है।

6. व्यक्ति के विकास में सहायक – परिवार और समाज व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार और समाज से ही वह अच्छे संस्कार गृहण करता है। यह कार्य मातृभाषा में ही किया जाता है। माता-पिता और परिवार वाले मातृभाषा में ही बालक को अच्छे बुरे में अन्तर करना सिखाते हैं। यह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है।
7. सांस्कृतिक एकता में सहायक – मातृभाषा हमारी संस्कृति का अभिन्न होती है। किसी भी मानव संस्कृति को समझने और आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि हमें पहले उनकी भाषा को समझें। मातृभाषा द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से अपने विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मातृभाषा द्वारा ही हम अपने रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। मातृभाषा द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं। मातृभाषा ही मानव सभ्यता और संस्कृति का आधार है। मातृभाषा के बिना मानव संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
8. सामाजिक कुशलता– सामाजिक जीवनयापन के लिए व्यक्ति की मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है। मातृभाषा द्वारा ही व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का गठन होता है। मातृभाषा द्वारा ही व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। समाज में मातृभाषा ही व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। इससे सामाजिक कुशलता आती है।
9. भावाभिव्यक्ति का साधन– व्यक्ति के लिए भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन मातृभाषा है। व्यक्ति मातृभाषा से अपने विचारों और भावनाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकता है। मातृभाषा में बोलने के लिए उसे विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह सहज भाव से विचार अभिव्यक्त कर सकता है। व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ मातृभाषा ही व्यक्ति का विचारों और भावाभिव्यक्ति के स्वाभाविक साधन के रूप में विकसित होती रहती है।

अभ्यास प्रश्न-1

1. बालक की ----- शिक्षा का आधार होती है।
2. बालक अपने विचारों और भावनाओं को ----- रूप से मातृभाषा में प्रकट कर सकता है।

5.4 मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य

मनुष्य जीवन की समस्त क्रियाकलापों का माध्यम मातृभाषा होती है। इसलिए मातृभाषा के शिक्षण के उद्देश्य बहुमुखी एवं व्यापक होते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ज्ञानार्जन को ही परम उद्देश्य न मानकर अर्जित ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने पर अधिक बल दिया जाता है। इस दृष्टि से मातृभाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं—

1. भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना – भाषा एक तत्व से नहीं बनती, बल्कि अनेक तत्वों से मिलकर बनती है। जैसे – ध्वनि, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य रचना आदि। इन सब के ज्ञान के बिना व्यक्ति भाषा का उचित प्रयोग नहीं कर सकता है। भाषा का सही प्रयोग नहीं करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे –“रोको मत, जाने दो”। अगर इसमें

रुको के बाद कोमा (अल्पविराम) लगा दिया जाये तो इस का अर्थ ही अलग हो जायेगा। इसलिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

2. विविध साहित्यिक विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना – मातृभाषा के शिक्षण का यह दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति मातृभाषा के शिक्षण द्वारा ही निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य (प्रबन्ध-मुक्तक) गीत एवं गद्य गीत का विस्तार से अध्ययन करता है। इनके अध्ययन द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इनके अध्ययन द्वारा ही व्यक्ति दूसरों से संबंध स्थापित करता है। दूसरों का विश्लेषण करने की शक्ति आती है। इसके अध्ययन के द्वारा ही व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले विधाओं का प्रयोग कर सकता है। जब तक व्यक्ति इन सब का अध्ययन नहीं करेगा तो इन के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं सकता है। अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए रचनाकार्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।
3. विषय वस्तु का ज्ञान – मातृभाषा का शिक्षण व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। भाषा शिक्षण द्वारा ही व्यक्ति को सांस्कृतिक मूल्य, जीवनगत अनुभूतियों, पौराणिक गाथाएं, सदाचार, व्यावहारिक ज्ञान, तथ्यों, घटनाओं, लेखक परिचय, रचनागत विशेषताओं आलोचनाओं, छंद, अलंकार, रस एवं चमत् चित्रण का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा के अध्ययन के बिना इन सब का व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता है। इन सब के अध्ययन से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है।
4. भाषा के साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त करना – यह भाषा के शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य है। भाषा के शिक्षण द्वारा भाषा के विकास के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा के शिक्षण द्वारा विविध कालों की अवधि, विविध कालों के प्रमुख साहित्यकारों की प्रमुख रचनाओं का ज्ञान, विविध कालों की सामान्य साहित्यिक प्रवृत्तियों और विविध साहित्यिक विधाओं के विकास का ज्ञान प्राप्त होता है।
5. शुद्ध वाचन करने की योग्यता प्राप्त करना – मातृभाषा के शिक्षण से व्यक्ति की शुद्ध वाचन करने की योग्यता का विकास होता है। मातृभाषा के शिक्षण द्वारा ही व्यक्ति शुद्ध उच्चारण व उचित स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार-चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा के शिक्षण द्वारा ही व्यक्ति को विरामादि चिह्नों का ज्ञान प्राप्त होता है। जिससे व्यक्ति विरामादि चिह्नों का समुचित ध्यान रखते हुए सस्वर वाचन करता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति को विषयानुसार गतिपूर्णक, प्रसंगानुसार उचित गति और ध्वनि के साथ भावानुरूप सस्वर वाचन करता है।
6. अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना – भाषा के ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति दूसरों द्वारा वर्णित या पठित सामग्री का सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे वार्तालाप, प्रवचन, वादविवाद, भाषण, सस्वर वाचन, कवितापाठ, आदेश-निर्देश, दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम को देखना और सुनना आदि। जब तक व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं होगा, इन सब क्रियाओं का अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता है।
7. शुद्ध लिखकर और बोलकर अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना – भाषा के ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति शुद्ध बोलकर एवं लिखकर अपने भावों एवं विचारों

को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। भाषा के ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति प्रसंगानुसार उचित गति से बोल और लिख सकेगा। व्यक्ति शुद्ध उच्चारण उचित स्वराघात और स्वर के उतार-चढ़ाव की गति, विरामचिन्हों, शुद्ध वर्तनी, व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेगा।

8. लेख कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना – व्यक्ति भाषा का ज्ञान प्राप्त करके लेखन कार्य कर सकता है। इसके लिए वह साहित्य की किसी भी विधा (कविता, निबन्ध, पत्र) का चयन कर सकेगा। व्यक्ति स्वानुभूत भावों एवं विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकेगा।
9. साहित्य और भाषा में रूचि लेना – व्यक्ति में भाषा और साहित्य के अध्ययन द्वारा उसमें रूचि उत्पन्न होगी। वह अच्छी-अच्छी कविताएं एवं उद्धारण कंठस्थ कर सकेगा। वह विद्यालय और विद्यालय के बाहर की साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेगा। वह उपयोगी पुस्तकों का संग्रह कर अपना पुस्तकालय बना सकेगा।

अभ्यास प्रश्न-2

1. मातृभाषा के अध्ययन से व्यक्ति के ----- में निखार आता है।
2. व्यक्तित्व में भाषा और साहित्य के अध्ययन द्वारा उसमें रूचि उत्पन्न होगी।

5.5 शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का महत्व

मातृभाषा में अन्य विषयों की तरह एक विषय ही नहीं है बल्कि यह समस्त विषयों के अध्ययन का माध्यम भी है। व्यक्ति में भाषा से संबंधित ज्ञान जितना अधिक गहरा और व्यापक होता है, उतनी ही तीव्रता और सरलता से अन्य विषयों का ज्ञानार्जन करता है। यदि व्यक्ति को मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो वह उतना स्वाभाविक और बोधगम्य नहीं होता है जितना मातृभाषा में। अतः मातृभाषा में शिक्षण न केवल व्यक्ति के भाषायी और साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि करता है बल्कि उसके अन्य विषयों के ज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। बालक बचपन से ही मातृभाषा के साहचर्य में रहता है, इसलिए उसका भाषायी ज्ञान सम्पन्न और समृद्ध होता है और उसकी अभिव्यक्ति भी कर पाता है। जैसे-जैसे व्यक्ति मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता जाता है—वैसे वैसे उसकी भाषा और भी समर्थ और सम्पन्न होती जाती है। मातृभाषा और शिक्षण की भाषा एक होने से शिक्षण में संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह सहज ही ग्रहण कर लेता है और यह ज्ञान स्थायी होता है। गांधी जी ने मातृभाषा को व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक माना है उन्होंने कहा है कि “मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए मातृभाषा माता का दूध”। गांधीजी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में थे। उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा न होने से दुःखी होकर गांधीजी कहा कि “यदि मैं कुछ दिनों के लिए तानाशाह हो जाऊं तो मातृभाषाओं को तत्काल ही उच्च शिक्षा का माध्यम बना दूं। इसके लिए भले ही उन प्रोफेसरों को हटाना पड़े जो अपने को मातृभाषा में पढ़ाने में असमर्थ कहने में गर्व समझते हैं।” अनेक प्रयासों के बाद माध्यमिक स्तर तक मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। लेकिन आज में भी उच्च शिक्षा और विश्व विद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है। इसकी वजह से भारत में

मातृभाषाओं की स्थिति दयनीय है। भारत ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है। जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बना दिया जाता, तब तक न तो मातृभाषा का विकास हो सकता है ना ही देश की उन्नति हो सकती है। मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम न बनाया जाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि भारत में उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाने के बाद ही मातृभाषा में पुस्तकें लिखी जा सकती है। टैगोर ने इस संबंध में लिखा है कि “मातृभाषा भाषा माध्यम होने पर उसमें पाठ्य पुस्तकें अपने आप लिखी जाएगी। जब वह माध्यम नहीं है तो इसमें पाठ्य पुस्तकें क्यों लिखी जाएगी | पाठ्य पुस्तकों के अभाव में मातृभाषाओं को माध्यम न बनाना वैसी ही बात है जैसे वृक्ष उस समय तक न बड़े जब तक पते पहले न निकल आये या सरिता अपना प्रवाह रोक दें जब तक उसके तटों का निर्माण नहीं हो जाये”

अतः मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाकर उसे अधिक सम्पन्न और समृद्धशाली बना सकते हैं |

5.6 अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया

किसी भी क्रिया को करने या सिखने की एक प्रक्रिया होती है | भाषा अधिगम और शिक्षण का भी एक निश्चित तरीका होता है | भाषाका अधिगम और शिक्षण चार कौशलों द्वारा होता है | ये निम्नलिखित हैं- सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना |

1.6.1 सुनना (Listening)- बालक में विद्यालय जाने से पूर्व ही सुनने व बोलने की शक्ति विकसित हो जाती है | लेकिन उसमें ध्वनियों में अंतर करने की समझ विद्यालय में प्रवेश के बाद ही आती है | बालक अपने पर्यावरण से व्याक्य और शब्दों को सुनकर भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है |

1.6.2 बोलना(Speaking)- बालक दूसरों का अनुसरण कर बोलने का स्वयं प्रयास करता है | बालक जब बोलना आरम्भ करता है तो वह अशुद्ध, तुतलाकर बोलता है | अध्यापक को सदैव बालक को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए | अध्यापक को धैर्य रखना चाहिए | उसको बालक द्वारा उच्चारण किये गये शब्दों की प्रशंसा कर अभिप्रेरित करना चाहिए | अध्यापक को बालक को शुद्ध उच्चारण करने का अधिक से अधिक अवसर देने का प्रयास करना चाहिए | हमेशा बालक के विचारों को सुनना चाहिए न कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए | अशुद्ध उच्चारण पर उसका मजाक न उड़ाकर सदैव सुधार करे | आरम्भ में बालक को दृश्य वस्तुओं के नाम, दैनिक जीवन की वस्तुओं के नाम, रंगों के नाम शब्दों को बोलने का प्रयास कराना चाहिए | इसके बाद बालक को छोटी-छोटी कविताएं और कहानियां सुनाने को कहना चाहिए | तत्पश्चात प्रयाण गीत और बाल गीत को कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहे | इस प्रकार अध्यापक की बालक से अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए और उनका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास चाहिए |

1.6.3 पढ़ना(Reading)- बालक अपने परिवार के साथ रहकर, उनकी बातों को सुनकर और उनसे वार्तालाप कर के अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करता है | विद्यालय में प्रवेश के उपरांत अध्यापक द्वारा बालक को उचित प्रक्रिया द्वारा अक्षर ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिससे उसमें पढ़ने की क्षमता विकसित हो सके | अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को पहले परिचित वस्तुओं, पक्षियों, फलों, सब्जियों और पशुओं के चित्रों को देखाकर उन के नाम प्रत्यास्मरण करवाना चाहिए |

अध्यापक को दैनिक जीवन की वस्तुओं, पक्षियों, फलों, सब्जियों और पशुओं के नाम को उनके चित्रों के साथ लिखकर दिखाना चाहिए। धीरे-धीरे बालक इन नामों और चित्रों को देखकर और पढ़कर परिचित हो जाएगा। अध्यापक द्वारा बालक को अधिक से अधिक पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उसे अक्षरों की ध्वनि का ज्ञान हो सके। इस प्रकार से बालकों के मस्तिष्क में अक्षरों का चित्र अंकित हो जाता है और बालक धीरे-धीरे भाषा को पढ़ना सीख जाता है।

1.6.4 लिखना (Writing)- वस्तुओं, पक्षियों, फलों, सब्जियों और पशुओं के नामों को पढ़ने से बालक के मस्तिष्क में अक्षरों का चित्र अंकित हो जाता है। इससे बालक में प्रत्यास्मरण की क्षमता विकसित हो जाती है। बालक धीरे-धीरे बालक अभ्यास द्वारा शब्दों को शुद्ध और तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है। इसके उपरान्त बालक को लिखना सिखाना चाहिए। लिखना सीखने के लिए भाषा की लिपि के अक्षरों के मोड़ों को सीखाकर, अक्षरों को बिन्दुओं द्वारा लिखकर उनको जोड़ना, हवा में लिखना, मिट्टी में अंगुली से लिखकर अभ्यास करवाना चाहिए। इन सब के साथ अध्यापक को बालक द्वारा कलम को ठीक ढग से पकड़ने एवं ठीक ढग के बैठने आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को पहले सरल वर्णों के शब्दों को लिखाने का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इनको लिखने में सुविधा होती है। पहले बालक को एक दो अक्षरों और एक मात्रा से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करना चाहिए। पठन और श्रुतिलेख द्वारा बालक की लेखन क्षमता को शुद्धता प्रदान की जा सकती है।

इस प्रकार सुनने बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रिया द्वारा बालक में भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न-3

1. जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बना दिया जाता, तब तक न तो मातृभाषा का विकास हो सकता है न ही देश की उन्नति हो सकती है।
2. हमेशा बालक के विचारों को सुनना चाहिए न कि उसे----- करना चाहिए।

5.7 गतिशील मानक भाषा की शक्ति (मातृभाषा बनाम विद्यालय भाषा)

वर्तमान युग भूमंडलीकरण का युग है। भूमंडलीकरण के कारण विश्व के राष्ट्रों के मध्य संपर्क में बढ़ोत्तरी हुई है। एक दूसरे के मध्य संबंधों में दृढ़ता आई है। यह सब व्यापार समुदाय द्वारा विश्व को एक व्यापक बाजार के रूप में विकसित करने से हुआ है। इस सब संबंधों को प्रगाढ़ करने में एक मानक भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भाषा अंग्रेजी है। यह भाषा विश्व में संपर्क का माध्यम बनी है। माध्यम के बिना कोई भी व्यक्ति वार्तालाप नहीं कर सकता है।

जब बालक अपने विद्यालय के प्रारम्भिक वर्षों में दो या दो से अधिक भाषाओं को समझने की योग्यता विकसित करता है तो वह भाषा को किसी प्रकार से प्रयोग करने की गहन समझ विकसित कर लेता है। वह भाषा को निखारने के लिए और अधिक अभ्यास करता है। वह अपनी मातृभाषा और अन्य भाषा में तुलना करता है। गोइथे जो एक जर्मन दार्शनिक है, ने कहा है कि “वह व्यक्ति जो एक ही भाषा जनता है, वास्तव में उस भाषा को नहीं जानता है। शोध से पाता चला है कि दो भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति में विचारने की क्षमता अधिक होती है। इसके परिमाण स्वरूप सूचनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकता है।

भूमंडलीकरण के दौर में आज एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। बच्चे की मातृभाषा दूसरी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो बालक अपनी मातृभाषा की मजबूत नींव के साथ विद्यालय जाता है, उसमें विद्यालयी भाषा की उच्च योग्यता विकसित होती है। भारत में आज भी उच्च शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। इससे मातृभाषा अंग्रेजी की तुलना में पिछड़ती जा रही है। लेकिन अंग्रेजी के महत्व को नाकारा नहीं जा सकता है। विश्व के दूसरे देशों के व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी के बिना दूसरे लोगों की भावनाओं, विचारों और अभिव्यक्ति को समझाना नहीं जा सकता है।

सूचना और वैज्ञानिक क्रांति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगारके अनेक अवसर उत्पन्न हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं जिन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। अंग्रेजी के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अंग्रेजी जानने वालों को सभी जगह वरीयता दी जाती है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण इस का महत्व बढ़ जाता है।

5.8 सारांश

मातृभाषा व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी होती है। व्यक्ति को मातृभाषा से अलग नहीं किया जा सकता है। वह किसी न किसी रूप में व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। व्यक्ति का विकास मातृभाषा पर निर्भर करता है। मातृभाषा के विकास से व्यक्ति का विकास होता है। मातृभाषा का विकास अवरुद्ध होने से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः मातृभाषा को एक विषय के रूप में ही न पढ़ा कर, शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा को बनाया जाना चाहिए।

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. मातृभाषा | 2. सरल और स्पष्ट |
|-------------|------------------|

अभ्यास प्रश्न-2

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. व्यक्तित्व | 2. भाषा और साहित्य |
|---------------|--------------------|

अभ्यास प्रश्न-3

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. मातृभाषा | 2. हतोत्साहित |
|-------------|---------------|

5.10 संदर्भ ग्रंथ

- सिंह, निरंजन कुमार (2008) *माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण*. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी
- गोड़, राधेश्याम शर्मा (2005). *हिंदी शिक्षण*. जयपुर: अरिहंत शिक्षा प्रकाशन
- Dubey, Pramila (2006). *Teaching of English*. Jaipur: Shiksha prakashan
- Mukharjee, H.D. (2013). *Education for fullness*. Uk: Routledge
- मातृभाषा के महत्व का उल्लेख कीजिए।

- मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करो।
- “शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।” इस कथन पर अपने विचार का उल्लेख करो।
- भाषा अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया का वर्णन करो।

इकाई - 6

न्यूनता या कमी का सिद्धांत , निरंतरता या गैर निरंतरता का सिद्धांत एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (Deficit Theory and discontinuity theory of language and teaching- learning process)

इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 निरंतरता एवं गैर निरंतरता का सिद्धांत
- 6.4 न्यूनता या कमी का सिद्धांत
- 6.5 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
- 6.6 सारांश
- 6.7 शब्दावली
- 6.8 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची
- 6.9 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को व्यक्त करता है। भाषा जन्मजात नहीं होती है, इसका प्रयोग कहने, लिखने या संकेत के उद्देश्य से किया जाता है। यह सतत विकास के क्रम द्वारा प्राप्त किया गया होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाषा मानव की सामाजिकता एवं बौद्धिकता के गर्भ से उत्पन्न होता है। इसके द्वारा मानव आज आर्थिक वैज्ञानिक, राष्ट्रीय सामाजिक एवं अंतरराष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में अपने विचार के आदान प्रदान में समर्थ हैं। भाषा मनुष्य के लिए एक ध्वनि संकेत की तरह है। इसका विचारों के लिये भी प्रयोग किया जाता है इसी कारण मनुष्य सबको परख पाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या निरर्थक शब्द संकेत भी भाषा ही है। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रयोग सापेक्ष स्तर में लिया जाता है। भाषा समाज सापेक्ष होती है एवं मानव सापेक्ष भी। समाज एवं मानव से विभक्त होकर इसका न कोई महत्व है और न कोई अस्तित्व ही, चूंकि भाषा का प्रयोग माने करता है नू वह भे अपने समाज में करता है। अतः भाषा सहज सम्मत एवं ग्रहण करने योग्य होती है। भाषा सामाजिक मानव द्वारा अर्जित एक उपलब्धि है। यह अर्जित उपलब्धि पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित सम्बर्धित और परिष्कृत होती रहती है।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- निरंतरता एवं गैर निरंतरता सिद्धांत के महत्व को समझ सकेंगे।
- निरंतरता के सिद्धांत को समझ सकेंगे।
- न्यूनता या कमी का सिद्धांत के महत्व को समझ सकेंगे।
- शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

6.3 निरंतरता एवं गैर निरंतरता का सिद्धांत :(Theory of continuity and discontinuity)

मानव प्रजाति में भाषा की उत्पत्ति कई सदियों के लिए विद्वानों के विचार विमर्श का विषय रहा है। इस के बावजूद, मानव भाषा का परम मूल या उम्र पर कोई आम सहमति नहीं बन पायी है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में इस समस्या का अध्ययन एक कठिन विषय बन गया है। परिणामस्वरूप, भाषा का मूल अध्ययन करने के इच्छुक विद्वानों ऐसे जीवाश्म रिकॉर्ड, पुरातात्विक साक्ष्य, समकालीन भाषा विविधता, मानव भाषा और अन्य जानवरों के बीच मौजूदा संचार की प्रणालियों के बीच भाषा के अधिग्रहण का अध्ययन, और तुलना के रूप में सबूत के द्वारा अन्य प्रकार से अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। कई महानुभावों का तर्क है कि भाषा का उद्भव शायद आधुनिक मानव व्यवहार से संबंधित हैं लेकिन इस संबंध के निहितार्थ और दिशात्मकता के बारे में थोड़ा संदेह भी है।

अनुभवजन्य सबूत के इस कमी के कारण बहुत से विद्वानों ने इसे गंभीर शोध का विषय नहीं माना है। 1866 में पेरिस के भाषाई सोसायटी इस विषय पर किसी भी मौजूदा या भविष्य की बहस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबन्ध बीसवीं सदी की आखिर तक पश्चिमी दुनिया के बहुत से देशों में प्रभावशाली बना रहा है। आज के इस युग भाषा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ होगा की बहुत सी परिकल्पनाएं हैं। इस के बावजूद, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत द्वारा एक सौ साल पहले, प्राकृतिक चयन द्वारा भाषा के विकास के विषय पर कुर्सी अटकलों का भी दौर चला। इसके बाद से 1990 के दशक में, भाषाविदों, पुरातत्वविदों, मनोवैज्ञानिक, मानवविज्ञानियों ने नए तरीकों के साथ समाधान करने का प्रयास किया है।

मानवीय भाषा की उत्पत्ति एवं बात व्यवहार के माध्यम के रूप में इसे लेंबर्ग द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग के सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहा गया जो कि मूलतः डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित सिद्धांत है। दूसरे भाग को गैर निरंतरता का सिद्धांत कहा गया जो इस बात का समर्थन करता था कि मानवीय भाषा को दूसरे जीव जंतुओं की भाषा से तुलना नहीं की जा सकती तथा इसे समझने के लिए मानवीय भाषा का ही अध्ययन करना पड़ेगा। गैर निरंतरता के सिद्धांत को समझने के लिये केवल भाषा की उत्पत्ति को समझना ही पर्याप्त नहीं है। हालांकि इस बात पर अभी चर्चा एवं विवाद दोनों है कि भाषा ग्रहण करने की क्षमता अन्तर्निहित है या वातावरण केंद्रित। कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि इस तरह की क्षमता अन्तर्निहित है क्योंकि चिम्पान्जीयों को

मानवीय परिवेश में रखे जाने के बाद भी उनमें भाषा की योग्यता पैदा नहीं हो पाती जबकि एक गूंगे एवं बहरे बच्चे को जब हम मानवीय परिवेश में रखते हैं तो भी वह बोलने एवं सुनने की एक जटिल संरचना बना लेता है।

भाषा की उत्पत्ति को निम्न मान्यताओं के आधार पर समझा जा सकता है -

1. " निरंतरता सिद्धांत " ऐसे मान्यताओं पर बने हुए हैं जिनमें इस बात पर सहमति है कि भाषा एकाएक अस्तित्व में नहीं आयी होगी क्योंकि भाषा की संरचना बहुत ही जटिल होती है। निरंतरता सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रादुर्भाव अवश्य ही हमारे पूर्वजों के पहले प्री- भाषाई सिस्टम से विकसित हुआ होगा।

गैर निरंतरता सिद्धांत इसके विपरीत होकर अपनी बात कहता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि भाषा जैसी अनूठी विशेषता को हम गैर- मनुष्यों के साथ तुलना नहीं कर सकते। यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि अवश्य ही इस तरह की योग्यता का विकास मानव विकास के क्रम में ही हुआ होगा।

अभ्यास प्रश्न

निरंतरता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ?

गैर- निरंतरता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ?

निरंतरता एवं गैर निरंतरता के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करें।

6.4 न्यूनता या कमी का सिद्धांत (Deficit theory)

न्यूनता या कमी का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। इस मानक स्वरूप के हिसाब से ही किसी लेख या भाषिक टुकड़े की गुणवत्ता को जांचा या परखा जाता है। जैसा कि भाषा का स्वभाव होता है कि उसका प्रवाह सर्वदा कठिनता से सरलता के तरफ होता है। इसी प्रवाह के कारण भाषा का स्वरूप मानक स्वरूप से दूर हो जाता है। जिस भाषा में इस प्रवाह का आभाव होता है वह भाषा मृतप्राय हो जाती है। कई विद्वानों ने अपने अपने तरफ से इस

न्यूनता को परिभाषित करने की कोशिश की है | उदाहरण के लिए – पुरुष की भाषा को मानक भाषा एवं महिला की भाषा को गैर - मानक भाषा समझा जाता है | राबिन लैकाफ (Robin Lakoff) ने 1975 में *Language and Woman's Place* नामक पुस्तक में अपनी इस बात को प्रतिपादित किया है | अपनी बात रखते हुए लैकाफ महोदया ने यह बात प्रतिपादित किया है कि चूँकि समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों की अपेक्षा निम्नतर आकाँ गया है इसलिए भाषा पर भी यही बात लागू होती है |

अभ्यास प्रश्न

न्यूनता या कमी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ?

न्यूनता सिद्धांत को लेकर के लैकाफ महोदय के विचारों को स्पष्ट करें |

6.5 शिक्षण - अधिगम प्रक्रिया (Teaching- learning process)

अधिगम का विषय मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्रियों के लिए सदा से महत्वपूर्ण रहा है। कोई व्यक्ति कैसे किसी व्यवहार को सीखता यह वर्णन करना एक अपने आपमें गहन अध्ययन का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम तथा शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। चूँकि शिक्षण का मूल एवं अंतिम उद्देश्य अधिगम होता है अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण साधन है एवं अधिगम साध्य है। एक यदि प्रक्रिया है तो दूसरा उसका परिणाम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एवं अधिगम में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के Teaching शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण मुख्य रूप से तीन स्तंभों के मध्य की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप एक निश्चित परिणाम निकल कर आता है। इसमें प्रथम स्तम्भ शिक्षक होता है जिसके पास अपनी योग्यता, गुण, अनुभव और अपना दृष्टिकोण होता है। द्वितीय स्तम्भ विद्यार्थी होता है। इसका कार्य अधिगम होता है जिसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसके भी अपनी योग्यता, आदर्श आदि होते हैं। तृतीय स्तम्भ पाठ्यक्रम होता है जिसके द्वारा शिक्षक, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। इन तीनों स्तंभों के मध्य कक्षा में विचारों के आदान-प्रदान की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है।

रायबर्न ने शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-

“शिक्षण के तीन बिंदु हैं- शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह सम्बन्ध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है।”

अधिगम तथा शिक्षण में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक नई चीजों को सीखता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यदि व्यवहार में सुधार को लेकर अधिगम को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि “व्यवहारों का परिमार्जन ही अधिगम है।” वहीं शिक्षण का क्षेत्र अधिगम की तरह व्यापक नहीं है। व्यक्ति शिक्षण के अलावा अपने अनुभव, ज्ञानेन्द्रियों, अनुकरण, अंतर्दृष्टि आदि से भी ज्ञान प्राप्त करता है। उदहारण के लिए बच्चा जन्म के समय पूर्णतः असहाय होता है। वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपने माँ- बाप पर निर्भर रहता है। किन्तु समय के साथ वह स्वयं अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे कि जब वह किसी गरम वस्तु को पकड़ने से जलन का अनुभव करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि अब वह गर्म चीजों को या तो पकड़ेगा ही नहीं या फिर सावधानी बरतेगा। इसी प्रकार बालक विभिन्न परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है।

परन्तु शिक्षण में इतनी व्यापकता नहीं है। प्रत्येक शिक्षण से अधिगम हो यह आवश्यक नहीं होता। शिक्षक बच्चे के लिए परिस्थितियां तो उत्पन्न करा सकता है किन्तु किसी चीज बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। बच्चे का जो पूर्व अधिगम होता है वह शिक्षण के स्तर तथा गति को प्रभावित करता है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा के छात्रों के पूर्व अधिगम के आधार पर ही शिक्षण का आयोजन करे और उसी अनुरूप शिक्षण प्रविधियां और नीतियां बनाये। इस प्रकार शिक्षण सिद्धांतों का विकास अधिगम सिद्धांतों के आधार पर होता है। अगर देखा जाये तो शिक्षण और अधिगम परिस्थितियों का व्यवस्थीकरण है।

विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण में बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, इच्छाओं, योग्यता, प्रतिभा, कठिनाईयों और व्यक्तित्व से सम्बंधित अन्य भिन्नताओं को ध्यान में रख कर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। आदर्शवाद में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता था जिसका उद्देश्य बालक के मष्तिष्क में ज्ञान को भरना मात्र था। परन्तु प्रकृतिवादी शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के केंद्र में बालक को रखा और उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया। रूसो ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और पाठ्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण बालक की रुचि, योग्यता, इच्छा, आवश्यकता आदि होती है जिसके अनुसार ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो के विचारों का समर्थन करते हुए पेस्टालाजी, फ्रोबेल आदि ने भी बाल केन्द्रित शिक्षा पर बल दिया और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को जन्म दिया।

आधुनिक समय में शिक्षा प्रणाली बाल केन्द्रित है जिसमें बालक का स्थान प्रमुख है अर्थात् **“शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है।”** वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि शिक्षक को विषयों के ज्ञान के साथ-साथ बालकों के मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, मानसिक स्तर, व्यक्तित्व आदि की भी पूरी जानकारी रखे और उसी के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करे।

बाल केन्द्रित शिक्षा के अंतर्गत ऐसी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है जिससे बच्चा आसानी से किसी चीज को सीख जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं, मूल्यों और सीखने के सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक आधार बनाया जाता है। रूसो ने बालक के सम्बन्ध में लिखा है कि **“बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अद्योपांत पढ़ना पड़ता है।”**

शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के गुणों को बदलना :

शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के गुणों में धीरे- धीरे बदलाव किया जाता है अर्थात् शिक्षा काल में सद्गुणों का विकास किया जाता है। इस विकास के द्वारा बालक में सामाजिकता और नागरिकता का विकास होता है। सामान्यतः देखा जाये तो शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुणों का विकास या बदलाव होता है-

1. शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी को उसके जीवन से सम्बंधित उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है।
2. शिक्षण से विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों का विकास होता है।
3. विद्यार्थी में संवेदनशीलता का विकास होता है।
4. विद्यार्थी में वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता विकसित होती है।
5. शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी में आत्माभिव्यक्ति का विकास होता है जिसके द्वारा वह अपने अनुभव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर पता है।
6. शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी में क्रियात्मक पहलू का विकास होता है।
7. शिक्षण से विद्यार्थी की वैयक्तिक रुचियों का विकास होता है।
8. शिक्षण से विद्यार्थी में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति की भावना जागृत होती है।
9. विद्यार्थी में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है।
10. शिक्षण द्वारा विद्यार्थी नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित होते हैं।
11. शिक्षण विद्यार्थी में पाई जाने वाली पाशविक प्रवृत्तियों को समाप्त करता है तथा उसमें मानवीय गुणों का विकास करता है।
12. यह विद्यार्थी को उपयोगी और उपयुक्त राह की ओर अग्रसर करता है।

अभ्यास प्रश्न

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या करें |

“शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है इस कथन की व्याख्या करें।”?

शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के गुणों को किस प्रकार से बदला जाता है ?

6.6 सारांश

भाषा मानव की सामाजिकता एवं बौद्धिकता के गर्भ से उत्पान होता है | इसके द्वारा मानव आज आर्थिक वैज्ञानिक , राष्ट्रीय सामाजिक एवं अंतरराष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में अपने विचार के आदान प्रदान में समर्थ हैं | भाषा मनुष्य के लिए एक ध्वनि संकेत की तरह है | इसका विचारों के लियी भी प्रयोग किया जाता है इसी कारण मनुष्य सबको परख पाता है | निरंतरता सिद्धांत ऐसे मान्यताओं पर बने हुए है जिसमें इस बात पर सहमति है कि भाषा एकाएक अस्तित्व में नहीं आयी होगी क्योंकि भाषा की संरचना बहुत ही जटिल होती है | निरंतरता सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रादुर्भाव अवश्य ही हमारे पूर्वजों के पहले प्री - भाषाई सिस्टम से विकसित हुआ होगा | गैर निरंतरता सिद्धांत इसके विपरीत होकर अपनी बात कहता है | इस सिद्धांत की मान्यता है कि भाषा जैसी अनूठी विशेषता को हम गैर- मनुष्यों के साथ तुलना नहीं कर सकते | यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि अवश्य ही इस तरह की योग्यता का विकास मानव विकास के क्रम में ही हुआ होगा | न्यूनता या कमी का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी भाषा का एक मानक स्वरूप होता है | इस मानक स्वरूप के हिसाब से ही किसी लेख या भाषिक टुकड़े की गुणवत्ता को जांचा या परखा जाता है | जैसा कि भाषा का स्वभाव होता है कि उसका प्रवाह सर्वदा कठिनता से सरलता के तरफ होता है | इसी प्रवाह के कारण भाषा का स्वरूप मानक स्वरूप से दूर हो जाता है |

6.7 शब्दावली

- **निरंतरता सिद्धांत** : निरंतरता सिद्धांत ऐसे मान्यताओं पर बने हुए हैं जिसमें इस बात पर सहमति है कि भाषा एकाएक अस्तित्व में नहीं आयी होगी क्योंकि भाषा की संरचना बहुत ही जटिल होती है | निरंतरता सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रादुर्भाव अवश्य ही हमारे पूर्वजों के पहले प्री- भाषाई सिस्टम से विकसित हुआ होगा |
- **गैर निरंतरता सिद्धांत** : गैर निरंतरता सिद्धांत इसके विपरीत होकर अपनी बात कहता है | इस सिद्धांत की मान्यता है कि भाषा जैसी अनूठी विशेषता को हम गैर मनुष्यों के साथ तुलना नहीं कर सकते | यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि अवश्य ही इस तरह की योग्यता का विकास मानव विकास के क्रम में ही हुआ होगा |

6.8 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार 2000 (संपादकग), हिंदी देशकाल में
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेजेस 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविचा
- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।

- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, केंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, वैफब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्युनिव्हेशन, केंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉसफिकल डिसकोर्स ऑफ मॉडर्निटी, केंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमला।
- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।
- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुव्हेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचडू स.जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, केंब्रिज :केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इपैफक्ट ऑफ बैलिंगुअलिज्म ऑन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 14:25-38
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुअलिज्म, नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद्व), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुव्हेशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- व्योगोत्सकी, एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैफब्रिज, मास: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग टी. ई. एस. ओ. एल. त्रैमासिक, 19.1

- इस वेबसाइट को जरूर देखें : <http://www.languageindia.com>

6.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. निरंतरता सिद्धांत एवं गैर निरंतरता सिद्धांत में क्या अंतर है स्पष्ट करें।
2. गैर- निरंतरता सिद्धांत के संप्रत्यय को स्पष्ट करें।
3. कमी या न्यूनता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट करें।
4. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या करें

इकाई 7

कक्षा के संवाद की प्रकृति को समझना, विषय सम्बंधित क्षेत्र में अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति

(Understanding the nature of classroom discourse, strategies for using oral language in the classroom to promote learning in the subject area)

इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 कक्षा में संवाद की प्रकृति
- 6.4 विषय सम्बंधित क्षेत्र में अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति
- 6.5 मौखिक भाषा की विशेषताएं
- 6.6 मौखिक भाषा के तत्व
- 6.7 विषय सम्बंधित क्षेत्र में अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति
- 6.8 सारांश
- 6.9 शब्दावली
- 6.10 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची
- 6.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

भाषा मानव समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ध्वनि के विविध स्वरों और प्रस्तुतीकरण के अन्यान्य रूपों के माध्यम से सृष्टि के समस्त प्राणी परस्पर सूचनाओं एवं भावनाओं का सम्प्रेषण करते हैं। हमारे आज के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हम ज्यादातर भाषा के लिखित एवं मौखिक स्वरूप पर निर्भर रहते हैं। मौखिक भाषा की सहायता से ही विद्यार्थी एवं शिक्षक कक्षा में संवाद स्थापित कर पाने में सफल होते हैं जो कि उनके ज्ञानार्जन का मूल आधार होता है। विज्ञान हो या कला वाणिज्य हो या संगीत सभी तरह के विषयों का मूल ज्ञान संवाद एवं मौखिक भाषा से ही

प्राप्त किया जाता है। अतः विभिन्न विषयों के अधिगम में भी मौखिक भाषा संवाद स्थापित करने के लिए एवं ज्ञानार्जन के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- कक्षा में संवाद की प्रकृति को समझ सकेंगे।
- मौखिक भाषा के महत्व को समझा सकेंगे।
- मौखिक भाषा के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
- मौखिक भाषा में दक्ष होने की रणनीतियों को समझा सकेंगे।
- मौखिक भाषा की आवश्यकता को बता सकेंगे।

7.3 कक्षा में संवाद की प्रकृति (Nature of classroom discourse)

कक्षा कक्ष में संवाद का अपना ही महत्व है क्योंकि कक्षा में संवाद के द्वारा ही अधिकांश अधिगम संपन्न होता है। इसके अभाव में अधिगम की कल्पना ही संभव नहीं है। बेहतर अधिगम के लिए बेहतर संवाद भी आवश्यक है। बेहतर संवाद से तात्पर्य स्वस्थ संवाद से है जिसमें कि विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों की भरपूर सहभागिता हो। एकांगी बातचीत (One way talk) का कक्षा में कोई विशेष महत्व नहीं होता है क्योंकि यह कक्षा कक्ष को शिक्षक केंद्रित बना देता है। यदि कक्षा में संवाद दोनों ही तरफ से (विद्यार्थी एवं शिक्षक) के तरफ से आवश्यकतानुसार ठीक ढंग से हो रहा है तो इस तरह का अधिगम सदैव बेहतर होता है। कक्षा में संवाद की प्राकृति को निम्न तरीके से समझा जा सकता है।

1. लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति
2. अलोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति

लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति (Democratic Discourse Situation): लोकतांत्रिक संवाद परिस्थितियाँ वो परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें विद्यार्थी एवं शिक्षक को सामान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस तरह के सम्वाद में विद्यार्थी अपनी सभी समस्याओं का निदान बिना किसी डर एवं हिचक के कर लेता है। आधुनिक विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली इसी संवाद परिस्थिति पर केंद्रित होती है। इस तरह के संवाद परिस्थिति में अधिगम प्रक्रिया बहुत तेज एवं स्पष्ट होती है।

अलोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति (Non-Democratic Discourse Situation): अलोकतांत्रिक संवाद प्रकृति विद्यार्थी केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें विद्यार्थियों के स्थान पर शिक्षक की प्रधानता होती है। इस तरह के संवाद में विद्यार्थी के पास अधिगम होने की संभावना बहुत कम होती है। इस विधि में सामान्यतः शिक्षक भाषण विधि से पढाता है जिससे विद्यार्थी को प्रश्न पूछने की संभावना घट जाती है एवं वह अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है।

उपरोक्त दोनों विधियों लोकतांत्रिक संवाद विधि ज्यादा प्रभावशाली एवं लोकप्रिय मानी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने भी लोकतांत्रिक संवाद विधि को ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना है।

अभ्यास प्रश्न

कक्षा में संवाद की प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए ?

लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति से आप क्या समझते हैं ?

अलोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति से आप क्या समझते हैं ?

लोकतांत्रिक एवं अलोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति में अंतर स्पष्ट करें ?

7.4 विषय सम्बंधित क्षेत्र में अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति (Strategies for using oral language in the classroom to promote learning in the subject area)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह अपने सोच एवं विचार को एक दूसरे तक लेन- देन करना चाहता है। इस काम के लिए वह भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग करता है। वाणी (Speech) व लिखित रूप (Written form)– जब व्यक्ति, ध्वनियों के माध्यम से, मुख के अवयवों के मदद से, उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस तरह से मुख से अभिव्यक्त होने वाली भाषा मौखिक भाषा (Oral Language) है और मुख के अवयवों के द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति है।

मौखिक भाषा का महत्व (Importance of Oral Language): मानव जीवन की जितनी भी मूलभूत जरूरतें हैं, उनमें भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति भी एक अनिवार्यता है। जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक भाषा का अपना ही महत्व है। इसके महत्व को निम्नलिखित दृष्टि से देखा जा सकता है –

1. मौखिक भाषा के प्रयोग से कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अटल बिहारी वाजपेयी के शास्त्रीय भाषणों (Classical speeches) का उदाहरण ले सकते हैं।
2. बालक के अंदर जिज्ञासा जन्म लेती है वह तरह के प्रश्न पूछ कर अपनी इस जिज्ञासा को शांत करता है और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इससे उसके स्वाभाविक विकास में सहायता मिलती है। उसके आत्म विश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्तित्व में निखार आता है।
3. भाषा शिक्षण का एक स्वाभाविक क्रम है – बोलना, सुनना, पढ़ाना और लिखना। बालक को मौखिक भाषा का प्रयोग सुनाने और बोलने में दक्ष बनाता है। यह बोल-चाल हे पढ़ने – लिखने के कौशल को विकसित करने का आधार बनता है।
4. मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है। मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप में दूसरे के सामने व्यक्त कर पाता है।
5. दैनिक जीवन में सभी कार्य-कलापों में मौखिक भाषा ही प्रयोग होती है। अपने समाज में, परिवार में अन्य सदस्यों के साथ विचारों का आदान – प्रदान करने के लिए तथा अपनी बात उनसे कहने व उनकी बात समझने के लिए भाषा के इसी रूप का प्रयोग करना होता है।
6. मौखिक भाषा के द्वारा विचारों को नए ढंग से आदान-प्रदान में बढ़ोत्तरी की जाती है। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित कर लेता है।
7. वार्तालाप, बोलचाल या प्रश्नोत्तर द्वारा सीखी गयी विस्वास्तु अपना स्थायी प्रभाव छोड़ती है। इस प्रकार विद्यालय में शिक्षण – पद्धति को रोचक व प्रभावशाली बनाने में भी मौखिक भाषा का अत्यधिक महत्व है।
8. सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने एवं सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है।
9. राजनीतिक जीवन में आधुनिक युग में तथा सफलता की दृष्टि से भी मौखिक भाषा का अपना महत्व है। एक नेता अपनी भासन-कला के द्वारा ही जन-समुदाय को अपना बना लेता है और अपनी बातचीत के द्वारा अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर लेता है।
10. विद्यालयी पाठ्यक्रम में सभी विषयों की शिक्षा में मौखिक भाषा ही प्रमुख माध्यम होता है।

अभ्यास प्रश्न

मौखिक भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए।

मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं ?

भाषा शिक्षण का स्वाभाविक क्रम क्या है ?

मौखिक भाषा के पांच महत्व को उदाहरण सहित समझाएं।

7.5 मौखिक भाषा की विशेषताएं (Characteristics of Oral Language)

ऐसे तो बालक अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग स्वतः ही करने लगता है परन्तु विद्यालय में औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर भाषा के अद्यापक को इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वह मौखिक भाषा- कौशल को विकसित करने की दृष्टि से छात्रों को किस तरह से बोलना सिखाये और उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को क्या दिशा प्रदान करे। इसके लिए उसे मौखिक भाषा के निम्न गुणों की जानकारी होना आवश्यक है।

1. **अवसर के अनुकूल (According to Occasion)** : अवसर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जीवन के विभिन्न अवसरों पर हर्ष, उल्लास, शोक, दुःख, दया, सहानुभूति एवं प्यार आदि भावों को व्यक्त करना पड़ता है। इन भावों के अनुकूल ही उचित हाव- भाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करनी चाहिए।
2. **शिष्टता (Humbleness)** : किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्ट मौखिक अभिव्यक्ति सामाजिक संबंधों को बिगाड़ देती है।
3. **श्रोताओं के अनुकूल भाषा (Language as per the standard of the listener)**: जिस स्तर के व्यक्तियों से बात की जाए उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

4. **स्वाभाविकता (Naturality) :** बोलने में स्वाभाविकता होनी चाहिए | बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो जाता है | अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है | स्वाभाविक भाषा एवं अभिव्यक्ति विश्वसनीय होती है |
5. **मधुरता (Sweetness):** मौखिक अभिव्यक्ति में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए | वाणी की मधुरता ही व्यक्ति को मित्र बना लेती है और कठोरता शत्रु बना देती है | मीठी वाणी का प्रयोग का किसी व्यक्ति से सहजता से काम निकाला जा सकता है |
6. **प्रवाहिकता (Fluency):** मौखिक अभिव्यक्ति में उचित प्रवाह होना चाहिए | विराम चिन्हों के उचित पालन से अभिव्यक्ति में सम्यक गति व प्रवाह आ जाता है | कान्हा कम रूकना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, कहाँ प्रश्नसूचक गति देनी है, कहाँ विस्मयजनक, इन बातों के उचित पालन से अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली बन जाती है |
7. **सर्वमान्य भाषा (Universal Language) :** मौखिक अभिव्यक्ति में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए | अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस बन जाता है |
8. **सरलता (Simplicity):** जो भी बात कही जाए उसके लिए सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए | अभिव्यक्ति का लाभ तभी है जब वह श्रोता को समझ में आ जाए |
9. **शुद्धता (Correctness) :** बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए | उच्चारण भी शुद्ध होना चाइये | अशुद्ध उच्चारण व अशुद्ध भाषा के वक्तव्य प्रभावहीन हो जाता है |
10. **स्पष्टता (Clarity) :** बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए | जो भी बात कही जाए स्पष्ट एवं साफ़ होनी चाहिए | बात को घुमा – फिराकर नहीं बल्कि सीधे शब्दों में साफ़- साफ़ कहना चाहिए |

अभ्यास प्रश्न

मौखिक भाषा के कौन से गुण इसको अन्य माध्यमों से अलग बनाते हैं ?

मौखिक भाषा के विशेषताओं पर प्रकाश डालें |

मौखिक भाषा के प्रवाहिकता पर एक टिप्पणी लिखें |

7.6 मौखिक भाषा के तत्व (Elements of Oral Language)

मौखिक भाषा जन सामान्य के व्यवहार की वस्तु है और इसका उद्भव सामाजिक जीवन के विविध व्यवहारों के संचालन के लिये ही हुआ। समाज समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है और भाषा उसी की अनुगामी बनी रहती है। किन्तु भाषा का त्वरित परिवर्तन किसी भी प्रकार आवश्यक और उपयोगी नहीं है। इसलिए भाषा के स्वरूप को स्थायित्व दिए जाने की ज़रूरत है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाषा के तत्वों का अध्ययन और उसके संरक्षण का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ भाषा के स्वरूप को समझने और सही भाषा प्रयोग के लिये भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण किया जाना चाहिए।

1. **वाक्य शब्द और अक्षर** : मौखिक भाषा वाक्यों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। वाक्य मौखिक भाषा के मौलिक इकाई है। मौखिक भाषा में यदि कभी शब्द या क्षर का एक इकाई के रूप में प्रयोग होता है तो वह भी वाक्य का स्थानपन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि “क्या तुम बाज़ार गए थे ? इस प्रश्न के उत्तर में हाँ कहा जाता है ति इसका तात्पर्य है कि हाँ में बाज़ार गया था। इस प्रकार वाक्य मौखिक भाषा की मौलिक इकाई है। बालक जब परिवार की भाषा के अनुकरण से मातृभाषा ग्रहण करता है तो वाक्य रूपी शब्दों से ही भाव सम्प्रेषण करता है। यदि वह पानी कहता है तो तात्पर्य होता है कि प्यास लगी है। इस प्रकार से भाषा सीखने और प्रयोग करने का स्वाभाविक क्रम वाक्यों से आरम्भ होता है।
2. **विषयानुकूल भाषा शैली** : समाज में व्यवहार के लिए विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न विषयों के बारे में और विभिन्न लोगों से बातचीत का तरीका सीखना आवश्यक है। शिक्षित और अशिक्षित, ग्रामीण व शहरी लोगों की भाषा में अंतर होता है। इसी क्रम में औपचारिक और अनौपचारिक, कार्यालयी और व्यापारिक भाषा रूपों में अंतर होता है।
3. **उचित स्वर गति, बालाघात और विराम** : समाज में भाषा – प्रयोग एक संवेदनशील मुद्दा है। इसके लिए अनेक प्रकार के की कुशलताओं और सावधानियों की अपेक्षा होती है। इसमें स्वर और गति शामिल हैं। स्वर का तात्पर्य है बोलते हुए आवाज़ की उच्चता या मंदता और गति का तात्पर्य है बोलते हुए ज़ल्दी – ज़ल्दी या धीरे – धीरे बोलना। सदा ऊँची या नीची आवाज़ में बात करना सफल वाकशैली नहीं कही जा सकती।
4. **विषय / भावानुकूल शब्दचयन** : भाषा में एक प्रकार के भावों और स्थितियों को प्रकट करने के लिए एक सामान प्रतीत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इन शब्दों के भाव और अर्थ में किंचित अंतर होता है जो कथन को अधिक प्रभावी बनाने में उपयोगी होता है। जनसाधारण इन शब्दों में स्पष्टतः भेद नहीं कर पाते इसलिए जो शब्द सामने पड़ता है उसी का प्रयोग कर डालते हैं।
5. **हाव भाव एवं अंग संचालन** : भाषा समाज की जीवन्तता और गतिशीलता की कुंजी है। बात करते हुए मनुष्य तो क्या पशु भी अंग संचालन अवश्य करते हैं। इससे कथ्य जीवंत और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। हाव- भाव का तात्पर्य है बात करते हुए माथे की सिकुडन तथा शरीर के ने हिस्सों के हरकतों से कथ्य कपो अधिक स्पष्ट और भावपूर्ण बनाने का प्रयास करना। इसी प्रकार का प्रयास जब हाथों की अंगुलियां, मुट्टी, बाजू और कन्धों की सहायता से होता है तो अंग- संचालन कहलाता है। वास्तव में जैसे भाव अपनी

अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का आश्रय लेते हैं जैसे ही हाव- भाव एवं अंग- संचालन भी अभिव्यक्ति को अधिक अर्थपूर्ण बनाने का उपक्रम करते हैं |

6. **मौलिकता, स्वाभाविकता तथा सहजता :** भाषा किसी व्यक्ति की निजी व स्वानुभूत भावनाओं, आवश्यकताओं और विचारों के सम्प्रेषण का माध्यम है | हम समाज के सानिध्य एवं अनुकरण से भाषा सीखते अवश्य हैं लेकिन उसका प्रयोग हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप होता है न कि अन्यो की नक़ल या उत्प्रेरण से | भाषा के शब्द उसके सभी प्रयोक्ताओं के व्यक्तिगत अंतर्भावों के प्रकाशन के माध्यम होते हैं |

अभ्यास प्रश्न

उचित स्वर गति, बालाघात और विराम से आप क्या समझते हैं ?

मौलिकता, स्वाभाविकता तथा सहजता को परिभाषित कीजिये |

वाक्य शब्द और अक्षर का मौखिक भाषा में क्या महत्व है ?

मौखिक भाषा के तत्व पर प्रकाश डालें |

7.7 विषय सम्बंधित क्षेत्र में अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति (strategies for using oral language in the classroom to promote learning in the subject area)

मौखिक भाषा ही सभी विषयों का ज्ञानार्जन करने का मूल आधार है | मौखिक भाषा के बिना सीखना और सीखाना दोनों ही कठिन है | अतः प्रारंभिक स्तर पर से ही मौखिक भाषा की शिक्षा

प्रदान की जानी आवश्यक है ताकि उच्च कक्षा तक पहुँचते- पहुँचाते उनकी अभिव्यक्ति में शुद्ध, स्पष्टता, सुबोधता, मधुरता, प्रवाहिकता, स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता पूरी तरह से विकसित हो जाए। इसके लिए अध्यापक निम्नलिखित शिक्षण विधियों एवं साधनों का प्रयोग कर सकता है –

1. **वार्तालाप** - पाठ्य – पढ़ाते समय या किसी अन्य अवसर पर व शिक्षक को चाहिए की बातचीत करे। हर छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वार्तालाप का विषय बच्चों के ज्ञान व अनुभव की परिधि के अंदर का होना चाहिए। यदि कोई बच्चा उत्सुकता प्रश्न पूछे तो उसके प्रश्न का उत्तर दे कर उसकी उत्सुकता को संतुष्ट करना चाहिए। वार्तालाप में छात्रों से भी प्रश्न पूछकर उनके मुख से उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए।
2. **प्रश्नोत्तर** – मौखिक शिक्षा देने के लिए प्रश्नोत्तर एक अच्छी विधि है। सामान्य विषयों पर या पाठ्यपुस्तक से सम्बंधित पाठों पर छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों से पूर्ण रूप से उत्तर स्वीकार करना चाहिए। यदि उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध हो तो उसे साहनुभूति पूर्वक पूर्ण या शुद्ध करवाया जाये।
3. **चित्र- वर्णन** : चित्र देखने में छोटे बच्चे रुचि लेते हैं। इस प्रकार किसी चित्र को दिखाकर उस पर प्रश्न पूछ कर बच्चों से चित्र वर्णन कराना चाहिए। जैसे गाय का चित्र दिखाकर गाय के बारे में अनेक बातें बता सकता है। इसी प्रकार चित्र के द्वारा कहानी कही जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र- वर्णन एक रोचक प्रणाली है।
4. **स्वतंत्र आत्मप्रकाशन का अवसर** : बच्चों को समय – समय पर अलग- अलग तरह के अनुभव होते हैं। अलग – अलग घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से सम्बंधित इन अनुभवों को सुनाने के लिए अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है।
5. **अनुच्छेद – सार या पाठ का सार** : पाठ्य – पुस्तक या अन्य किसी पत्रिका का कोई पाठ या रचना पढ़कर उसका सार तत्व बताने के लिए कहा जाता है। छात्र रचना की प्रमुख बातें संक्षेप में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार किसी पाठ का कोई अनुच्छेद पढ़कर उसका सार बताने के लिए कहा जाता है।
6. **वाद- विवाद** : पूर्व – निर्धारित विषय पर इसमें बालक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ बालक विषय के पक्ष में और कुछ विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।
7. **भाषण**: पूर्व निर्धारित कोई रूचिकर विषय देकर, अध्यापक छात्रों को भाषण देने का अवसर प्रदान कर सकता है। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक आसान साधन है। भाषा का विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जरूरत के अनुसार छात्रों उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। समय- समय विभिन्न भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करके छात्रों को भाषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास भी करना चाहिए।
8. **नाटक- कला**: नाटक मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों को विकसित करने के लिए एक उपयोगी साधन है। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी को पात्र के चरित्र के अनुसार सही हाव-भाव, उतार चढ़ाव के साथ एवं प्रवाह के साथ संवाद प्रस्तुत करने होते हैं। इस प्रकार

उचित नाटक का चुनाव कर, अध्यापक को छात्रों को नाटक मंचन में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इससे छात्र पूरी लगन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियों को सीखते तथा उसका अभ्यास करते हैं।

9. **कविता पाठ** : छोटे बच्चे गीत सुनाने व सुनाने दोनों में ही काफी रुचि लेते हैं। अतः कवितायें याद कराके उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। उचित हाव – भाव व अंग संचालन के साथ कविता पाठ करने में उन्हें बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कविता पाठ मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा देने का एक उपयोगी साधन है।
10. **अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता** : इस साहित्यिक क्रिया में बालक कविताओं को कंठस्थ करते हैं और प्रतियोगिता के समय पहले दल के द्वारा कही गयी कविता जिस वर्ण पर समाप्त होती है, उसी वर्ण से शुरू होने वाली कविता सुनाते हैं। इससे बच्चों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास भी होता है।
11. **सस्वर वाचन** : पाठ्य – पुस्तक का पाठ शुरू करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अनुच्छेद का वाचन करे। फिर विद्यार्थियों से वाचन कराएं जिससे कि मौखिक अभिव्यक्ति का संकोच दूर हो जाए।
12. **कहानी के माध्यम से पाठ को रोचक बनाना** : बच्चे कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह पहले स्वयं ही कहानी सुनाये और फिर बच्चों को उसी कहानी को सुनाने के लिए कहे। इससे श्रवण कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों को विकसित करने में सहायता मिलती है।

अभ्यास प्रश्न

नाट्य कला एवं कविता पाठ किस तरह से मौखिक भाषा के परिमार्जन में सहायक है?

प्रश्नोत्तर एवं वार्तालाप के अंतर को स्पष्ट करें।

स्वतंत्र आत्मप्रकाशन का अवसर से आप क्या समझते हैं ?

मौखिक भाषा के परिमार्जन लिए अध्यापक किस तरह के शिक्षण विधियों एवं साधनों का प्रयोग कर सकता है ?

विषय सम्बंधित क्षेत्र में अधिगम वृद्धि के लिए मौखिक भाषा प्रयोग करने की रणनीति पर प्रकाश डालें |

7.8 सारांश

भाषा मानव समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार है | ध्वनि के विविध स्वरों और प्रस्तुतीकरण के अन्यान्य रूपों के माध्यम से सृष्टि के समस्त प्राणी परस्पर सूचनाओं एवं भावनाओं का सम्प्रेषण करते हैं | कक्षा कक्ष में संवाद का अपना ही महत्व है क्योंकि कक्षा में संवाद के द्वारा ही अधिकांश अधिगम संपन्न होता है | इसके अभाव में अधिगम की कल्पना ही संभव नहीं है | यदि कक्षा में संवाद दोनों ही तरफ से (विद्यार्थी एवं शिक्षक) के तरफ से आवश्यकतानुसार ठीक ढंग से हो रहा है तो इस तरह का अधिगम सदैव बेहतर होता है | कक्षा में संवाद की प्राकृति को निम्न तरीके से समझा जा सकता है |

1. लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति
2. अलोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह अपने सोच एवं विचार को एक दूसरे तक लेन- देन करना चाहता है | इस काम के लिए वह भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग करता है | वाणी (Speech) व लिखित रूप (Written form)– जब व्यक्ति, ध्वनियों के माध्यम से, मुख के अवयवों के मदद से, उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है | ऐसे तो बालक अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग स्वतः ही करने लगता है परन्तु विद्यालय में औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है | विशेषकर भाषा के अध्यापक को इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वह मौखिक भाषा- कौशल को विकसित करने की दृष्टि से छात्रों को किस तरह से बोलना सिखाये और उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को क्या दिशा प्रदान करे

7.9 शब्दावली

- **लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति (Democratic Discourse Situation):** लोकतांत्रिक संवाद परिस्थितियाँ वो परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें विद्यार्थी एवं शिक्षक को सामान अधिकार प्राप्त होते हैं |
- **अलोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति (Non-Democratic Discourse Situation):** अलोकतांत्रिक संवाद प्रकृति विद्यार्थी केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें विद्यार्थियों के स्थान पर शिक्षक की प्रधानता होती है |
- **वाक्य शब्द और अक्षर (Sentence, word and letter) :** मौखिक भाषा वाक्यों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है | वाक्य मौखिक भाषा के मौलिक इकाई है | मौखिक भाषा में यदि कभी शब्द या अक्षर का एक इकाई के रूप में प्रयोग होता है तो वह भी वाक्य का स्थानपन्न होता है
- **वाद- विवाद (Debate) :** पूर्व – निर्धारित विषय पर इसमें बालक विचारों का आदान प्रदान करते हैं | कुछ बालक विषय के पक्ष में और कुछ विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं |
- **हाव भाव एवं अंग संचालन :** हाव- भाव का तात्पर्य है बात करते हुए माथे की सिकुडन तथा शरीर के ने हिस्सों के हरकतों से कथ्य कपो अधिक स्पष्ट और भावपूर्ण बनाने का प्रयास करना | इसी प्रकार का प्रयास जब हाथों की अंगुलियां, मुट्ठी, बाजू और कन्धों की सहायता से होता है तो अंग- संचालन कहलाता है |

7.10 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार 2000 (संपादक), हिंदी देशकाल में
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेजेस 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविचा
- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।
- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, कैंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, वैंब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।

- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्प्युनिव्हेफेशन, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉसफिकल डिसकोर्स ऑफ मॉडर्निटी, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमला
- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।
- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचर्ड्स, जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, कैंब्रिज :कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इंपैक्ट ऑफ बाइलिंगुलिज्म ऑन इंग्लिश, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 14:25-38
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म, नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुकेशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- व्योमोत्सकी, एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैंकब्रिज, मास: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग टी. ई. एस. ओ. एल. त्रैमासिक, 19.1
- इस वेबसाइट को जरूर देखें : <http://www.languageindia.com>

6.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. मौखिक भाषा के परिमार्जन लिए अध्यापक किस तरह के शिक्षण विधियों एवं साधनों का प्रयोग कर सकता है ?
2. मौखिक भाषा का मानव जीवन में क्या महत्व है ? प्रकाश डालिए ।
3. मौखिक भाषा के तत्व कौन-कौन से हैं ? स्पष्ट करें ।

इकाई - 8

सीखने के उपकरण के रूप में परिचर्चा, कक्षा- कक्ष में प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के प्रकार एवं शिक्षक का नियंत्रण

(Discussion as tool for learning, the nature of questioning in the classroom, types of questions and teachers control)

इकाई की रूपरेखा

- | | |
|------|------------------------------------|
| 8.1 | प्रस्तावना |
| 8.2 | उद्देश्य |
| 8.3 | सीखने के उपकरण के रूप में परिचर्चा |
| 8.4 | कक्षा- कक्ष में प्रश्नों का स्वरूप |
| 8.5 | प्रश्नों के प्रकार |
| 8.6 | शिक्षक का नियंत्रण |
| 8.7 | सारांश |
| 8.8 | शब्दावली |
| 8.9 | निबंधात्मक प्रश्न |
| 8.10 | संदर्भ ग्रंथ सूची |

8.1 प्रस्तावना

व्यक्ति बहुत सी ज्ञान की बातें एक दूसरे सुन कर जान पाता है और इस तरह का प्राप्त ज्ञान तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी भी होता है | किसी भी भाषा का ज्ञान , बोध एवं उपयोग केवल कक्षागत परिस्थितियों में पाठ्यवस्तु के घटकों और भाषा तत्वों के ज्ञान और अभ्यास से परिपूर्ण नहीं होता | भाषा सजीव और संवेदनशील परम्परा है| वह वक्त समाज और परिस्थितियों के साथ जीती है और उन्हें गति प्रदान करती है| इसलिए भाषा का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन से , व्याकरण के अभ्यास से और परीक्षाएं प्राप्त कर के नहीं पाया जा सकता | भाषा सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का प्रयोग करना चाहिए | इन उपागमों में परिचर्चा एक अति महत्वपूर्ण

उपागम है | प्रस्तुत इकाई में हम लोग परिचर्चा के महत्व एवं कक्षा-कक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के प्रयोग पर प्रकाश डाला गया है |

8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- सीखने के उपकरण के रूप में परिचर्चा के महत्व को समझ सकेंगे |
- कक्षा-कक्ष में प्रश्नों के विभिन्न स्वरूप को जान पायेंगे
- प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों के उपयोग के बारे में समझ पायेंगे |
- कक्षा- कक्ष में शिक्षक का नियंत्रण कैसा होना चाहिए जान पाएंगे |

8.3 सीखने के उपकरण के रूप में परिचर्चा

परिचर्चा का अर्थ है – किसी विषय के सभी पहलुओं पर विचार- विमर्श | परिचर्चा के लिए विषय सम- सामयिक घटनाओं और चर्चा में आये सन्दर्भों से चुना जा सकता है | इस प्रकार की गतिविधि के लिए अलग से समय निकालने या तैयारी की आवश्यकता नहीं होती | किसी दिन कक्षा में पहुँचाने पर आप यदि पायें कि विद्यार्थी किसी विषय विशेष पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं तो परिचर्चा के शुरुआत की जा सकती है | यह विषय खेल, राजनीति, कोई विशेष घटना या निर्णय भी हो सकता है | परिचर्चा ले लिए ज़्यादा समय भी खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होती | शिक्षक चुने हुए विषयों पर विद्यार्थियों को अपने-अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर दें और अंत में अपने विचारों का समावेश करते हुए चर्चा का सार प्रस्तुत कर दें | ऐसी चर्चा अनेक बार कोई पाठ या प्रकरण पढ़ते हुए भी सामने आ सकती है | आवश्यकता इस बात को समझने की है की ऐसी चर्चाएं या विचार विमर्श कभी भी व्यर्थ या समय की बर्बादी नहीं होते, अपितु विद्यार्थियों को विषय और भाषा ज्ञान के साथ साथ प्रस्तुतीकरण का अवसर भी प्रदान करते हैं | परिचर्चा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसे ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है | सबसे पहली बात यह की परिचर्चा का विषय किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थियों से संबद्ध होना चाहिए और उनके लिए उपयोगी भी | दूसरी बात की विद्यार्थियों को चर्चा के विषय से भटकने न देने के लिए शिक्षक कू पुर्णतः सचेत रहना चाहिए | यदि विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए विषय से भटक रहे हों तो शिक्षक को हस्तक्षेप करना चाहिए और चर्चा को पुनः विषय पर केंद्रित करना चाहिए | तीसरी बात कि सभी विद्यार्थियों की अपनी विचार रखने की स्वतन्त्रता और अवसर मिलना चाहिए | जो पक्ष में जो कुछ कहना चाहें वह पक्ष में अपनी बात रखे, किन्तु विपक्षियों को भी हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए | अंतिम बात प्रश्नोत्तर, विचार विनिमय और स्पष्टीकरण जैसी परिचर्चा के सभी गतिविधियों के दौरान प्रतिभागियों की भाषा सधी हुयी, आवेश एवं प्रतिशोध से मुक्त और संयत होनी चाहिए, ताकि चर्चा किसी परिणाम तक पहुंचे और सभी पक्षों के प्रतिभागियों को सत्य का परिचय मिल सके |

अभ्यास प्रश्न

परिचर्चा से आप क्या समझते हैं ?

परिचर्चा के लिए आवश्यक तर्कों का उल्लेख करें |

परिचर्चा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए |

8.4 कक्षा – कक्षा में प्रश्नों की प्रकृति (The nature of questions in classroom)

प्रश्न पूछने का कौशल कक्षा – कक्षा की परिस्थितियों हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है | इस कौशल के द्वारा अध्यापक कक्षा में रुचि बनाए रखने के साथ- साथ विद्यार्थियों के ज्ञान एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन भी करता है |

कक्षा- कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य (Objective of questioning in classroom): ऐसे तो जीवन के हर एक क्षेत्त्र में किसी भी कार्य को करने के बाद इस बात की जाच की जाती है कि उस कार्य में कर्ता को कितनी सफलता मिली है , किंतु शिक्षा के क्षेत्र में यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा किया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफलता मिली है एवं उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुयी है | किसी भी विषय में निर्धारित ज्ञान , कौशल तथा योग्यताओं को तुरंत पता लगाने के लिए कक्षा में प्रश्न पूचना आवश्यक होता है | भाषा- शिक्षण में कक्षा में प्रश्न पूछने की आवश्यकता निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं

1. **छात्रों की कमजोरियों को दूर करने एवं उनकी प्रगति में सहायता के लिये (To eliminate the weakness of student and for their development):** कक्षा में अध्यापक जब प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों को किस बिंदु पर और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है का नुमान चल जाता है एवं अध्यापक के

मार्गदर्शन में विद्यार्थी विशिष्ट अभ्यास कर अपनी कमजोरियों को दूर कर भाषा सम्बंधित विशेष योग्यताओं को विकसित करने के लिए प्रयासशील होते हैं।

२. छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना (To motivate the students for study) : प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की भी प्रेरणा मिलती है। जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कार्य नहीं करते अध्यापक को उन्हें विशेष रूप से प्रश्न पूचना चाहिए जिससे उनके अंदर अध्ययन की आकांक्षा बनी रहे।
३. शिक्षण विधियों के उचित चुनाव एवं प्रयोग में सहायक : शिक्षण प्रक्रिया एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात उनकी प्राप्ति के लिए अध्यापक शिक्षण कार्य को क्रियान्वित करता है। शिक्षण क्रिया को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। कक्षा में विभिन्न तरह के प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों के निष्पत्ति का अनुमान शिक्षक हो जाता है।
४. शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक : कक्षा में प्रश्न पूछने के दौरान शिक्षक को विद्यार्थी के अभिरूचि के क्षेत्र का पता चल जाता है। जिससे कि वह आसानी से शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

कक्षा में शिक्षक की भूमिका और बहुभासिकता (The role of teacher in classroom and multilingualism) : शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें अपनी बहुभाषी कक्षा के बच्चों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास हो, वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भाषा को कक्षा में समानुभूति के साथ सीखने-सिखाने के लिए स्थान दें और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए सहज और रचनात्मक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें।

अक्सर हम यह पाते हैं कि शिक्षक साथियों में स्वयं की भाषा को लेकर ही कितनी हीनभावना है, वे खुद विभिन्न भाषाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में एक बहुभाषी कक्षा में वे किस तरह उन बच्चों की भाषा को स्थान और सम्मान दे पाएँगे जो बच्चे हलबी, गोंडी, कुडुख या कमारी आदि भाषा बोलते हैं? भाषा का सत्ता से गहरा सम्बन्ध है। भाषा हमेशा से सत्ता के अधीन रही है और सत्ता और राजनीति ने ही किसी भाषा को शीर्ष पर पहुँचाया है तो किसी भाषा के समूचे अस्तित्व को विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जरूरत है कि बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान मिले, सभी बच्चों को बिना किसी हिचक के अपनी बात को अपनी भाषा में कहने के समान अवसर का सहज वातावरण प्रदान निर्मित किया जाए।

अभ्यास प्रश्न

कक्षा- कक्षा में प्रश्न पूछने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें ?

कक्षा- कक्षा में प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए ? प्रकाश डालें |

कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछना किस प्रकार से छात्रों की कमजोरियों को दूर करने एवं उनकी प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है ?

8.5 प्रश्नों के प्रकार एवं शिक्षक का नियंत्रण (Types of Questions and Teachers control)

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है ताकि वे अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का अधिकाधिक विकास कर सकें। शिक्षण इस उद्देश्य की साधना की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त किया है इसका सटीक ज्ञान होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को ठीक प्रकार का ज्ञान हुआ है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सबसे सरल एवं सीधा माध्यम कक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इन प्रश्नों की सहायता से शिक्षक कक्षा में अपना नियंत्रण भी स्थापित करता है। प्रश्नों की सहायता से शिक्षक कक्षा में अनुशासन के साथ ज्ञान वर्धन का कार्य भी करता है।

कक्षा में मूलतः निम्न तीन के प्रश्न पूछे जाने चाहिए।

विचारात्मक प्रश्न : विचारात्मक प्रश्न मूलतः निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का कोई एक उत्तर नहीं होता है। अपने विचार प्रस्तुत करने की इस प्रकार के प्रश्नों में पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

विस्तृत उत्तर वाले निबंधात्मक प्रश्न : ऐसे प्रश्नों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति कि लिए स्वतंत्रा होने के साथ साथ प्रश्नों के उद्देश्य भी स्पष्ट होते हैं और उत्तर की सीमा भी बहुत हद तक निर्धारित रहती है।

भाषा परीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न: केवल निबंधात्मक एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से ही भाषा एवं साहित्य की परीक्षा नहीं की जा सकती है। वस्तु निष्ठ प्रश्नों के उत्तर में स्वतंत्र भाव या विचार प्रकाशन की छूट नहीं रहती है।

कक्षा में शिक्षक की भूमिका (The role of teacher in classroom) : बच्चों को समुचित शिक्षा तथा सफल अध्यापन में शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अतः यहाँ हम शिक्षक की भूमिका निम्न स्तंभों में देखने का प्रयास करेंगे।

१. कक्षा के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक (Psychologist) के रूप में होती है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा में उपस्थित बच्चों की आवश्यकताओं (Necessities), प्रेरणाओं (Motivations) एवं मनोवृत्तियों (Attitude)

- की जानकारी रखे | शिक्षक बच्चों को समझने में जिस सीमा तक सफल होते हैं उसी सीमा तक कक्षा में उनका नियंत्रण एवं अध्यापन प्रभावी होता है तथा बच्चे शिक्षण से लाभान्वित भी हो पाते हैं |
२. शिक्षक की भूमिका एक सलाहकार (Counsellor) की भांति भी है | ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने आप को उपेक्षित तथा तिरस्कृत महसूस करते हैं | इन्हें हम पृथक बालक (Isolated Children) कहते हैं | अतः एक सफल शिक्षक ऐसे बच्चे की सहायता करता है तथा उसके समायोजन समस्या (Adjustment Problem) के समाधान का प्रयास करता है | इसी तरह पढ़ाई छोड़ना (Drop Out), गैहाजिर होना (Absenteeism) आदि के कारणों को जानने तथा इनके निराकरण के लिए सफल शिक्षक प्रयास करता है |
 ३. कक्षा के अंतर्गत शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नेता की होती है | शिक्षक अपने वर्ग का नेता होता है | नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं जिनमें सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व एवं न अड़चन डालने वाला नेतृत्व मुख्य है | शिक्षक किस प्रकार के नेतृत्व की भूमिका अदा करता है, इस बात पर उसके अध्यापन की प्रभावशीलता निर्भर करती है | इस सम्बन्ध पर अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन किये गए हैं और यह देखने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार का नेतृत्व बच्चों को सही शिक्षा के लिए उपयोगी है | सत्ताधारी नेतृत्व का अर्थ ऐसे नेतृत्व से है, जिसमें शिक्षक सब कुछ होता है | शिक्षक ही विद्यार्थियों को आदेश देता है और विद्यार्थी उसके आदेशों का पालन करते हैं | इस तरह के नेतृत्व में शिक्षक सक्रिय होता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय, दूसरी ओर प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) पाया जाता है | शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सहयोग एकता का भाव आदि विशेषताएं देखी जाती हैं | न अड़चन डालने वाला नेतृत्व का तात्पर्य ऐसे नेतृत्व से है जिसके अंतर्गत शिक्षक नेता के रूप में केवल नाम का रहता है वह बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे देता है और उनके व्यवहारों में किसी तरह की बाधा अपनी ओर से नहीं डालता है |
 4. भिन्न – भिन्न प्रकार के नेतृत्व के परिणामों को देखने के लिए कई सारे प्रयोगात्मक अध्ययन (Experimental Studies) किये गए | खास कर प्राजातान्त्रिक नेतृत्व (Democratic Leadership) तथा सत्ताधार नेतृत्व (Authoritarian leadership) के प्रभावों को देखने के लिए लेविन, लिपिट तथा ह्वार्ट (Levin, Lipit and White, 1939) तथा लिपिट एवं ह्वार्ट (Lipit and White, 1943) ने बच्चों पर अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि सत्ताधारी नेतृत्व के अंतर्गत बच्चों के व्यवहार प्रजातांत्रिक नेतृत्व से भिन्न हुए | शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रजा तांत्रिक नेतृत्व पर बल दिया गया है | शीन (Schein, 1979) के अनुसार बड़े संगठन के लिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व तथा छोटे संगठन के लिए सत्ताधारी नेतृत्व अधिक सफल है | न अड़चन डालने वाला नेतृत्व (Laissezfaire leadership) किसी भी संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है | यह बात वर्ग या क्ष परिस्तिती में भी शिक्षक की भूमिका पर भी लागू हो सकती है |
 5. कक्षा में शिक्षक एक विशेषज्ञ (Expert) की भूमिका में होता है | अतः शिक्षक को अपने अध्यापन विषय की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि छात्रों को अध्यापन से अधिक से अधिक लाभ मिल सके | शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्य से अवगत होना चाहिए कि शिक्षा

वर्तमान समय में बाल केंद्रित (Child Centred) हो चली है |और इसका उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास (All-round Development) हो अर्थात मानसिक विकास (Mental Development) , शारीरिक विकास (Physical Development) , हस्तकौशल विकास (Handskill development) तथा हृदय विकास का समुचित रूप से हो सके |

6. शिक्षक का एक आवश्यक गुण है स्नेह सहानुभूति , प्यार, क्षमाशीलता (Forgiveness) तथा त्याग (Sacrifice) | ये सभी गुण वास्तव में एक माता के गुण कहलाते हैं | इसी अर्थ में कहा जाता है कि कक्षा में शिक्षक को अपने छात्रों के साथ ऐसा सद्भाव रखना चाहिए जैसा माताएं अपने बच्चों के प्रति रखती है | लेकिन माता की भूमिका मेहनत शिक्षक को संवेगों पर नियंत्रण भी रखना चाहिए

अभ्यास प्रश्न

कक्षा में शिक्षक की भूमिका (The role of teacher in classroom) पर प्रकाश डालें |

कक्षा में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व पर प्रकाश डालें ?

शिक्षक की भूमिका एक सलाहकार (Counsellor)की भांति होती है | इस कथन की व्याख्या करें

कक्षा में मूलतः कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए ? उदाहरण सहित समझाएं |

8.7 सारांश

किसी भी भाषा का ज्ञान , बोध एवं उपयोग केवल कक्षागत परिस्थितियों में पाठ्यवस्तु के घटकों और भाषा तत्वों के ज्ञान और अभ्यास से परिपूर्ण नहीं होता | भाषा सजीव और संवेदनशील परम्परा है| वह वक्त समाज और परिस्थितियों के साथ जीती है और उन्हें गति प्रदान करती है | इसलिए भाषा का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन से , व्याकरण के अभ्यास से और परीक्षाएं प्राप्त कर के नहीं पाया जा सकता | भाषा सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का प्रयोग करना चाहिए | इन उपागमों में परिचर्चा एक अति महत्वपूर्ण उपागम है | विद्यार्थियों को ठीक प्रकार का ज्ञान हुआ है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सबसे सरल एवं सीधा माध्यम कक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है | इन प्रश्नों की सहायता से शिक्षक कक्षा में अपना नियंत्रण भी स्थापित करता है | प्रश्नों की सहायता से शिक्षक कक्षा में अनुशासन के साथ ज्ञान वर्धन का कार्य भी करता है |

8.8 शब्दावली

- **सत्ताधारी नेतृत्व** : सत्ताधारी नेतृत्व का अर्थ ऐसे नेतृत्व से है, जिसमें शिक्षक सब कुछ होता है | शिक्षक ही विद्यार्थियों को आदेश देता है और विद्यार्थी उसके आदेशों का पालन करते हैं | इस तरह के नेतृत्व में शिक्षक सक्रिय होता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय |
- **प्रजातांत्रिक नेतृत्व** : प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) पाया जाता है | शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध , सहयोग एकता का भाव आदि विशेषताएं देखी जाती है |
- **अड़चन डालने वाला नेतृत्व (Laissezfaire leadership)** : न अड़चन डालने वाला नेतृत्व का तात्पर्य ऐसे नेतृत्व से है जिसके अंतर्गत शिक्षक नेता के रूप में केवल नाम का रहता है वह बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे देता है और उनके व्यवहारों में किसी तरह की बाधा अपनी ओर से नहीं डालता है |

8.9 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार 2000 (संपादक), हिंदी देशकाल में
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर लैंग्वेजेस 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविचा
- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।

- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ़ द थ्योरी ऑफ़ सिनटेक्स, केंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ़ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ़ नॉलेज, वैफ़ब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ़ कम्युनिव्हेशन, केंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉसफिकल डिसकोर्स ऑफ़ मॉडर्निटी, केंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमला।
- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।
- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुव्हेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ़ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचडू स.जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, केंब्रिज :केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इपैफक्ट ऑफ़ बाइलिंगुलिज्म ऑन इटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ साइकोलॉजी 14:25-38
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म, नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद्व), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुव्हेशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- बायोत्सकी , एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ़ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैफ़ब्रिज, मास: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग टी. ई. एस. ओ. एल. त्रैमासिक, 19.1

- इस वेबसाइट को जरूर देखें : <http://www.languageindia.com>

8.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. सीखने के उपकरण के रूप में परिचर्चा से आप क्या समझते हैं ?
2. कक्षा- कक्ष में प्रश्नों का स्वरूप पर प्रकाश डालें |
3. प्रश्नों के प्रकार एवं शिक्षक का नियंत्रण से आपका क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट करें |
4. कक्षा में शिक्षक की भूमिका (The role of teacher in classroom) पर प्रकाश डालें |

इकाई - 9

विषय वस्तु क्षेत्र में पठन अवबोध/बोध की प्रकृति
(सूचनार्थ पठन), व्याख्यात्मक विषय वस्तु,
संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु, हस्तांतरण विषय वस्तु व
चिंतनपरक विषयवस्तु की प्रकृति

**Nature of Reading Comprehension in
content areas (informational reading),
nature of Expository texts vs. Narrative
texts, Transactional texts vs. Reflexive
texts**

इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 पठन अवबोध की प्रकृति
- 9.4 पठन अवबोध का महत्व
- 9.5 पठन अवबोध के आधारभूत तत्व
- 9.6 पठन अवबोध एक विषयवस्तु के रूप में (सूचनार्थ)
- 9.7 पठन अवबोध के प्रकार
 - 9.7.1 व्याख्यात्मक विषय वस्तु (Expository Text)
 - 9.7.2 संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु (Narrative Text)
 - 9.7.3 हस्तान्तरण विषय वस्तु (Transactional Text)
 - 9.7.4 चिंतन परक विषय वस्तु (Reflective Text)
- 9.8 सारांश
- 9.9 अभ्यास प्रश्न
- 9.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तब से अभिभावक एवं शिक्षक उसे पढ़ाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर भी हम इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सभी बालक पढ़ना सीखकर सहज पाठक नहीं बन पाते हैं। “साक्षरता की बड़ी समस्या लोगों को केवल यह सिखाना नहीं है कि वे कैसे पढ़ें, बल्कि यह सिखाना है कि वे पढ़ें, पढ़ने के लिए लालायित रहे, उनमें पढ़ाने के लिए अनुराग उत्पन्न हो, और उन्हें पढ़ने में आनन्द की अनुभूति हो। पठन-योग्यता प्राप्त हो जाने पर पढ़ने की आदत पक्की और सुदृढ़ हो जानी चाहिए, अन्यथा स्कूल छोड़ने पर ज्यादातर बालक पढ़ना जानते हुये भी पुनः निरक्षरता की शोचनीय स्थिति में पहुँच जाते हैं। अतः साक्षर को पाठक बनाना आवश्यक है।”

“The big problem if all literacy is to teach people not merely how to read but to read, to want to read, to love to read. After the ability has been secured, the habit has to be established. It is failure here that has been responsible for the deplorable lapse into illiteracy of an appalling percentage of children leaving the primary school. The literate must be made a reader.” जी.एस. कृष्णप्पा : ‘मेकिंग रीडर्स ऑफ़ लिटरेट्स’, ‘इन इंडियन जर्नल ऑफ़ एजुकेशन’, जून 1940.

भाषा के मूल चार कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) में से पढ़ना (पठन) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस कौशल में बालक लिखित या मुद्रित पाठ्यांश वर्णों, शब्दों, वाक्यों या अनुच्छेदों को जोर-जोर से बोलकर या मन में पढ़कर उनका भाव ग्रहण करता है। यदि दिए गये अनुच्छेद को पढ़ने के बाद उसमें से प्रश्न पूछे जायें और बालक अनुकूल उत्तर नहीं दे पाता है तो यह इस बात को स्पष्ट करता है कि बालक ने अनुच्छेद का वाचन ही किया है, पठन नहीं। पठन-सामग्री के अन्तः भाव को समझकर दूसरों को समझा सकने में सफल होते हैं तो पठन का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात् किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु, भाषा या चित्र को देखकर उसके भाव या आशय को समझना या उसका आर्थ ग्रहण करना ही पठन अवबोध कहलाता है।

9.2 उद्देश्य (Objectives)

- विद्यार्थी पठन अवबोध के अर्थ को समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी पठन अवबोध की प्रकृति को जान सकेंगे।
- विद्यार्थी पठन अवबोध के महत्व को बता सकेंगे।
- विद्यार्थी पठन अवबोध के सोपान व आधार भूत तत्व को समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी पठन अवबोध को एक सूचनार्थ के रूप में जान सकेंगे।
- विद्यार्थी पठन अवबोध के प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेंगे।
- विद्यार्थी पठन अवबोध के प्रकारों में अंतर कर सकेंगे।

- विद्यार्थी पठन अवबोध में प्रत्येक प्रकारों की उपयोगिता को बता सकेंगे |

9.3 पठन अवबोध की अवधारणा (संप्रत्यय)(Concept of Reading Comprehension)

पठन अवबोध के संप्रत्यय को भली प्रकार से समझने के लिए यह जरूरी है कि भाषा के मौखिक व लिखित रूप, लिपि के साथ सम्बन्ध व भाषा अर्जन की प्रक्रिया को सही रूप में समझ ले | मौखिक व लिखित कौशलों को विस्तार से इकाई -2 में स्पष्ट किया जा चुका है | पठन व वाचन हिंदी के शब्द है, जो अंग्रेजी के शब्द 'Reading' का अर्थ है | मूलतः दोनों शब्दों में भेद है | जैसे – वाचन का अर्थ जोर-जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता ले सके (जैसे- भागवत गीता सुनना, संगीत सुनना) लेकिन पठन का अर्थ जोर से पढ़ना या मौन रूप से पढ़ना है जिसमें मुद्रित सामग्री का अर्थ व भाव समझ में आ जाना चाहिए | अतः पठन में सस्वर मौन दोनों ही प्रकार के वाचन को रखते हैं | छोटे बालकों के शिक्षक को जो चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, उनमें से शायद सबसे बड़ी चुनौती पठन अवबोध की है | यह इसलिए कि पढ़ना कोई साधारण कौशल नहीं है, उसमें कई कौशल व बोध क्षमताएँ शामिल हैं | पठन अवबोध की कोई एक अचूक विधि नहीं है | हर विधि की अपनी सीमाएँ हैं और शिक्षक को कोई यह नहीं सुझा सकता कि उसकी परिस्थिति में सही उपाय क्या है ? यदि एक बार बालक को पठन अवबोध के बाद, उन्हें पुस्तकों से सफलता पूर्वक जोड़ा जा सके तो फिर उनके लिए संभावित उपलब्धियों का कोई अंत नहीं है | जैसे – फलों में नाम सीखाने व गिनती सीखाने के लिए वास्तविक फलों या उनके खिलोनों को दिखा कर बालकों में फलों व गिनती का अवबोध विकसित किया जाना बहुत सरल हो जाता है | हम अपने आस-पास देखते हैं बच्चों से मानक (हिंदी या अंग्रेजी) भाषा लिखने की अपेक्षा की जाती है | मानक भाषा बच्चे के सोचने और उपयोग करने वाली भाषा से अलग होती है क्योंकि बच्चे का परिवेश अलग-अलग होता है | जैसे बच्चे के परिवेश में अगर 'जगह' को 'जग', घुटने को गुठने, कौआ को कउआ और स्कूल को इस्कूल, कोलेज को कालेज कहा जाता है, तो स्वभाविक है कि लिखते समय भी इन्हीं को इस्तेमाल करेगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग आम तौर से बच्चों के द्वारा रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं किया जाता है | उन शब्दों को लिखने व बोलने में भी वे कठिनाई महसूस करते हैं | बच्चे जिन शब्दों का अर्थ नहीं जानते, उनको लिखना और पढ़ना भी उनके लिए कठिन होता है | पठन अवबोध की जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है, प्रगतिशील दशाएँ तो पठन अवबोध के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए विद्यालयों में पठन अवबोध के लिए सभी प्रकार के अवसर और सुविधाएँ दी जाती हैं | पठन अवबोध ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम साहित्य के विशाल साम्राज्य में प्रवेश करते हैं और अलौकिक आनंद की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं | पठन अवबोध के द्वारा व्यक्ति में अर्थ ग्रहण की निम्न लिखित योग्यताओं का विकास होता है –

- (i) पठित सामग्री का केन्द्रीय भाव या विचार ग्रहण कर लेना |
- (ii) पठित सामग्री में से मुख्य भाव या विचार या सूचनाओं को ग्रहण कर लेना तथा अनावश्यक स्थलों को छोड़ देना |
- (iii) प्रकाशित या लिखित सामग्री में से उस सामग्री का चयन करना जो भविष्य व वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल हो |

- (iv) पठित सामग्री में से तथ्यों, भावों व विचारों को चुन लेना एवं उनकी क्रमबद्धता को पहचानना |
- (v) पढ़ी हुई सामग्री में से पूछे गये प्रश्नों का सही उत्तर दे सकना, निष्कर्ष निकालना, उपयुक्त शीर्षक दे सकना, अपरिचित शब्दों, उक्तियों, मुहावरों के अर्थ का अनुमान लगा लेना आदि।
- (vi) पुस्तकालय या वाचनालय से पुस्तक चुन लेना तथा उनका प्रयोग कर लेना |
- (vii) साहित्य (Literature) की विभिन्न विधाओं के मुख्य भागों, तत्वों को पहचानना |

अतः बालक का पठन अवबोध जितना शुद्ध होगा उसका लेखन भी उतना ही शुद्ध होगा। पठन अवबोध से बालकों को वर्णमाला सिखाना, लिखित सामग्री का वाचन करना तथा पढ़े हुए पाठों का अर्थ ग्रहण करना आदि आते हैं। कल्पना कीजिए, एक मां पहली बार अपने बच्चे को स्कूल लेकर जाती है, वहां बच्चे के लिए शिक्षक भी अनजान है और बच्चे भी। ऐसे अनजान माहौल में उसे नौनिहाल बच्चे को अनर्थक वर्णमाला सिखाना कितना उचित है। हमें इस बुनियादी सवाल का सामना करना ही पड़ेगा कि पढ़ने की आरम्भिक शिक्षा को कैसे सार्थक बनाएं ?

9.4 पठन अवबोध क्या है ! (What is reading comprehension?)

जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए पढ़ना एक रहस्य या आश्चर्यजनक होता है। कई साल पहले विशेषज्ञों को भी यह मालूम नहीं था कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है, तो दरअसल करता क्या है ? अपने अनुभव और परम्परा के आधार पर शिक्षकों ने कुछ विधियों की खोज की जैसे वर्णमाला विधि, उच्चारण विधि, शब्द विधि। पढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है अंकित सूचना को ग्रहण करना। हमारी आंखें जब अक्षरों, विराम चिन्हों, शब्दों और शब्दों के बीच छोड़ी गयी जगहों का मुआयना करती हैं, तो हमारा मस्तिष्क इस ग्राफिक (हाथ से लिखि गई या छपी हुई) सामग्री की सम्पूर्ण मात्रा पर ध्यान नहीं देता। यदि ऐसा होता तो छोटी-छोटी सूचनाओं पर गौर करने से मस्तिष्क की क्षमता पर अत्यधिक बोझ पड़ता और अधिकांश लोग जिस रफ्तार से पढ़ते हैं, वह असम्भव हो जाता है। पारम्परिक विधियों से पढ़ना सीखने वाले कई बच्चों के साथ यही होता है। वे हर शब्द को अक्षरों की छोटी इकाईयों में तोड़ता है और इस तरह शब्दों का अर्थ ग्रहण करने हेतु मस्तिष्क की क्षमता पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देती है। एक प्रवीण पाठक की आंखें ऐसा बोझ पड़ने नहीं देती, क्योंकि वे पेपर पर अंकित ग्राफिक सूचनाओं के सीमित, चुने हुए अंश से जूझती हैं। प्रवीण पाठक शब्द के पूरे अक्षरों व वाक्यों के सारे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। पढ़ते समय पाठक की आंखें सामग्री के एक छोटे से अंश पर गौर करती हैं, शेष वह अनुमान के जरिये ग्रहण करता है, जो समझ से पूर्ण होता है। इस अनुमान का आधार होता है -अक्षरों की आकृतियाँ, शब्द, उनके साथ संयोजन और सामान्य दुनिया से पाठक का पहले से मौजूद परिचय। पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, उसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। पढ़ते समय भाषा के उपयोग से जुड़े तीन तरह के संकेत हमारे ध्यान में आते हैं –

- (i) अक्षरों की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ |
- (ii) शब्दों के अर्थ |
- (iii) वाक्य विन्यास |

आजकल बहुत से शिक्षक व पाठक यह शिकायत करते मिलते हैं कि बच्चे पढ़ना तक नहीं जानते | पाँचवी पास करके आ गये, पर पढ़ नहीं सकते | यह बात सुनने को मिलती है, और फिर आदतन हमारा या पुराना जमाना याद आ जाता है | उस समय कैसे पहली कक्षाके बच्चे, पता नहीं क्या-क्या कर लेते थे | आखिर पढ़ना अचानक इतना दुर्लभ कैसे हो गया | उदाहरणतः नीचे कुछ अक्षर लिखे हैं इन्हें ध्यान से देख लीजिये | ab अपनी याददाश्त के आधार पर लिख डालिए कौन-कौन से अक्षर देखे थे | ल ए फू जो क की म च ल क है ड में ता खि है ल

अब जाँच ले आप कितने अक्षर लिख पाये पाये ? एक बार फिर करके देखे नीचे लिखे अक्षरों को ऊपर वाली क्रिया से दोहराइए – क म ल ए क फू ल है जो की च डमें खि ल ता है

इसका अर्थ यह निकलता है कि पढ़ने की पूरी प्रक्रिया में अक्षर पहचान महत्वपूर्ण है | इसके पीछे मान्यता यह भी है कि लिखित भाषा अक्षरों का समूह है, जिसमें प्रत्येक अक्षर एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है | अक्षर को देख कर उससे जुड़ी ध्वनि का उच्चारण कर देना पढ़ना नहीं माना जाता है | वास्तव में पठन अवबोध का सर्वोत्तम तरीका पढ़ना है – पढ़कर ही पढ़ना सिखा जा सकता है | जैसे – साईकिल व उसे चलाने के बारे में बारीक जानकारी होने का यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति के द्वारा साईकिल चला ली जाएगी | साईकिल चलाने के लिए तो उस पर बैठकर व चला कर ही सिखा जा सकता है | ठीक जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है | निष्कर्षतः पहले दिन से ही पढ़ाने की सार्थक सामग्री होना आवश्यक है | यह सार्थकता उस विद्यार्थी के संदर्भ में आंकी जानी चाहिए, जो उस सामग्री का पाठक है | इस सन्दर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पढ़ने के लिए दी जाने वाली सामग्री किस भाषा में है | जिस भाषा में सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, उस भाषा से बालक परिचित है | भाषा का समग्र रूप तो बालक के इस्तेमाल में उभरता है, चाहे वह लिखने में हो, बोलने में हो या पढ़ने में | अतः बच्चे को भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के मौके मिलने चाहिए |

बोध प्रश्न

1. भाषा के मुख्य कौशल कौनसे हैं ?
2. पठन अवबोध क्या है ? स्पष्ट करे |
3. छोटे बालकों के पठन अवबोध के समय शिक्षक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?

9.5 पठन अवबोध का महत्व (Importance of Reading Comprehension)

वर्तमान समय में 'पढ़ना' शब्द शिक्षा प्राप्ति का पर्याय बन गया है | विद्यार्थी से यह पूछा जाता है – तुम कहां तक पढ़े हो ? कहां पढ़ रहे हो ? आदि | विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे अधिक ज्ञानार्जन उपयोगी क्रिया पठन अवबोध है | पठन अवबोध पर ही अन्य विषयों को ज्ञान निर्भर है तथा यह भावी जीवन की आधार शिला है | अतः इसके महत्व निम्नांकित हैं—

- (i) विद्यार्थी पठन अवबोध द्वारा विद्यालय के अन्य विषयों को भली-भांति पढ़ने व उनसे समाहित ज्ञान को जान पाने में सक्षम बन जाता है |

- (ii) पठन अवबोध योग्यता विकास पर बालक की समस्त मानसिक और भावात्मक उन्नति निर्भर है | मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान लिखित रूप में विद्यमान है, जिसका उपयोग पठन द्वारा ही किया जा सकता है |
- (iii) नवीन ज्ञान प्राप्त करते रहना ही मनुष्य के जीवन को जीवान्त व विकासशील बनाये रखता है। नूतन ज्ञान अर्जन के तीन प्रमुख स्रोत है –(a) निरीक्षण (b) विद्वानों की सत्संगति और उनके बीच बातचीत (c) पठन | अतः जीवन के इस संवर्द्धन का उत्तम साधन पठन है |
- (iv) पठन अवबोध, शिक्षा के साधन आजीवन, अनवरत चलने वाली विकासशील प्रक्रिया है जिसका आधार पठन है | वर्तमान में सिखा हुआ ज्ञान भविष्य के लिए तुच्छ हो जाता है | अतः बौद्धिक दृष्टि से सक्रिय रहने हेतु तथा पूर्व अर्जित ज्ञान में संशोधन व परिमार्जन पठन द्वारा किया जाता है |
- (v) पठन अवबोध रुचि परिवर्तन एवं परिष्कार का बहुत बड़ा साधन है | जैसे कि यह मनोवैज्ञानिकसत्य है कि हमारी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है | एक वस्तु जो आज अरुचिकर है, वही कालान्तर में रुचिकर बन सकती है |
- (vi) जीवन के विकास के प्रति सजगता एवं तत्परता निरंतर पठन अवबोध द्वारा सम्भव है |
- (vii) पठन अवबोध आनन्द प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है | पठन द्वारा व्यक्ति भावों व विचारों के सागर में डूब जाता है, तथा अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है | इस बीच वह बाह्य संसार के दुखों को उन क्षणों में भूल जाता है |
- (viii) पठन अवबोध समझने की शक्ति को विकसित करता है | पढ़ने की सफलता इस बात का सूचक है कि “बालक पढ़कर समझने लगा और समझकर पढ़ने लगा है | ”
- (ix) पठन अवबोध शब्द भंडार विकसित करने में सहायक है | पढ़ने से जाने अनजाने हमारी शब्दावली एवं शब्द शक्ति में वृद्धि होती है तथा बालक विभिन्न शैली को आत्मसात कर अपनी शैली का निर्माण करता है |
- (x) शिक्षित जीवन का आधार पठन अवबोध है | पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, घोषणाएँ, लिखित भाषण, अभिनन्दन पत्र आदि का पठन अवबोध का व्यावहारिक रूप है | अतः शिक्षा का व्यावहारिक रूप पठन अवबोध है |

9.6 पठन अवबोध के आधारभूत तत्व व क्रियाविधि (Fundamental elements and process of Reading Comprehension)

पठन अवबोध प्रक्रिया में अनेक शारीरिक एवं मानसिक अवयवों सम्मिलित है जो प्रत्येक अंग को सक्रिय करने में सहायक है | इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है-

- i) आसन व मुद्रा* – यह पठन अवबोध प्रक्रिया का यांत्रिक पक्ष है | पठन अवबोध की आरंभिक अवस्था में बालक को उचित आसन व मुद्रा से परिचित किया जाना चाहिए | जैसे – उपयुक्त ढंग से खड़े होने या बैठने, पुस्तक को ठीक प्रकार से हाथ में लेने और नेत्र से उसकी दूरी के सम्बन्ध में बता देना आवश्यक होता है | विशेषज्ञों के अनुसार पुस्तक सदा बाएँ हाथ में पकड़नी चाहिए और आँखों से प्रायः एक फूट की दूरी पर उसे रखना चाहिए |

पुस्तक सीधी हथेली पर पैतालीस अंश के कोण बनाए | अगले पृष्ठ को खोलने के लिए अंगुलियों के भी उचित संचालन का अभ्यास भी कसा चाहिए | उचित आसन व मुद्रा प्राथमिक स्तर पर ही अपेक्षित है और माध्यमिक स्तर से पूर्व ही बालक इस दृष्टि से पूर्ण दक्ष हो जाना चाहिए |

- ii) ध्वनि प्रकाशन** – बालक को अभ्यास करना आवश्यक है कि किसी बात को वो ध्यानपूर्वक सुने व सही रूप में उस का अर्थ ग्रहण करे, क्योंकि अनुकरण का आधार भी यही है | ध्वनि का उचित प्रयोग तभी संभव है जब उच्चारण की दृष्टि से आवश्यक सभी ध्वनि अवयवों एवं पेशियों का संचालन सही प्रकार से हो | इसके अतिरिक्त स्पष्ट अर्थबोध होना भी अति आवश्यक है | अर्थबोध के आभाव में सुनकर भी भाव एवं विचारों को सही रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है |
- iii) दृष्टि विराम एवं दृष्टि केंद्र**– पढ़ते समय हमारी आँख एक-एक अक्षर न देखकर शब्द-समूहों को एक साथ देखती है और झटके (जर्क) के साथ एक शब्द या शब्द समूह से दूसरे शब्द समूह तक उछलती हुई आगे बढ़ती जाती है | दृष्टि पहले एक शब्द स्थल पर जमती है जिसे दृष्टि-बिंदु या दृष्टि केंद्र (Fixation Point) कहते हैं | हमारी आँख एक केंद्र से हटकर दो एक शब्दों के बाद दूसरे पर जा पहुँचती है और वह शब्द 'दृष्टि केंद्र' बन जाता है | दो केंद्रों के बीच की दूरी को 'दृष्टि विराम' (Eye Span) कहते हैं | दृष्टि परिधि जितनी बड़ी होगी, दृष्टि विराम भी उतना ही बड़ा होगा और दृष्टि विराम जितना बड़ा होगा, पठन की गति भी उतनी अधिक होगी | अतः अच्छे पठन हेतु चक्षु-गति का नियमन, दृष्टि-परिधि एवं दृष्टि विराम का बढ़ा होना और दृष्टि केंद्र पर कम से कम रुकना आदि के अभ्यास होना आवश्यक है | जैसे मंद गति व तीव्र गति दृष्टि विरामों का उदाहरण है-
- मंद गति – भाषा/सीखना/एक/ कला है | सिद्धांत / या / विज्ञान नहीं |
- तीव्र गति – भाषा सीखना एक कला है | सिद्धांत या विज्ञान नहीं | अतः धारा प्रवाह पठन के लिए लम्बे दृष्टि विरामों की आवश्यकता पड़ती है और इससे पठन गति स्वयं ही बढ़ जाती है |
- iv) लय (Rhythm)**– खण्ड-खण्ड में पढ़ना एक प्रकार का प्रत्यावर्तन (regression) और अवोधन (hesitation) है | लयबद्ध पठन अवबोध आवश्यक है क्योंकि उसी पर अर्थग्रहण निर्भर करता है | यही सिद्धांत सुनने की प्रक्रिया में चरितार्थ होता है | जब प्रवाहपूर्ण आरोह-अवरोह के साथ लयात्मक गति से बोलते हुए किसी वक्ता की वाणी हम सुनते हैं तब सरलता के साथ अर्थ ग्रहण करते हैं, किन्तु रुक-रुक कर एक-एक शब्द या शब्द खण्ड पर विराम लेते हुये या रुकते हुये कोई बोलता है तो उसकी बात हमें समझ नहीं आती | अतः लययुक्त वाणी, लयवहीन वाणी की अपेक्षा दूनी गति से बोलने पर अधिक बोधगम्य होती है |
- v) गति (Speed)**– इसका प्रभाव अर्थग्रहण पर पड़ता है | पठन अवबोध की सुचारू गति न होने से प्रवाह और बोध ग्रहण दोनों ही बाधित होते हैं | अतः आधुनिक पठन शिक्षण-विधियों में बच्चों के सामने ऐसी पाठ्य-सामग्री रखने का समर्थन करती है जिन्हें बालक समझते हुए प्रवाह के साथ पढ़ सकें |

- vi) **शब्दावली (vocabulary)** – पाठ अवबोध प्रक्रिया पाठक के शब्द भंडार से बहुत अधिक सम्बंधित होता है क्योंकि अर्थग्रहण सीधे शब्दों के ज्ञान से सम्बंधित है। जिस बालक का शब्द भंडार जितना अधिक होगा, वह उतना ही शीघ्र अर्थ ग्रहण करने में सक्षम होगा। यह स्मरण रखे कि प्रचुर शब्द का ज्ञान से बालक में पठन-रुचि बढ़ती है और जितना वह पढ़ता है उसका शब्द ज्ञान उतना ही बढ़ता जाता है। अतः शब्द ज्ञान एवं पठन योग्यता दोनों परस्पर पूरक है।
- vii) **अर्थग्रहण** – पठन अवबोध प्रक्रिया में अर्थग्रहण स्वनिहित है। बिना बोध के पढ़ना-पढ़ना नहीं, वह तो केवल लिपि का ज्ञान मात्र है। अर्थग्रहण की दृष्टि से शब्द और अर्थ का चक्षु और मस्तिष्क का पूर्ण समायोजन आवश्यक है।

9.7 पठन अवबोध एक विषयवस्तु के रूप में (Reading Comprehension as a Subject)

हम देखते हैं, विद्यालय में विभिन्न स्तर पर अलग-अलग विषय चलाये जाते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में बालकों को अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शब्दों व शब्द समूहों से परिचित करा उनमें वर्णों, अक्षरों की पहचाने की क्षमता विकसित की जाती है। मुख्यतः आरंभिक कक्षाओं में बालक की भाषा विकसित करने पर अधिक जोर दिया जाता है जिससे वह पढ़ना, बोलना व लिखने का कौशल विकसित कर सके। सुनने का कौशल बालक अपने परिवार से ही सीखना शुरू कर देता है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर आते-आते बालक का शब्द भंडार विस्तृत हो जाता है। शब्द भंडार का विस्तार कई माध्यमों से संभव है जैसे नई रोचक पुस्तकें पढ़ना, टी.वी. पर शैक्षिक कार्यक्रम देखना, नई परिस्थितियों में प्रवेश करना, सामूहिक या सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, परिवार में सदस्यों द्वारा आम बोलचाल में नये शब्दों का प्रयुक्त किया जाना आदि। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय। संचार के माध्यमों ने भी बालक की जानकारी का स्तर बढ़ा दिया है।

पठन अवबोध की सार्थकता तब ही बनी रह सकती है जब तक बालक पठन कौशल सुदृढ़ हो तथा वह जो पद रहा है उसका अर्थग्रहण हो रहा हो। क्योंकि मानव में ज्ञानार्जन की जिज्ञासा स्वभावतः होती है और ज्ञानवृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, अतः पठन अवबोध का ज्ञान वर्तमान समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ज्ञानार्जन के तीन साधन हैं-

अ) प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव

ब) विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना तथा

स) स्वाध्याय।

प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव द्वारा परत ज्ञान सत्य व स्थायी होता है, किन्तु अल्प जीवन काल में हम ज्ञान सागर के अल्पांश भी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन विचार विनिमय द्वारा स्वयं व दूसरों के अर्जित ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना अधिक लाभकारी होता है और इसका सबसे उत्तम साधन विद्यालय है। स्वाध्याय द्वारा पूर्व व वर्तमान के विद्वानों की कृतियों का अध्ययन कर नवीन ज्ञान अर्जित करना संभव है।

अतः हम कह सकते हैं कि सम्पूर्ण ज्ञानार्जन की कुंजी पठन अवबोध है। शिक्षा का मूल उद्देश्य राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिक को तैयार करना है, इस उद्देश्य पूर्ति हेतु पठन अवबोध अपनी अहम भूमिका निभाता है। विश्व की समसामयिक घटनाओं से परिचय तथा पुरे विश्व से सम्पर्क बनाये रखने में पठन अवबोध के महत्वता को नकारा नहीं जा सकता।

बोध प्रश्न

4. ज्ञानार्जन के तीन प्रमुख साधन कौनसे हैं ?
5. पठन अवबोध के महत्व को स्पष्ट करें ?
6. किन संचार माध्यमों से पठन अवबोध की क्षमताये विकसित होती है ?

9.8 पठन अवबोध के प्रकार (Types of Reading Comprehension)

शिक्षण का उद्देश्य बालको को विषय के प्रति ज्ञान प्राप्त हो जाना नहीं है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य बालको में पठन के प्रति रूचि जाग्रत करना है। इस हेतु बालकों को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकें या मैगजीन आदि के अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें जिससे उनमें पठन करने रूचि बढ़े। पठन अवबोध के निम्न प्रकार हैं –

1) व्याख्यात्मक विषयवस्तु (Expository Text):

एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का अर्थ है विषयवस्तु से सम्बंधित तथ्यों को सरल व स्पष्ट रूप में प्रस्तुत या उजागर करना है अर्थात् विषयवस्तु की वास्तविकता एवं सत्यता से अवगत करता है। अतः एक्सपोजिटरी टेक्स्ट से तात्पर्य है वह माध्यम इसके द्वारा हम तथ्यों व उद्देश्यों को शैक्षिक दृष्टि से पहचानने में सहायक हो। इस प्रकार की विषय वस्तु लेखन का उद्देश्य पाठक को सूचना प्रदान करना होता है। इस टेक्स्ट के द्वारा प्रदान सूचनाएँ व तथ्य उद्देशपूर्ण व विश्वनीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं। यह सत्य व सहज रूप से शिक्षण केन्द्रित विषय वस्तु को पाठक तक पहुँचाने का कार्य करता है। इन टेक्स्ट का लेखन स्पष्ट, आत्मकेन्द्रित व संगठित होता है। इसके माध्यम से केंद्र बिंदु पर जल्दी व प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये टेक्स्ट सूचना आधारित होती है तथा in सूचनाओं को निम्न के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणतः पाठ्यपुस्तक, समाचार अभिलेख, अनुदेशन, मानक पात्र, भाषायी पुस्तकें, स्व सहायक पुस्तकें, देश व राज्य की गाइड पुस्तिका आदि।

Expository Text को क्यों सीखें ?

बड़ी सोच या विचार को विकसित करने में एक्सपोजिटरी टेक्स्ट हमारी मदद करता है। इन विषय वस्तु में कुछ संरक्षणात्मक तत्व होते हैं जो बालक को पढ़ने में सहायता करते हैं। एक्सपोजिटरी विषय वस्तु लेखकों के द्वारा संरचनात्मक तत्वों का उपयोग कर विषय वस्तु को अपने विचारों के साथ जोड़ते हुए व्यवस्थित करते हैं। जो बालक विषय वस्तु की संरचनात्मक तत्वों के विचारों को समझ लेता है वो आसानी से इस प्रकार की विषय वस्तु का विश्लेषण करना सीख जाता है। विषय वस्तु की विशेषताएँ पढ़ाने वाले को सूचनाओं को संगठित करने व पहचान बताने का कार्य करती हैं। जैसे कोई हैडिंग (मुख्य बिंदु या प्रकरण) से बालकों को उनकी सहायता से अवगत कराना। किसी विषय वस्तु की हैडिंग से परिचित होने पर विद्यार्थी उससे सम्बंधित कुछ विशिष्ट सूचनाएँ मिल जाती हैं जिनके आधार पर पूर्व में प्राप्त ज्ञान से बालक उससे जोड़ लेता है और विषयवस्तु को लम्बे समय

तक अपनी स्मृति में संग्रहित कर लेता है। अर्थात् बिना हैडिंग के किसी भी प्रकार सुचना का विस्तार करना अँधेरे में तीर चले के समान है।

Meyer (1985) के अनुसार विषय वस्तु को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है-

- i) **विस्तारण (Description)** – लेखक के द्वारा हैडिंग या प्रकरण की विस्तार से व्याख्या करना।
- ii) **क्रमबद्ध (Sequence or Chronological arrangement)**– लेखक के द्वारा तथ्यों को अंकित या वार्षिक क्रम में जमाना।
- iii) **तुलना / समानता (Compare / Contrast)**- लेखक दो या दो से अधिक घटनाओं, वस्तुओं या प्रकरणों में किसी आधार पर तुलना या समानता को बताता है।
- iv) **कारण / प्रभाव (Cause / Effect)**-लेखक के द्वारा किसी एक कारण या प्रभाव को प्रभावी रूप में विस्तारित करना।
- v) **समस्या / समाधान (Problem / Solution)**– लेखक के द्वारा ही उठाये गये किसी समस्या या प्रश्न का समाधान या उत्तर दिया जाता है।




Figure 1: Graphic organizers and signal words/phrases

2) संक्षिप्तीकरण विषयवस्तु (Narrative Text) -

जब हम काल्पनिक उपन्यास, नाटक, कहानी या घटना की बात करते हैं, तो वास्तव में हम संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु के सम्बन्ध में बात कर रहे होते हैं। संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना तथा पाठक का ध्यान आकर्षित करना है। इनका लेखन सूचना देने, शिक्षा देकर अभिवृत्ति को बदलने या सामाजिक विचारों या मतों के प्रति अभिवृत्ति प्रस्तुत करने से है। इसके अंतर्गत चारित्रिक विशेषताएँ समय व जगह के अनुसार बदलते रहते हैं तथा कहानियों में एक या एक से अधिक घटना/ समस्याएँ इस तरह क्रमबद्ध होती हैं कि उनका समाधान एक के बाद एक कड़ीसे सुलझता चला जाता है। जैसे टी.वी. पर कुछ प्रचलित नाटक (serial) दिया और बाती, यह रिश्ता क्या कहलाता है।

संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु के प्रकार :

संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु कई प्रकार की होती है जिनमें काल्पनिक व तथ्यात्मक दोनों का सहयोग होता है। निम्न लेख संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत हैं- परियों की कहानी, रोमांचक कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, झूठ आधारित काल्पनिक कहानियाँ, ऐतिहासिक संक्षिप्तीकरण, लोक कथाएँ, अनुभव आधारित घटनाएँ, व्यक्तिगत अनुभव आधारित कथाएँ, जासूसी या रहस्यमयी पहेलियाँ।

संक्षिप्तीकरण की विशेषताएँ :

i बोले जाने वाले संवादों का काल परिवर्तनशील होता है। जैसे – वर्तमान काल से भविष्य काल तक।

ii पात्रों की विशेषताओं को उनके व्यक्तित्व एवं अभिनय के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे राम या रावण का अभिनय करने वाला पात्र का प्रस्तुतिकरण इनके गुणों के अनुसार ही होगा।

iii वर्णात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे पाठक के दिमाग में सर्जनात्मक / काल्पनिक चित्र की छवि बने और वह कहानी या संक्षिप्तीकरण के बे में पूर्वानुमान लगा सके जिससे उसका कहानी पढ़ने या देखने में रुचि बनी रहे।

संक्षिप्तीकरण की संरचना :

परम्परागत संक्षिप्तीकरण की विषय वस्तु की संरचना के लिए निम्न क्रियाओं को केंद्र में रखना होता है-

i अभिनवन (orientation)

ii समस्या या जटिलता (problem or complication)

iii समाधान (resolution)

संक्षिप्तीकरण लेखन निम्न पदों में पूर्ण होता है –

i Plot – कहानी में क्या होने वाला है?

ii Setting – कहानी कब, कहाँ और कैसे शुरू होगी।

iii चारित्रिकरण (Characterisation) – कौन मुख्य पात्र होगा और वह कैसा लगेगा।

iv संरचना (Structure)—कहानी की संरचना कैसी होगी, कहानी कहाँ से शुरू होगी, समस्या क्या होगी व समाधान क्या होगा |

v थीम (Theme)— कहानी की मुख्य थीम या केंद्र क्या होगा, इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या सन्देश या सीख देना चाहता है |

अतः संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु वह काल्पनिक उपन्यास या कहनियाँ होती है जो भावनाओं व संवेगों से परिपूर्ण होती है जो मनोरंजन कराने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं | वही दूसरी तरफ एक्सपोजिट्री टेक्स्ट वह है जो तथ्यों को शैक्षणिक व उद्देशपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं | यह टेक्स्ट सुचना प्रदान करने का कार्य करते हैं |

3) हस्तांतरण विषय वस्तु (Transactional Text)–

हस्तान्तरण विषय वस्तु वह है जिसमें प्रश्न पूछना और उन प्रश्नों का जवाब देना समाहित हो अर्थात् किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करना या आचार विचार व भावों का सम्प्रेषण के माध्यम से विनिमय करना ही 'हस्तांतरण विषयवस्तु' कहलाता है | जैसे एक मित्र के आये हुए पत्र के जवाब में दूसरा मित्र उसे प्रशंसनीय पत्र लिखता है | शब्दों के आधार पर हस्तांतरण विषय वस्तु को दो भागों में विभाजित किया जाता है –

i लॉन्ग हस्तांतरण विषयवस्तु (Long Transactional Text)-वह टेक्स्ट जो 80 या उससे अधिक व 200 से 250 से कम शब्दों के होते हैं उन्हें लॉन्ग हस्तांतरण विषयवस्तु कहते हैं | लॉन्ग हस्तांतरण विषयवस्तु के अंतर्गत निम्न टेक्स्ट आते हैं-

- ऑफिसियल या फॉर्मल लेटर (Official or Formal Letter)
- फ्रेंडली लेटर (Friendly Letter)
- आन्तरिक ज्ञापन (Internal Memorandum)
- एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ़ मीटिंग (Agenda and minutes of the meeting)
- संक्षिप्त लेख लिखना (Writing a short article)
- डायलोग (Dialogue)
- साक्षात्कार (Interview)
- रिव्यू (Review)
- समाचार पत्र अभिलेख (Newspaper Article)
- मैगज़ीन अभिलेख (Magazine Article)
- न्यूज़ पेपर कॉलम (Newspaper Column)
- व्यक्तिगत वृत्त (Curriculum Vitae or CV)
- शोक सन्देश (Obituary)
- ब्राउशर (Broucher)
- एडिटोरियल (Editorial)

ii संक्षिप्त हस्तांतरण विषयवस्तु (Shorter Transactional Text)- वह टेक्स्ट जो 80-100 शब्दों से कम में लिखे जाते हैं संक्षिप्त हस्तांतरण विषयवस्तु कहलाते हैं। संक्षिप्त हस्तांतरण विषयवस्तु के अंतर्गत निम्न टेक्स्ट आते हैं-

- आमंत्रण पत्र (Invitation)
- डायरी (Dairy)
- पोस्टकार्ड (Postcard)
- निर्देश पुस्तिका (Direction)
- अनुदेशन (Instruction)
- विज्ञापन (Advertisement)
- विज्ञापन पुस्तिका (Flyer)
- पोस्टर (Poster)
- प्रपत्र भरना (Filling in a Form)
- ई-मेल लिखना (Writing Email)
- फैक्स भेजना (Sending Fax)

4) चिंतनपरक विषय वस्तु (Reflexive Text)-

लेखक अपने लेखन कार्य के माध्यम से अपने स्वम् के विचारों, संवेगात्मक क्रियाओं एवं भावों को इस रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है कि पाठक भी उन्हें पढ़कर स्वाम को उन्हीं भावों में डूबा हुआ महसूस करता है जिसका उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखक के गहन विचार एवं संवेगात्मक भाव ही सम्पूर्ण संसार के पाठकों के विचारों एवं भावों को प्रभावित करते हैं। जैसे की लेखक के स्वम् के सपने व आकांक्षाओं पर लेख लिखता है। उदाहरण - 'अपने जीवन काल के पंसदीदा टीचर के बारे में बताना' | 'जीवन के बारे में स्वम् के विचार तथा जीवन कैसे जिया जाये' | जैसे विषयों पर अपने विचारों में लेख लिखना।

चिंतनपरक विषय वस्तु को लिखने के लिए किन्-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए –

i विषय वस्तु सैद्धान्तिक होती है।

ii भाव व संवेग मुख्य भूमिका निभाते हैं।

iii लेखन का कुछ भाग कुछ अधिक विस्तृत हो सकता है जिसके अंतर्गत लेखक उन बातों को विस्तार से बताता है जिसके द्वारा पाठक विविध व उद्देशपूर्ण घटनाओं के माध्यम से भावनाओं को पुनः प्रकट करता है।

iv उन विचारों व भावनाओं को प्रदर्शित करना जो अति संवेदनशील व व्यक्तिगत भागीदारी के रूप में लेखक के द्वारा महसूस किये जा चुके हों।

अतः हस्तांतरण विषय वस्तु वह है जिसमें विचार व भावों को सम्प्रेषण के माध्यम से विनिमय या किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में दिया जाता है वही दूसरी तरफ चिंतनपरक विषय वस्तु है

जिसमें लेखक स्वम् के विचार, सपनों व आकांक्षाओं को कथा या कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है।

बोध प्रश्न

7. पठन अवबोध कितने प्रकार का होता है ?
8. एक्सोजिट्री विषयवस्तु से क्या तात्पर्य है ?
9. संक्षिप्तीकरण के प्रकार बताइए ?
10. चिंतन परक विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं ?

9.9 सारांश (Summary)

प्रस्तुत इकाई में पठन अवबोध को समझाते हुए यह बताया गया है कि पठन कौशल अन्य तीनों कौशलों से अधिक महत्वपूर्ण है। पठन का अर्थ जोर से पढ़ना या मौन वाचन करना है जिससे लिखित या मुद्रित सामग्री का अर्थ भाव समझ में आ जाये। बिना अर्थ भाव समझे पढ़ना केवल शब्दों पर निगाह घुमाना है। पठन अवबोध के द्वारा विद्यालय के अन्य विषयों, नवीन ज्ञान प्राप्त करने तथा बालक की समस्त मानसिक व भावात्मक उन्नति निर्भर करती है। पठन क्रिया विधि के पदों को सही प्रकार से समझकर पठन अवबोध क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पठन अवबोध के चार प्रकार हैं :- उजागर विषयवस्तु, संक्षिप्तीकरण विषयवस्तु, हस्तान्तरण विषयवस्तु व चिंतनपरक विषयवस्तु।

9.10 अभ्यास प्रश्न

1. जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए पठन है।
i कठिन
ii असंभव
iii आश्चर्यजनक
iv चिंता का विषय
2. पठन अवबोध प्रक्रिया में एवं अवयवों सम्मिलित है जो प्रत्येक अंग को सक्रिय करने में सहायक है।
3. पठन अवबोध से आप क्या समझते हैं ?
4. पठन अवबोध विकसित होने पर बालक में कौन-कौनसी योग्यताएं आ जाती हैं ?
5. पढ़ते समय भाषा के उपयोग से जुड़े तीन तरह के संकेत कौनसे हैं ?
6. पठन अवबोध का क्या महत्व है ?
7. पठन अवबोध में दृष्टी विराम व दृष्टी केंद्र को स्पष्ट कीजिए।
8. एक्सपोजिट्री टेक्सट के उदाहरण बताये ?
9. संक्षिप्तीकरण लेखन किन पदों में पूर्ण होता है ?
10. हस्तान्तरण विषय वस्तु के प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए ?
11. चिंतनपरक विषय वस्तु को लिखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

9.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ. सिंह, निरंजन कुमार (2008), “माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर |
- डॉ. मंगल, उमा (2006), “हिंदी शिक्षण” आर्यबुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली |
- डॉ. शर्मा, खेमराज & ब्रजराज (2012), “हिंदी शिक्षण” अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा |
- डॉ. पाण्डेय, नित्यानंद & डॉ. गंगाराम शर्मा (2005), “हिंदी भाषा शिक्षण” एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा |
- भाई योगेन्द्र जीत (2006), “हिंदी भाषा शिक्षण” विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा |
- डॉ. चतुर्वेदी शिखा, “भाषा एवं हिंदी साहित्य शिक्षण” आर लाल बुक डिपो, आगरा |
- डॉ. डबास रामकरण, पारिक शिवराज, “हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता” (SIERT उदयपुर), राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर |
- NCF पाठ्यचर्या (2005), “NCERT नई दिल्ली”
- डॉ. पाठक पी. डी. (2009), “शिक्षा मनोविज्ञान” आर लाल बुक डिपो, आगरा |
- डॉ. गाँधी, भारत कुमार, बी एल नापित (2014), “भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में” (SIERT उदयपुर), राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जयपुर |
- अग्निहोत्री, रमाकांत (2011), “बहुभाविक्ता, साक्षरता, भाषा शिक्षण एवं बौद्धिक विकास छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर |
- भारतीय भाषाओं शिक्षण (2009), “आधार पत्र NCERT नई दिल्ली”
- सिंह सूरजभान (2008), “हिंदी भाषा संदर्भ और संरचना, साहित्य सहकार, नई दिल्ली |
- वाजपेयी किशोरीदास, “शब्दकोश अनुशासन, वाणी प्रकाशक, नई दिल्ली
- प्रसाद वासुदेवनंदन (2013), “आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना”, भारती भवन प्रकाशक, पटना |
- डॉ. त्यागी ओंकारसिंह & एम्. पी. सिंह, “शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षा-कक्ष प्रबंध” अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर |
- www.ncert.nic.in
- www.google.com
- www.amazon.com

इकाई – 10

स्कीमा सिद्धांत पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु का परीक्षण

(Schema theory, knowhow of examining content area of text books)

इकाई की रूपरेखा

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 स्कीमा क्या है ?
- 13.4 पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु का परीक्षण
- 10.4 सारांश
- 10.5 शब्दावली
- 10.6 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची
- 10.7 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

जब भी भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा होती है तब जीन पियाजे, चाम्स्की (Chomsky), ब्रूनर (Bruner) एवं वायगोत्सकी (Vygotsky) की चर्चा अवश्य होती है। भले ही भाषा के क्षेत्र में पियाजे सर्वाधिक प्रभावकारी सिद्ध हुए। जीन पियाजे (Jean Piaget) के संज्ञानात्मक विकास की जहाँ एक तरफ प्रशंसा एवं श्लाघा हुयी वहीं दूसरी तरह इन विकास के चरणों के परिणाम तक पहुंचने के तरीकों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया। पियाजे ने हमें बताया कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास (Cognitive Development) के सेनसरी मोटर (Sensory Motor), पूर्व आपरेशनल (Pre- Operational), कंक्रीट ऑपरेशनल (Concrete Operational) एवं फार्मल ऑपरेशनल (Formal Operational) चरणों से अवश्य गुजरते हैं। इस धारणा ने निश्चित ही संपूर्ण शिक्षाशास्त्रीय विमर्श पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। पियाजे के निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञानतंत्र सेंसरी मोटर मेकैनिज्म (Sensory motor mechanism) के माध्यम से निर्मित होते हैं जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण (Assimilation) एवं समायोजन (Accommodation) के माध्यम से कई स्कीमेटा बनाता जाता है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- स्कीमा का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे।
- स्कीमा के विभिन्न प्रकारों को बता सकेंगे।
- पाठ्यपुस्तक में आवश्यक विषयवस्तु का निर्धारण करना जान सकेंगे।

10.3 स्कीमा क्या है ?

स्कीमा - स्कीमा (Schema) से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा दो प्रकार का होता है। पहला

1. साधारण स्कीमा (General Schema)

2 . जटिल स्कीमा (Complex Schema)

साधारण स्कीमा से तात्पर्य ' स्कीमा मोटरकार खिलौने के स्कीमा से तात्पर्य समझा जा सकता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ का स्कीमा जटिल स्कीमा का उदाहरण है।

स्कीमा सिद्धान्त इस बात को प्रतिपादित करता है कि पाठ्य अंश से सीखने एवं समझने के लिए हमें इसे अपने पूर्वज्ञान से जोड़ना ही पड़ेगा। (रूमेल हार्ट, 1980), वास्तव में स्कीमा शब्द का पहली बार प्रयोग बारलेट द्वारा सन् 1932 में किया गया जिसमें उसने स्कीमा की पूर्व प्रतिक्रियाओं एवं अनुभवों का सक्रिय संगठन कह कर प्रतिपादित किया।

भाषा के संदर्भ में स्कीमा सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है वह यह है कि लिखा हुआ कोई भी वाक्य या वाक्यों के समूह अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। बल्कि वह तो केवल एक दिशा की तरफ इंगित करता है जिससे कि पाठक स्वयं उसके अर्थ का निर्माण कर सके। पाठक अपने पूर्वज्ञान के आधार पर उस वाक्यांश का अर्थ ग्रहण करता है। यह प्रारंभिक पाठक का पूर्व ज्ञान एवं ज्ञान संरचना स्कीमेटा के मान से जाना जाता है। किसी भी पाठक का स्कीमेटा एक ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित रहता है। जिसमें कि साधारण ज्ञान ऊपर के क्रम तथा विशेष ज्ञान नीचे के क्रम में व्यवस्थित रहता है। स्कीमा सिद्धान्त के अनुसार किसी भी वाक्यांश को समझने हेतु पाठक का पूर्व ज्ञान एवं वाक्यांश के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। ठीक तरीके से समझने हेतु पूर्वज्ञान एवं वर्तमान पठन के बीच समन्वय स्थापित होना ही चाहिए -

स्कीमेटा के प्रकार (Types of Schemata)

- 1- औपचारिक स्कीमेटा (Formal Schemata)
- 2- विषयवस्तु संबंधी स्कीमेटा (Content Schemata)
- 3- सांस्कृतिक स्कीमेटा (Cultural Schemata)
- 4- भाषाई स्कीमेटा (Linguistic Schemata)

1- औपचारिक स्कीमेटा (Formal Schemata) - औपचारिक स्कीमेटा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के आलाकारिक संरचनात्मक वाक्यांशों के संदर्भ का पूर्व ज्ञान से है। यदि दूसरे

शब्दों में कहा जाय तो औपचारिक का स्कीमों से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों के प्रस्तुतीकरण से है। विभिन्न प्रकार के पाठ जैसे कहानियां, पत्र, भाषण, कविताएं, गद्यांश आदि की पहचान एक दूसरे से भिन्नता के आधार पर ही होता है। इनके आधार में निहित संरचना है उसे औपचारिक स्कीमेटा कहा जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सी कहानियों के आधार में जो स्कीमेटा होता है। वह निम्न प्रकार का होता है।

कहानी = व्यवस्था (स्थिति + स्थिति) + प्रकरण + घटनाक्रम + प्रतिक्रिया

Story Setting State + state + episode + event + reaction

कहानियां इस तरह की पृष्ठभूमि में होती हैं जिससे कि समय, स्थान एवं चरित्र की पहचान हो सके तथा साथ ही साथ विभिन्न प्रकरण विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। विभिन्न प्रकार की विधाएं में विभिन्न प्रकार संरचनाएं होती है।


2- विषयवस्तु संबंधी स्कीमेटा (Content Schemata) - विषयवस्तु संबंधी स्कीमेटा से मूलतः वाक्यांश (पाठ) के विषय वस्तु संबंधी पृष्ठभूमि ज्ञान से संबंधित है। (कैरेली एण्ड एस्टर होल्ड, 1983), इसका जुड़ाव किसी शीर्षक विशेष के संप्रत्ययात्मक ज्ञान एवं सूचना है जो कि एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ा हुआ होता है। विषय वस्तु संबंधी स्कीमेटा विशेष घटनाओं एवं वस्तुओं का एक खुला सेट होता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी रेस्तराँ में उपलब्ध सर्विस, मीनू विभिन्न प्रकार के भोजन का ऑर्डर देना, बिल अदा करना, टिप देना आदि की सूचना से होगा। विषय-वस्तु संबंधी स्कीमेटा ज्यादातर सांस्कृतिक बाध्य (Cultural-bound) होता है। इसलिए सांस्कृतिक स्कीमा को सामान्यतया विषय वस्तु स्कीमा में वगीकृत किया जाता है।

3- सांस्कृतिक स्कीमेटा (Cultural Schemata) -- जॉनसन (1981) एवं कैरेली (1981) के अध्ययनो ने इस बात को पुष्ट किया है कि किसी पाठ (वाक्यांश) में निहित सांस्कृतिक ज्ञान पाठक के स्वयं के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से द्रन्द्र करता है। स्वयं के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित पाठ या वाक्यांशों को दूसरे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पाठ या वाक्यांश के मुकाबले समझना सहज एवं आसान होता है। विभिन्न सांस्कृतिक समूह उसी पाठ या वाक्यांश को अलग अलग समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। किसी पाठ के पूर्ण रूप से समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि (Cultural Background) की समझ अति-आवश्यक है।

4- भाषाई स्कीमेटा (Linguistic Schemata) - भाषाई स्कीमा का संबंध व्याकरण एवं शब्दों के ज्ञान से है। यह किसी भी पाठ को समझने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी (1988) के अनुसार अच्छे पाठक किसी पाठ-विशेष को अच्छी तरह व्याख्यायित करने के साथ साथ उसे अच्छी तरह से डिकोड (Decode) भी करते हैं। बिना अच्छी डिकोडिंग दक्षता (Decoding skill) के कोई भी अच्छा पाठक बन ही नहीं सकता है।

स्कीमेटा की प्रकृति (The Nature of Schemata): स्कीमा सिद्धांत की मूल धारणा यह है कि मानव स्मृति मूलतः शब्दार्थ की तरह व्यवस्थित है न कि वर्णमाला क्रमों के अनुसार और न ही ध्वन्यात्मकता के अनुसार | इसके अलावा स्मृति एक थैसारस की तरह व्यवस्थित है न कि एक शब्दकोष की तरह | कोई भी व्यक्ति विशेष प्रत्येक तरह की वस्तु की तरह स्कीमेटा रखता है चाहे वो वस्तु दिखने में साधारण हो या क्लिष्ट हो | जैसे व्यक्ति कलम, फूटबाल या चश्मा का स्कीमेटा रखता है वैसा ही वह प्यार (Love), क्रोध (Anger) या फिर जलन जैसे संप्रत्ययों का स्कीमेटा भी

रखता है | वह भिन्न-भिन्न क्रियाओं का भी स्कीमेटा रखता है जैसे किसी वस्तु को खरीदना, फुटबाल खेलना या फिर सेमीनार में उपस्थित होना इत्यादि | एक कुर्सी की स्कीमा उसी तरह की हो सकती है जैसा कि चित्र संख्या- १ में दिखाया गया है |



A Partial Semantic Network of “CHAIR”

यह कई अलग स्कीमेटा का एक समूह भी हो सकता है | किसी भी वस्तु को कुर्सी कहे जाने के लिए कोई निश्चित गुण या विशेषताएं होता है | जैसे की एक कुर्सी में एक सीट, दो हैंडल एवं, बैक, काउच, होना अनिवार्य है तभी उसको कुर्सी कह सकते हैं | इसी तरह से घर की कुर्सी, आफिस की कुर्सी, दैनिंग कमरे की कुर्सियों के अलग-अलग गुण होंगे |




Fig. A partial representation of what might exist in a person's 'buy' schema.

अमूर्त सत्ताओं (Abstract Entities) जैसे – प्रेम (Love), क्रोध (Anger), जलन (Envy) इत्यादि जैसे के लिए स्कीमेटा एक संप्रत्यय (Concept) की ही तरह होता है | किन्तु विभिन्न क्रियाओं एवं घटनाओं के लिए स्कीमेटा संप्रत्ययों की तरह न होकर विमाओं की तरह होती है | चित्र संख्या २ प्रासंगिक एवं क्रमबद्ध विमाओं की भांति किसी वस्तु को खरीदने की स्कीमेटा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं |

अभ्यास प्रश्न

स्कीमा क्या होता है ? स्पष्ट करें |

साधारण स्कीमा एवं जटिल स्कीमा में अंतर स्पष्ट करें |

स्कीमेटा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें |

स्कीमेटा की प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है ?

किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के खरीदने का स्कीमा का निर्माण या प्रारूप कैसा हो सकता है ?
निरूपण करें |

10.4 पाठ्यपुस्तक के विषय वस्तु का परीक्षण (Knowhow of examining content area of text books)

किसी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यवस्तु उस कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में संकलित होती है | इस पाठ्यवस्तु का संकलन विविध ग्रंथों विख्यात साहित्यकारों की अमर कृतियों, दस्तावेजों और विशेषियों की रचनाओं आदि से किया जाता है | इसलिए इनका विद्यार्थियों के सत्र के अनुकूल और अधिगम लक्ष्यों के अनुरूप होना सुनिश्चित नहीं होता है | इस कारण कभी – कभी इन रचनाओं एवं कृतियों को संपादित एवं छोटा करके भी पाठ्यक्रम में संकलित किया जाता है | इस प्रक्रिया का उद्देश्य है पाठ को उस स्तर के विद्यार्थियों को अधिगम के लक्ष्यों (Goals of learning) के अनुरूप बनाना | इसके बाद अध्यापक उस पाठ को छोटी शिक्षण इकाइयों में विभक्त करता है ताकि उनके माध्यम से प्राप्य अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके | इस प्रक्रिया में निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है |

1. प्रकरण / इकाई विश्लेषण |
2. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण और उनका व्यावहारिक शब्दावली में लेखन |
3. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अधिगम हेतु शिक्षण विधियों गतिविधियों और सहायक उपकरणों का निर्धारण |
4. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए उचित तकनीकों का उल्लेख |

पाठ्यवस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण में शामिल सोपान एवं गतिविधियां परस्पर सम्बद्ध और अन्योन्याश्रित हैं | इनकी परस्पर निर्भरता से एक चक्र का निर्माण होता है, जो उप इकाइयों के निर्धारण से आरम्भ होकर अधिगम लक्ष्यों के निर्माण पर समाप्त होता है | इस चक्र के एक अन्य विशेषता है कि इसके प्रत्येक चरण की भूमिका तैयार रहती है और पूर्ववर्ती चरण का प्रिस्थपोषण होता है | इस प्रकार पाठ्यवस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की गतिविधि सर्वांग सम्पूर्ण है और

शिक्षक और विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम है।

शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का महत्व (The importance of pedagogical analysis):

शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में सार्थक और स्थायी परिवर्तन लाना है। पाठ्यक्रम में संकलित सामग्री कितनी ही उत्तम एवं सुनियोजित हो, किन्तु यदि उसका यथोचित सम्प्रेषण न हो पाए, तो उसके माध्यम से कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसका भाव यह है पाठ्यपुस्तक में सत्रीय अध्ययन सामग्री का संकलन करके ही अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यहीं से पाठ्यक्रम की शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की भूमिका आरम्भ होती है। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक पाठ्यवस्तु के सत्व और उपयोगिता से परिचित होते हैं। उन्हें इसके सार्थक अंतरण के पद्धति के विषय में सोचने एवं निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसी माध्यम से शिक्षक पाठ्यवस्तु के प्रत्येक अंश का सदुपयोग कर पाने में सक्षम हो पाते हैं।

पाठ्यवस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ्यवस्तु के प्रत्येक अंश को अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम बनाया जाय और उससे प्राप्त किये जा सकने वाले ज्ञान, बोध, अनुभव एवं कौशल की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए। इसके माध्यम से न केवल शिक्षक अपितु विद्यार्थी भी पाठ्यवस्तु का सदुपयोग करने में सक्षम होते हैं। इस गतिविधि से पाठ्यवस्तु के शिक्षण को अधिक सटीक, वैज्ञानिक एवं युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण के साथ ही प्रभावी और सटीक मूल्यांकन की भी व्यवस्था होती है। इन तथ्यों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि पाठ्यवस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण द्वारा अधिगम को सफल एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तक ज्ञान (Knowledge), अनुभवों (Experience), भावनाओं (Feelings), विचारों (Thoughts), प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है— हैरोलिकर

इस परिभाषा के अनुसार पाठ्यपुस्तक विविध विषयों, प्रकारों और स्रोतों से प्राप्त ज्ञान के एकत्रीकरण द्वारा विद्यार्थियों को समृद्ध करती है। इनके माध्यम से विद्यार्थी अपने एवं समाज का और देश- दुनिया का परिचय पाते हैं। बीस ज्ञान के माध्यम से वे न केवल सूचना (Information) और तथ्यों (Facts) को जानते हैं अपितु इनके साथ सामंजस्य साधने और जीवित बिताने के लिए भी स्वयं को सन्नद्ध करते हैं। पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को शिक्षण और विद्यार्थियों को अधिगम व अभ्यास के लिए उत्प्रेरण व मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से भाषा शिक्षण जैसे अमूर्त विषय को भी मूर्त व सजीव रूप प्रदान किया जा सकता है।

प्राचीन काल में पुस्तकों के लिए ग्रन्थ शब्द का व्यवहार होता था। ग्रन्थ शब्द का अर्थ है – गूँथा या पिरोया हुआ। प्राचीन पुस्तकें वृक्षों की चालों, पत्तों (जैसे भोज पत्र) या धातुओं (स्वर्ण, रजत, ताम्रपत्र) पर उकेरी जाती थीं जिन्हें क्रमानुसार धागे में पिरोकर या बाँधकर रखा जाता था। इसका एक अन्य अभिप्राय विचारों, तथ्यों, सूचनाओं इत्यादि की लिखित प्रस्तुति भी था। इस प्रकार के ग्रंथों में ज्ञान – विज्ञान, सूचनाओं – घटनाओं इत्यादि का संचय होता था। इसी प्रकार अंग्रेजी का बुक (Book) शब्द भी जर्मन शब्द बोक से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ पुरानी इंग्लिश (Old English) के अनुसार लिखित दस्तावेज है। आज पाठ्यपुस्तकें शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र बन चुके हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को न केवल

अध्ययन- अध्यापन की दिशा, प्रक्रिया और क्रम के विषय में निर्दिष्ट करती हैं | अपितु शिक्षण – अधिगम के मूल्यांकन (Evaluation of teaching-learning) का आधार भी प्रदान करती हैं | इनकी उपयोगिता को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है |

पाठ्यपुस्तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता किसी स्तर विशेष पर विद्यार्थियों के लिए पठनीय सामग्री के संकलन में है | पाठ्यपुस्तकों की सहायता से साहित्य (Literature), विज्ञान (Science), कला, खेल, व्याकरण इत्यादि के अथाह भंडार में से विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल, उपयोगी, संतुलित और ज्ञानवर्धक अंशों के अध्यापन का नियोजन किया जा सकता है | यह पाठ्यक्रम नियोजन किया जा सकता है | यह पाठ्यक्रम नियोजन विद्वान शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है और किसी स्तर के विद्यार्थियों के लिये सर्वाधिक उपयुक्त संकलन होता है | इस प्रकार पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों के लिए भी उपयोगी और महत्वपूर्ण भाषा तत्वों (Language elements), साहित्य रूपों, काव्य, निबंध आदि के माध्यम से भाषा- शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है |

विषय वस्तु का परीक्षण करने हेतु निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा

पाठ्यपुस्तकों के संकलन में विद्यार्थियों के सत्र आवश्यकताओं और रुचियों के अतिरिक्त कुछ मूलभूत लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए | इनका उल्लेख निम्न तरीके से किया जा रहा है -\

१. **उद्देश्य में अनुरूपता (Specified Objectives)** : पाठ्यपुस्तक में विषयसामग्री का चयन पुस्तक के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए | मुख्य पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय के विभिन्न पहलुओं से परिचय करना होना चाहिए |
२. **पाठ्यसामग्री का संतुलन(Balance of subject content)** : विभिन्न कक्षाओं के लिए सामग्री संकलन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति, सरलता या कठिनाई के साथ ही उसके परिणाम पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए |
३. **पाठों की लम्बाई का संतुलन (Balance in regard of the length of the book chapter)** : एक अन्य ध्यातव्य बिंदु पाठों की लम्बाई के सन्दर्भ में है | पाठों में यथासंभव इतनी ही पाठ्यसामग्री होनी चाहिए कि उन्हें अधिकतम दो कालांशों में संपन्न कराया जा सके | ऐसा करने से पाठ्यवस्तु के अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि एवं जिज्ञासा कायम रहती है और सन्दर्भ को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है |
४. **पाठ्य- सामग्री की भाषा (Language of the subject content)**: सामग्री के संचय के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाय कि संकलित पाठ्य सामग्री की भाषा कक्षा और विद्यार्थियों के औसत स्तर के अनुरूप हो | पाठ्य- पुस्तक निर्माण के दौरान समस्त सामग्री का सृजन नहीं अपितु संकलन किया जाता है | यह सामग्री ऐसे विख्यात लेखकों द्वारा सृजित होती हैं जिनकी भाषा सहज व स्पष्ट और शैली अवसरानुकूल होती है | कुछ विषयों पर कक्षागत आवश्यकताओं के चलते पाठ्यसामग्री का सृजन भी कराया जाता है | ऐसा प्रायः खेल, विज्ञान या तकनीक, कला, संगीत जैसे सामान्य जनजीवन से संबद्ध विषयों के बारे में किया जाता है | इस सन्दर्भ में विशेषज्ञों एवं कलाकारों की सेवाएं लेते हुए उन्हें भी रचना के उद्देश्य व स्तर

- के विषय में सूचना दी जानी चाहिए | इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त लेखों का मूल्यांकन उपयुक्त मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए |
५. **पाठ्यसामग्री का प्रस्तुतीकरण (Presentation of the subject content):** सामग्री के संकलन के पश्चात उसके प्रस्तुतीकरण को भी समुचित क्रम और उपादेयता प्रदान की जानी चाहिए | इसके लिए अनेक परिपाटियों का अनुपालन किया जाता है | इनमें सर्वप्रथम है सरल से कठिन की वओर | पाठ्यपुस्तक के आरंभिक पाठ पढ़ाने और समझने की दृष्टी से सरल रूचिकर एवं प्रेरणास्पद होने चाहिए | इस परंपरा के अनुसार भाषा, भाव, विषय एवं शैली की दृष्टी से सरल पाठों को पहले रखा जाना चाहिए |
 ६. **चित्रांकन पक्ष (Pictorial dimension):** यद्यपि चित्रांकन की शैली और प्रस्तुति पाठ्यपुस्तक के बाह्य पक्ष का विषय है किन्तु प्रस्तुत चित्रों की मूल पाठ से संबद्धता और विषय को जानने समझने में उनकी उपयोगिता का परीक्षण अंतर्पक्ष का दायित्व है अनुपयोगी तथा अनापेक्षित चित्र पाठ्यवस्तु को सुबुध बनाने की अपेक्षा विद्यार्थियों को भ्रमित कर सकते हैं |
 ७. **मूल्यांकन पक्ष (Evaluative dimension) :** पाठों के अंत में पाठ्यवस्तु के मूल्यांकन के लिए सरल एवं सटीक भाषा में प्रश्न दिए जाने चाहिए | प्रश्नों का उद्देश्य बोध परीक्षा एवं महत्वपूर्ण अंशों का अभ्यास होना चाहिए | मूल्यांकन को सरल व्यावहारिक वस्तुपरक बनाने के लिए सभी प्रश्नों – निबंधात्मक, लघुउत्तरात्मक और वास्तुनिष्ठ संतुलन कायम किया जाना चाहिए |
 ८. **विषयसूची (Content list) :** पाठों का स्थान, लेखक और विधा की सूचना के लिए पाठ्यपुस्तक के प्रारम्भ में विसयसूची का प्रकाशन अनिवार्य है | इससे विद्यार्थियों को किसी भी पाठ का स्थान एवं परिचय जानने में सुविधा होती है |

अभ्यास प्रश्न

पाठ्यपुस्तकों के संकलन में किन मूलभूत लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ? उल्लेख करें|

पाठ्यवस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं ?

पाठ्यवस्तु के विश्लेषण में किन सोपानों का अनुसरण किया जाता है?

10.5 सारांश

स्कीमा - स्कीमा (Schema) से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिक में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा दो प्रकार का होता है। पहला

1. साधारण स्कीमा (General Schema)

2. जटिल स्कीमा (Complex Schema)

स्कीमेटा को अन्य तरीकों से भी विभाजित किया जा सकता है

स्कीमेटा के प्रकार (Types of Schemata)

- 1- औपचारिक स्कीमेटा (Formal Schemata)
- 2- विषयवस्तु संबंधी स्कीमेटा (Content Schemata)
- 3- सांस्कृतिक स्कीमेटा (Cultural Schemata)
- 4- भाषाई स्कीमेटा (Linguistic Schemata)

किसी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यवस्तु उस कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में संकलित होती है। इस पाठ्यवस्तु का संकलन विविध ग्रंथों, विख्यात साहित्यकारों की अमर कृतियों, दस्तावेजों और विशेषज्ञों की रचनाओं आदि से किया जाता है। इसलिए इनका विद्यार्थियों के सत्र के अनुकूल और अधिगम लक्ष्यों के अनुरूप होना सुनिश्चित नहीं होता है। इस प्रक्रिया में निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है।

1. प्रकरण / इकाई विश्लेषण।
2. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण और उनका व्यावहारिक शब्दावली में लेखन।
3. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अधिगम हेतु शिक्षण विधियों गतिविधियों और सहायक उपकरणों का निर्धारण।
4. अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए उचित तकनीकों का उल्लेख।

10.6 शब्दावली

- **स्कीमा - स्कीमा (Schema)** से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिक में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है।
- **औपचारिक स्कीमेटा (Formal Schemata)** - औपचारिक स्कीमेटा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के आलाकारिक संरचनात्मक वाक्यांशों के संदर्भ का पूर्व ज्ञान से है।
- **विषयवस्तु संबंधी स्कीमेटा (Content Schemata)** - विषयवस्तु संबंधी स्कीमेटा से मूलतः वाक्यांश (पाठ) के विषय वस्तु संबंधी पृष्ठभूमि ज्ञान से संबंधित है।

- **सांस्कृतिक स्कीमेटा (Cultural Schemata)** -- जॉनसन (1981) एवं कैरेली (1981) के अध्ययनो ने इस बात को पुष्ट किया है कि किसी पाठ (वाक्यांश) में निहित सांस्कृतिक ज्ञान पाठक के स्वयं के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से द्वन्द्व करता है।
- **भाषाई स्कीमेटा (Linguistic Schemata)** - भाषाई स्कीमा का संबंध व्याकरण एवं शब्दों के ज्ञान से है। यह किसी भी पाठ को समझने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

10.7 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार 2000 (संपादकग), हिंदी देशकाल में
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेजेस 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविचा
- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।
- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, केंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, वैंफब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्युनिक्शन, केंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉसॉफिकल डिसकोर्स ऑफ मॉडर्निटी, केंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमला
- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।

- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुवेफेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचर्ड् सु.जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, कैब्रिज :कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इपैफक्ट ऑफ बाइलिंगुलिज्मम ऑन इटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 14:25-38
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म, नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुवेफेशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- व्योगोत्सकी, एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैंफब्रिज, मॉस: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, बी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग् टी. ई. एस. ओ. एल. त्रौमासिक, 19.1
- इस वेबसाइट को जरूर देखें : <http://www.languageindia.com>

10.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्कीमा से आप क्या समझते हैं? इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, व्याख्या करें।
2. स्कीमा सिद्धांत का भाषा के क्षेत्र में क्या योगदान है विस्तार से समझाएं।
3. पाठ्यपुस्तकों के प्रारूप पर प्रकाश डालें।
4. पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण- शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं ?

इकाई 11

पाठ्य पुस्तक पढ़ने की रणनीति, छात्रों द्वारा टिपण्णी लेखन, सारांश लेखन, पढ़ने एवं लिखने के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना

(Strategies for reading text books, children- note making, summarizing, making reading writing connection)

इकाई की रूपरेखा

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.2 पढ़ने का मनोविज्ञान
- 11.3 पढ़ने की रणनीति
- 11.4 छात्रों द्वारा टिपण्णी लेखन एवं सारांश लेखन
- 11.5 पढ़ने एवं लिखने के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना
- 11.6 सारांश
- 11.7 शब्दावली
- 11.8 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची
- 11.9 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण साथ ही साथ उपयोगी कौशल (skill) के रूप में एवं बौद्धिक प्रक्रिया (intellectual process) के रूप में पठन- कौशल (reading skill) को ही जाना जाता है। ज्ञानार्जन के दृष्टिकोण इससे बढ़ कर और कोई दूसरा कौशल नहीं है। पढ़ने की ही शिक्षा पर अन्य विषयों का ज्ञान भी निर्भर है। यंहां तक की जीवन अन्य महत्वपूर्ण अध्व्यावसायों को पूर्ण करने के लिए पढ़ाना आवश्यक है। यदि कोई छात्र पढ़ना सीख लेता है तो वह अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों को भी भलीभाँति पढ़ कर सीख सकता है। पठन योग्यता (reading ability) के विकसित होने पर ही बालक की समस्त मानसिक एवं भावात्मक उन्नति (emotional growth) निर्भर है। मानव जाति द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान राशि लिखित रूप में विद्यमान है जिसका उपयोग हम पठन द्वारा ही कर सकते हैं। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि विद्यालय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के

बाद यदि “अजरामरवत प्राज्ञो विद्युमार्थं च चिन्तयेत” का आदर्श का अनुगामी नहीं बनते तो विद्यालय की सारी शिक्षा ही व्यर्थ हो जाती है। विद्यार्थी जीवन के उपरांत यदि कोई विभिन्न विषयों को पढ़ाने का श्रम नहीं करता है तो प्रज्ञावान विद्यार्थी भी प्रज्ञाशून्य हो जाता है। पढ़ाने की योग्यता के आधार पर ही भाषा के अन्य कौशलों (सुनकर समझाने, बोलने और लिखने) की क्षमता का विकास निर्भर है। वस्तुतः शिक्षा का व्यावहारिक रूप पढ़ाना ही है। पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, पत्र – पत्रिकाएँ पढ़ना आदि पढ़ाने का व्यावहारिक रूप है जो इसकी व्यापकता की ही द्योतक है। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पढ़ाना सीखने और उसमें पारंगत होने पर ही किसी भी व्यक्ति के ज्ञानात्मक (cognitive), और भावात्मक विकास निर्भर है।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- पढ़ने के महत्व को समझ सकेंगे।
- पढ़ाने के कौशल के विकास के विभिन्न कौशलों को समझ सकेंगे।
- नोट – बनाने की कला से परिचित हो सकेंगे।
- सारांश लिखने के हुनर एवं आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- पढ़ने एवं लिखने के मध्य के संबंधों को समझ सकेंगे।

11.3 पढ़ने का मनोविज्ञान (The psychology of reading)

पढ़ने के कौशल के अंतर्गत अनेक क्षमताएं निहित हैं। लिपि – प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण तथा उसका सम्बन्ध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का ही नाम पढ़ना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ता है कि वह उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसको पढ़ाना नहीं कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने बिना भाव – ग्रहण किये हुए पढ़ाने वालों की उपमा उस बोझ धोने वाले गदहे से की है, जिसे पीठ पर लदे हुए बोझ का अनुभव तो होता है किन्तु उस बोझ रुपी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। पढ़ना बहुत ही संस्लिस्ट मानसिक क्रिया है। लिपि प्रतीकों को पहचानना एवं उन्हें अर्थ में परिवर्तित कर लेना ही पढ़ना है। प्रारंभिक पठन कार्य में लिपि का ध्वनि में परिवर्तन अर्थात् शब्दों का उच्चारण करना आवश्यक होता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के कौशल में इसी कारण सस्वर पढ़ने का विशेष महत्व है एवं पढ़ाने के यांत्रिक पक्ष (Mechanics of Reading) पर विशेष बल दिया जाता है। किन्तु केवल ध्वनि का परिवर्तन अथवा शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर लेना और उनके अलग-अलग अर्थ समझ लेना ही पढ़ाना नहीं कहा जा सकता। शब्दों के अर्थों का तारतम्य मिला कर पूरे वाक्य का और वाक्यों के अर्थ का तारतम्य मिलाकर जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ ग्रहण कर लेना पठन – प्रक्रिया आवश्यक अंग है। यह कार्य मौन पठन द्वारा अधिक सफलतापूर्वक होता है। आवश्यकता पड़ने पर अनेक अन्वितियों को भी जोड़ना पड़ता है। पठन में आवश्यक तथ्यों का स्मरण और अनावश्यक चोदते हुए सम्पूर्ण अर्थ को मिला कर समग्र रूप से सार ग्रहण अपेक्षित होता है। अर्थग्रहण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों प्रकार के ही बोध आवश्यक होते हैं। इस अर्थ ग्रहण का जीवन में तथा आगामी पठन सामग्री के अध्ययन में प्रयोग करने और इस अर्थ को व्यक्त करने की

योग्यता भी अपेक्षित है। यह तो स्पष्ट है कि बालकों की मानसिक अवस्था तथा बौद्धिक विकास के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति के रूप भिन्न-भिन्न होंगे। समझे हुए अर्थ को यदि बालक व्यक्त न कर सका तो उसका बोध परीक्षण न हो सकेगा और संभावना ये भी है कि उसे ठीक बोध हुआ भी न हो।

मस्तिस्क एवं पढ़ना (Brain and Reading): पढ़ना कोई ऐसी विशेष क्रिया नहीं है जिसे की मस्तिस्क की किसी एक भाग की क्रिया से जोड़ा जाय। पढ़ने की क्रिया मस्तिस्क के किसी एक भाग से नियंत्रित नहीं होती है बल्कि मस्तिस्क में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जिस पर कि पढ़ाने की क्रिया का दारोमदार होता है। विभिन्न शरीर विज्ञानियों का भी यह मानना है कि मस्तिस्क में ऐसी कोई विशेष जगह नहीं है जिसे “पढ़ाने के केंद्र की संज्ञा” दी जाय। जब हम पढ़ाते हैं तो मस्तिस्क के बहुत से हिस्से हैं जो सक्रिय रहते हैं। किसी विशेष तरह की बीमारी या चोट से मस्तिस्क की कार्यविधि प्रभावित हो सकती है जिसके कारण से पढ़ने की क्रिया प्रभावित हो सकती है लेकिन इसके साथ मस्तिस्क की कुछ और भाषा सम्बंधित साधारण क्रियाएँ और दृष्टि सम्बंधित क्रियाएँ भी बाधित होंगी। शोध कर्ताओं ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि पढ़ने को समझने की क्रिया में आँखों की क्रियाओं के साथ-साथ स्मृति, ध्यान या तनाव की स्थिति का भी अध्ययन किया जाना उचित होगा। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पढ़ने की क्रिया कोई ऐसी विशेष क्रिया नहीं है जो कि भाषा को समझने से ज्यादा भाषिक योग्यता आवश्यकता हो।

11.4 पढ़ने के तरीके या रणनीतियाँ (Strategies of Reading)

पढ़ना शुरू करने की योग्यता: कोई भी सामग्री छात्रों को पढ़ाने से पहले कुछ योग्यताओं का विकास आवश्यक है जिससे छात्र मानसिक तथा शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएँ। यही पठनारम्भ योग्यताएँ हैं। इन गुणों का विकास करके छात्र भी भावी जीवन में एक सफल पाठक सिद्ध होंगे। जब विद्यार्थी परिवार से निकलकर एक नये संस्था में प्रवेश करता है जो उसके लिए अपरिचित होती है। विद्यालय के प्रति उसके मन में कई प्रकार की उत्सुकता बनी रहती है। कुछ छात्रों को डर भी रहता है। अतः अध्यापक का कर्तव्य है कि सबसे पहले छात्रों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराये। अनौपचारिक वार्तालाप के द्वारा वह छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करें तथा अध्यापक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार काके उन्हें सीखने के प्रति उत्साहित करें। विद्यालय में थोड़े दिन तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ जिससे छात्र आपस में घुल मिल कर एकरस हो जाएँ। पढ़ाने सामग्री के लिए चित्र, प्लैश कार्ड, वर्णमाला के ब्लाक, चार्ट दिखाकर उन्हें पढ़ने के प्रति उत्साहित किया जाए। इससे भिन्न-भिन्न प्रकार के अभिनय, खेल, बाल-गीत, गीत, कहानियाँ सुनाकर छात्रों को पढ़ने के लिए तैयार करें। बालकों में भाषा ज्ञान के संप्रत्यय, श्रव्यबोध तथा गति-नियंत्रण के लिए भी उन्हें उचित निर्देश दिए जाएँ। इसके साथ-साथ निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए –

1. बाएं से दायें पढ़ने के निर्देश देना।
2. भावानुसार पढ़ने का अभ्यास करना।
3. पुस्तक को ठीक तरीके से पकड़ना सीखना।
4. पुस्तक तथा आँखों के बीच दूरी का ध्यान रखना।

पढ़ने की प्रक्रिया में पाठक का प्राथमिक कार्य भाषा के बाह्य रूप अर्थात् अक्षर, शब्द, वाक्य, और विराम चिन्हों के समवेत रूप को आत्मसात करना है। इसके उपरांत वक्ता, प्रसंग, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार भाव ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया में लिपि चिन्हों के माध्यम से शब्दों की पहचान, विराम चिन्हों के समन्वय से वाक्य के स्वरूप और वक्ता, प्रसंग, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार भावग्रहण की क्रियाएँ शामिल हैं।

पढ़ने के मुख्यतः दो प्रकार हैं

1. व्यक्त अथवा सस्वर पढ़ना

2. मौन रूप से पढ़ना

1. **व्यक्त अथवा सस्वर पढ़ना** : इसे सस्वर वाचन भी कहा जाता है। लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थग्रहण करना ही सस्वर वाचन है। यदि आँखें पाठ्यसामग्री को उचित समय एवं मात्रा में ग्रहण करें, मन तत्परता पूर्वक उसको सहयोग करके बुद्धि से अर्थ – विश्लेषण करा सके, मन बुद्धि के संकेतानुसार उसे उचित वाणी में प्रकट कर सके, तो यह पढ़ने की ठीक क्रिया होगी। याज्ञवल्क्य ने पढ़ने के छः गुणों को आवश्यक बताया है।

माधुर्यमक्षर व्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः

धैर्यं लय समर्थम सडते च पाठकाः गुणाः

टामकिन्सन ने स्वरों के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण पर पढ़ाने की कला में विशेष महत्व दिया है। टामकिन्सन ने कहा है कि ध्वनि का सौंदर्य सुन्दर स्वरों पर निर्भर होता है। ये स्वर व्यांजनों के सांचों में ढले होते हैं जो वाणी को ओज, रस एवं रंग प्रदान करते हैं। “Beauty of tone depends upon good vowels. Vowels are jewels (in a setting of consonants) which give warmth and colour in speech.

मेंजिल ने अपनी पुस्तक “The Teaching of Reading” में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बालकों को केवल दो वर्ष तक सस्वर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। दो वर्ष के उपरांत पढ़ाने संबन्धित सभी अभ्यास मौन रूप से पढ़ने का होना चाहिए। केवल समा- पाठन (audience reading) वाणी परिष्कार (speech improvement) जैसे उच्चारण आदि में सुधार के लिए सस्वर रूप से पढ़ना चाहिए।

2. **मौन रूप से पढ़ना** : सस्वर पढ़ने में दृष्टि, बुद्धि एवं, जिह्वा तीनों का सहयोग रहता है, दृष्टि से लिपि देखा जाता है बुद्धि द्वारा समझा जाता है एवं अर्थग्रहण किया जाता है और जिह्वा से बोला जाता है। किन्तु मौन रूप से पढ़ने में केवल देखना एवं अर्थ ग्रहण करना दो ही क्रियाएँ होती हैं। मौन रूप से पढ़ने में लिपि में निहित अर्थ का मस्तिस्क से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाने से वाणी का माध्यम लुप्त हो जाता है। पढ़ाने की कला का सर्वोत्कृष्ट सफलता सस्वर रूप से पढ़ाने में नहीं बल्कि मौन रूप से पढ़ने में है। व्यक्तिगत जीवन में आनंद एवं उपयोगिता दोनों दृष्टियों से सस्वर रूप से पढ़ना सफल साधन नहीं है। इसी कारण पढ़ने की प्रक्रिया (Process of reading) तथा पढ़ने की यांत्रिकता (Mechanics of Reading) का सम्यक ज्ञान न होने के कारण मौन रूप से पढ़ने का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि वही हमारे लिए अधिक व्यावहारिक सुगम एवं उपयोगी

है | विद्यार्थी जीवन के बाद आजीवन मौन रूप से पढ़ कर ही हम अध्ययन करते हैं वही वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप से पढ़ने की कला है।

पढ़ने के तत्व (Elements of Reading):

पढ़ने के मूल तत्व निम्नलिखित हैं :

1. लेखक के विचारों को पढ़ कर समझना तथा उसका पूर्व में सुने गए सामग्री से तादात्म्य स्थापित करना |
2. पढ़कर शब्दों का संदर्भानुसार भाव ग्रहण करना |
3. ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना |
4. पढ़कर अपनी राय बनाना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना |
5. शब्दों को उचित रूप से विभाजित करके निर्माण की क्षमता का विकास करना |
6. वर्णों की शब्द निर्माण की क्षमता का विकास करना |

पढ़ने के कौशल के उद्देश्य(The Aims of Reading Skill) : छात्र जितना पढ़ने के कौशल का अभ्यास करेगा उतना ही उसका अधिगम प्रभावशाली होगा | अतः पढ़ने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए निम्न उद्देश्य निश्चित किये जा सकते हैं –

1. पढ़े गए वस्तु का केन्द्रीय भाव ग्रहण करना |
2. मुहावरे, लोकोक्तियाँ के अर्थ संदर्भानुसार ग्रहण समझना|
3. पढाते वक्त शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना |
4. सभी वर्णों को पहचान कर पढ़ना |
5. एकाग्रता पूर्वक पढ़ाने की क्षमता का विकास करना
6. वर्णों के मेल से बने शब्दों से वाक्यों को पढ़ना |
7. गति, यति एवं विरामादि चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ने का अभ्यास करना |
8. लिखित सामग्री को प्रवाह के साथ पढ़ना |

अभ्यास प्रश्न

मौन रूप से पढ़ने (Silent Reading) से आप क्या समझते हैं ?

पढ़ने के कौशल के उद्देश्य(The Aims of Reading Skill) की व्याख्या करें |

पढ़ने के तत्व (Elements of Reading) के बारे में बताएं।

11.6 छात्रों द्वारा टिप्पणी लेखन एवं सारांश लेखन (Note making, summary writing by students)

टिप्पणी लेखन एवं सारांश लेखन (Note making, summary writing) भाषा कौशल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में प्रकट करने की कला में निपुण करना है। इसके लिए भाषा ज्ञान के साथ-साथ विश्लेषण एवं संश्लेषण, तर्क – वितर्क एवं विचार तथा निर्णय करने में भी महारथ हासिल होना चाहिए। सारांश लेखन हेतु निम्न चरणों का अनुगमन किया जाना चाहिए –

1. **छात्रों द्वारा यथा सामग्री का मौन पाठन :** सर्प्रथम छात्रों को यथा सामग्री का मौन पाठन करने के लिए कहना चाहिए। मौन पाठन से छात्र उस विषय को ठीक ढंग से समझ सकता है। मौन पाठन करते समय ही कठिन संप्रत्ययों, कठिन शब्दों एवं मूल तथ्यों को रेखांकित करना चाहिए जिससे कि सारांश या संक्षेपीकरण करते समय उन तथ्यों पर विशेष बल दिया जा सके।
2. **शब्दकोष का प्रयोग :** विद्यार्थियों को शब्दकोष देखने भी आना चाहिए जिससे कि वह उसकी सहायता से कठिन शब्दों के अर्थ लिख सके।
3. **पुनः मौन पाठन :** कठिन संप्रत्ययों, कठिन शब्दों एवं मूल तथ्यों को समझने के बाद पुनः मौन पाठन करना चाहिए एवं केन्द्रीय भाव ग्रहण करते हुए तथ्यों का संग्रहण किया जाना चाहिए।
4. **तथ्य विश्लेषण :** उपरोक्त चरणों के पूरा हो जाने के बाद अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के बोध की परीक्षा लेने के उपरान्त यथा अंश का विश्लेषण कर विद्यार्थियों को तथ्यों को छांटने एवं उसके केन्द्रीय भाव को ग्रहण करने में सहायक हो। यथा अंश का शीर्षक निर्धारण हेतु विद्यार्थियों से ही प्रयास करवाना उचित रहता है।
5. **बच्चों द्वारा मौखिक रूप से संक्षेपण :** विद्यार्थियों को सारांश हेतु मौखिक रूप से तैयार करना चाहिए। जो अशुद्धियाँ रह जाँँ उनको भी विद्यार्थियों की ही सहायता से शुद्ध करवाया जाना चाहिए।
6. **लिखित कार्य की जांच :** विद्यार्थियों के लिखित कार्य की जांच सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके आभाव में विद्यार्थियों द्वारा की गयी गलतियाँ पता नहीं चलती हैं।

सारांश लिखने (संक्षेपण) के सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें:

1. सारांश लिखते समय मूल लेख अथवा लेखांश के सभी तथ्य आ जाने चाहिए और सभी अनावश्यक बातें उनसे दूर हो जानी चाहिए।

2. सारांश-लेख में मूल लेख अथवा लेखांश की भाषा नहीं लेनी चाहिए। उसे अपनी भाषा एवं शैली में मूल लेख का सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाषा एवं शैली में प्रवाह अति आवश्यक है। यदि कोई विशेष व्यक्ति की बात मूल लेख में है तो उसे वैसे ही रखा जाना चाहिए।
3. सारांश को क्रमबद्ध रूप से अर्न्तगत भाषा एवं प्रवाहपूर्ण शैली में व्यक्त किया जाना चाहिए।
4. सारांश-लेख मूल लेख से एक तिहाई ही होना चाहिए।
5. सारांश लेख में मूल लेखों पर कोई भी विशेष टिप्पणी करने का अधिकार सारांश लेखक के पास नहीं होता है।
6. पूर्णता एवं स्पष्टता सारांश-लेखन के आवश्यक अंग हैं। संक्षेप लेख लिख कर उसे दया से देख लेना चाहिए और यदि कोई मूल बात छूट गयी हो तो उसे शामिल कर लेना चाहिए। जहाँ कहीं भी अस्पष्टता नज़र आये वहाँ भाषा में परिवर्तन कर यथा भाव को सप्रस्त कर लेना चाहिए।
7. सारांश ज़्यादातर अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कई बार अन्य पुरुष में लिखने बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण बात जिससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है को कोष्ठक में लिखा जा सकता है।
8. सारांश लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे की मूल बात का पूरा अर्थ निकल जाए।

अभ्यास प्रश्न

सारांश लेखन हेतु किन चरणों का अनुगमन किया जाना चाहिए।

सारांश लिखने (संक्षेपण) के सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं ?

टिप्पणी लेखन से आप क्या समझते हैं ?

11.7 पढ़ने एवं लिखने के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना (Making reading writing connection)

भाषा शिक्षण विशेषज्ञों में यह अभी विवाद का विषय है कि बच्चों को पहले पढ़ाना सीखाया जाय या लिखना। पढ़ने एवं लिखने में गहरा सम्बन्ध है क्योंकि जो लोग लिखने की शिक्षा पहले प्रारम्भ करने के समर्थक हैं, उनका कहना है कि लिखना सीख लेने पर बालक पढ़ाना तो अपने आप ही सीख लेता है। अतः पढ़ाने की अलग से शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी ओर केवल पढ़ाने की शिक्षा से बालक को लिखना नहीं आ सकता जब तक कि वह लिखने का अभ्यास ठीक ढंग से न कर ले। पढ़ाते समय एक बार के परिचित अक्षर कुछ जटिल होने पर भी कल्पना, अनुमान एवं प्रसंग की सहायता से पढ़ लिए जाते हैं किन्तु लिखने में अक्षरों की पूरी जानकारी अपेक्षित है। पढ़ाने में अक्षर पहचान लेने पर मस्तिस्क आँखें एवं उच्चारण अवयवों की प्रशिक्षा अपेक्षित है जबकि लिखने में इनके अतिरिक्त हाथ अंगुलियां, लेखनी आदि का भी सामंजस्यपूर्ण सहयोग एवं नियंत्रण आवश्यक है। लिखने में ध्वनि और लिपि का ठीक-ठीक सम्बन्ध आवश्यक है और अक्षरों की आकृति एवं सुडौलता के लिए विशेष अभ्यास भी अपेक्षित है। इस प्रकार लिखने की क्रिया पढ़ाने की क्रिया से कुछ अधिक जटिल है। आधुनिक भाषा वादियों का मानना है कि हमें लिखने एवं पढ़ने की शिक्षा लगभग साथ-साथ ही देनी चाहिए।

मूलतः पढ़ी गयी भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है जबकि इसके विपरीत लिखने की क्रिया के पश्चात् उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पढ़ाने एवं लिखने की शिक्षण प्रक्रिया का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों कौशलों के लिए वर्ण-परिचय आवश्यक है। इन दोनों क्रियाओं में निश्चय ही लिखने की क्रिया कुछ अधिक जटिल एवं उसमें अधिक अभ्यास भी अपेक्षित है। अतः पढ़ाने की शिक्षा कुछ पहले आरम्भ की जा सकती है, उसके कुछ अभ्यास के साथ ही साथ लिखने की शिक्षा भी आरम्भ कर देनी चाहिए।

यह बात प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है लिखित भाषा के माध्यम से उच्चारित भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक ज्ञान क्षेत्र का अवलोकन किया जा सकता है। मौखिक भाषा के द्वारा ज्ञानार्जन का प्रयास वक्ता या व्यक्ति के परिवेश के अनुसार सीमित होता है। यदि हमें सम्पूर्ण ज्ञान मौखिक भाषा के द्वारा अर्जित करना हो तो सभी ज्ञानवान लोगों के सीधे संपर्क में जाना होगा जो लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए लिखित सामग्री के साथ-साथ पढ़ाने की योग्यता का विकास भी अति महत्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न

पढ़ने का हुनर एवं लिखने की योग्यता में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? उदाहरण पूर्वक समझाएं।

पढ़ने एवं लिखने के कौशल में क्या सम्बन्ध है ?

विद्यार्थियों को पढ़ने एवं लिखने के कौशल में किस कौशल का अभ्यास पहले करवाना चाहिए ?

11.8 सारांश

सबसे महत्वपूर्ण साथ ही साथ उपयोगी कौशल (skill) के रूप में एवं बौद्धिक प्रक्रिया (intellectual process) के रूप में पठन- कौशल (reading skill) को ही जाना जाता है। ज्ञानार्जन के दृष्टिकोण इससे बढ़ कर और कोई दूसरा कौशल नहीं है। पढ़ने की ही शिक्षा पर अन्य विषयों का ज्ञान भी निर्भर है। यंहां तक की जीवन अन्य महत्वपूर्ण अध्येत्यावसायों को पूर्ण करने के लिए पढ़ाना आवश्यक है। यदि कोई छात्र पढ़ना सीख लेता है तो वह अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों को भी भलीभाँति पढ़ कर सीख सकता है। पठन योग्यता (reading ability) के विकसित होने पर ही बालक की समस्त मानसिक एवं भावात्मक उन्नति (emotional growth) निर्भर है। पढ़ने के कौशल के अंतर्गत अनेक क्षमताएं निहित हैं। लिपि – प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण तथा उसका सम्बन्ध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेनेका का ही नाम पढ़ना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ता है कि वह उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसको पढ़ाना नहीं कह सकते हैं। भिन्न – भिन्न प्रकार के अभिनय, खेल, बाल-गीत, गीत, कहानियां सुनाकर छात्रों को पढ़ने के लिए तैयार करें। बालकों में भाषा ज्ञान के संप्रत्यय, श्रव्यबोध तथा गति –नियंत्रण के लिए भी उन्हें उचित निर्देश दिए जाएँ। इसके साथ –साथ निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए –

1. बाएं से दायें पढ़ने के निर्देश देना।
2. भावानुसार पढ़ने का अभ्यास करना।
3. पुस्तक को ठीक तरीके से पकड़ना सीखना।
4. पुस्तक तथा आँखों के बीच दूरी का ध्यान रखना।

पढ़ने की प्रक्रिया में पाठक का प्राथमिक कार्य भाषा के बाह्य रूप अर्थात् अक्षर, शब्द, वाक्य, और विराम चिन्हों के समवेत रूप को आत्मसात करना है। इसके उपरांत वक्ता, प्रसंग, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार भाव ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया में लिपि चिन्हों के माध्यम से शब्दों की पहचान, विराम चिन्हों के समन्वय से वाक्य के स्वरूप और वक्ता, प्रसंग, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार भावग्रहण की क्रियाएँ शामिल हैं।

पढ़ने के मुख्यतः दो प्रकार हैं

1. व्यक्त अथवा सस्वर पढ़ना
2. मौन रूप से पढ़ना

11.9 शब्दावली

- **पढ़ना (Reading):** पढ़ने के कौशल के अंतर्गत अनेक क्षमताएं निहित हैं | लिपि – प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण तथा उसका सम्बन्ध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेनेका का ही नाम पढ़ना है | यदि कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ता है कि वह उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसको पढ़ाना नहीं कह सकते हैं |
- **व्यक्त अथवा सस्वर पढ़ना (Loud Reading) :** इसे सस्वर वाचन भी कहा जाता है | लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थग्रहण करना ही सस्वर वाचन है |
- **मौन रूप से पढ़ना (Silent Reading):** मौन रूप से पढ़ने में केवल देखना एवं अर्थ ग्रहण करना दो ही क्रियाएँ होती हैं| मौन रूप से पढ़ने में लिपि में निहित अर्थ का मस्तिस्क से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाने से वाणी का माध्यम लुप्त हो जाता है | पढ़ाने की कला का सर्वोत्कृष्ट सफलता सस्वर रूप से पढ़ाने में नहीं बल्कि मौन रूप से पढ़ने में है |

11.10 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार 2000 (संपादक), हिंदी देशकाल में
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेज 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविचा
- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।
- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, कैंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, वैफब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्युनिक्शन, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉसफिकल डिसकोर्स ऑफ मॉडर्निटी, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमला

- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966
- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।
- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुवेफेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचर्ड्स स.जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, कैब्रिज :कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इंपैफक्ट ऑफ बाइलिंगुलिज्म ऑन इटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 14:25-38
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म, नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद्व), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुवेफेशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- व्योगोत्सकी, एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैफब्रिज, मॉस: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग टी. ई. एस. ओ. एल. त्रौमासिक, 19.1
- इस वेबसाइट को जरूर देखें : <http://www.languageindia.com>

11.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. पढ़ने की क्रिया एवं इसके उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या करें।
2. सारांश लेखन एवं टिप्पणी लेखन में कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ?
3. मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में अंतर स्पष्ट करें।
4. मौन रूप से पढ़ने (Silent Reading) से आप क्या समझते हैं ?

इकाई -12

लिखने की प्रक्रिया, बच्चों के संप्रत्यय को समझने के लिए उनके लेखन का विश्लेषण करना : सीखने एवं समझने के लिए तरीके एवं माध्यम के रूप में उद्देश्यपरक लेखन

(Know how of process of writing, process of analyzing children's writing to understand their conceptions : ways and means of writing with a sense of purpose writing to learn and understand)

इकाई की रूपरेखा

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 लेखन कौशल का अभिप्राय
- 12.4 लिखने की प्रक्रिया
- 12.5 बच्चों के संप्रत्यय को समझने के लिए उनके लेखन का विश्लेषण करना : सीखने एवं समझने के लिए तरीके एवं माध्यम के रूप में उद्देश्यपरक लेखन
- 12.6 सारांश
- 12.7 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची
- 12.8 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना(Introduction)

विद्यार्थी ने जो कुछ पढ़ा, या उसे जो भी ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान का भली-भाँती आत्मीकरण करने के लिए, उसका कुशलतापूर्वक उपयोजन करने की क्षमता का विकास करने, उसकी जांच

करने अथवा प्राप्त ज्ञान के विषय में उसकी अभिव्यक्ति का विकास करने, उसके विकास का मूल्यांकन करने, उसमें मौलिकता की शक्ति का विकास करने अथवा मौलिकता की योग्यता की गति व दिशा का ज्ञान व मूल्यांकन करने हेतु जो कार्य विद्यार्थी को दिया जाता है उसे लिखित कार्य कहा जाता है। हमारे देश में आकादमिक उपलब्धि की सफलता मूलतः लिखने की योग्यता पर ही निर्भर है चूँकि जो बेहतर तरीके से लिख सकता है वही अपने आप को ठीक ढंग से परीक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। लिखना एक तरीके से बात करने के सामान है। जैसे ही हम लिखते हैं हम किसी से बात करते हैं हांलाकि अधिकतर जिससे से हम बात कर रहे होते हैं वह हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है। हम वर्तमान की परिस्थितियों या घटनाओं की याद ताज़ा रखने के लिए भी लिखते हैं। एक अध्यापक को लिखने की शिक्षा ठीक उसी प्रकार देनी चाहिए जैसे की वह बात करने की शिक्षा पा रहा हो। चूँकि जब तक बच्चा स्कूल आता है तब तक वह नए नए वाक्य बनाना सीख चुका होता है हालांकि अभी वह उन वाक्यों का क्रमबद्ध प्रयोग करने में माहिर नहीं होता है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- लेखन कौशल का अभिप्राय स्पष्ट कर सकेंगे।
- लिपि की शिक्षा की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- लिखने की प्रक्रिया का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे।

12.3 लेखन कौशल का अभिप्राय (Meaning of Writing Skill)

भाषा एक कौशल है। इस कौशल पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए विद्यार्थियों में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल का विकास करना ज़रूरी है क्योंकि भाषा का इस्तेमाल दो तरीकों से ही होता है – मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप पर अधिकार करने के लिए सुनना और बोलना तथा लिखित रूप पर अधिकार करने के लिए पढ़ना और लिखना। इन चारों कौशलों को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति जिन ध्वनियों का प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों को जिन विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। देवनागरी हिन्दी भाषा की लिपि है एवं रोमन अंग्रेज़ी भाषा की लिपि है। सामान्य रूप से लिखकरविचारों की अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भाषा के लिखित रूप में प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है।

लिपि की शिक्षा की आवश्यकता (Requirement of Script Writing): बच्चों में लेखन कौशल का विकास करने के लिए लिपि की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह ध्वनियों के पूर्ण

ज्ञान के बिना उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता एवं मुखिक अभिव्यक्ति में पूर्णता नहीं आ सकती, उसी प्रकार लिपि के ज्ञान के बिना विद्यार्थी न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकता है और न ही विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। जब तक विद्यार्थी को लिखना पढ़ना नहीं आता तब तक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार कराने एवं अभिव्यक्ति कौशल को पूरी तरह से विकसित करने के लिए बच्चे को लिपि का पूर्ण ज्ञान देना अति आवश्यक है। लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के महत्व को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं।

1. लिखित भाषा विद्यार्थी के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बना कर रखती है।
2. लिखित भाषा ही साहित्य के भण्डार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कान्हां से आता? यदि लेखन कौशल न होता तो नई-नई रचनाएं कान्हां से आती?
3. आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता परीक्षा है। इसके बिना शिक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेखन-कौशल के द्वारा ही विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है।
4. देश-विदेश में हो रहे ज्ञान-विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही है।
5. व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा ही है। मौखिक रूप से कार्य-व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हर व्यवसाय में तरह-तरह के रिकार्ड आदि लिखकर रखने पड़ते हैं।
6. आज तो लेखन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी मानव जाति का कल्याण कर रहा है अनेक व्यक्ति अपनी लेखनी की कला से ही अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं।
7. अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। लिखाकर हम अपने विचारों को वर्षों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
8. जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केवल मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चल सकता है। दूर रहने वाले मित्र या संबंधी को अपना सन्देश देने, एक दूसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुंचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है।
9. दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर पर दैनिक हिसाब किताब रखने आदि व्यावहारिक कार्यों लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है।
10. शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार तैयार करने, गृहकार्य करने आदि में लिखाण – कौशल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है।
11. हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुंचाया है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी तक भी लिखित भाषा के ही माध्यम से ही हस्तांतरित होती रहेगी।

अभ्यास प्रश्न

लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं ?

लिपि की शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालें |

लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के महत्व को स्पष्ट करें |

12.4 लिखने की प्रक्रिया (Process of writing)

भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम है – सुनना, बोलना और लिखना। भाषा की शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में इन चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को पहले मौखिक भाषा के शिक्षा दी जाती है, उसके पश्चात पढ़ना सीखाया जाता है और उसके तुरंत पश्चात लेखन- कौशल का शिक्षण आरम्भ किया जाता है। जैसे ही बच्चे अक्षरों का उच्चारण कर उनके लिपिबद्ध रूप को पहचानने लगते हैं, वैसे ही इन अक्षरों के लिपिबद्ध रूपों को लिखना सीखना भी शुरू कर दिया जाता है। यह कार्य तभी शुरू किया जाना चाहिए जब बच्चों की उंगलियां कलम पकड़ने की अभ्यस्त हो जाएँ।

लेखन कौशल को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि लिखना शुरू करने से पहले से यह जानना आवश्यक होता है कि बच्चा लिखने के लिए तैयार है या नहीं। यह बात सर्वविदित है कि लिखना सीखना मौखिक या वाचन- कौशल से कठिन होता है। बच्चे को लिखना सीखाने के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करना चाहिए।

१. पेन्सिल से कागज़ पर या चाक से श्यामपट्ट पर तरह- तरह की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराना चाहिए।

२. अध्यापक बालक को कोई बोर्ड पर बड़े अक्षर लिख कर उनके चारों तरफ अंगुली घुमाने का बच्चों से अभ्यास कराये ताकि उनके अंदर का डर दूर हो।

३. तरह – तरह के बीज, दाने, मोती आदि की सहायता से भी खेल –खेल में वर्णों की आकृतियाँ बनाने का अभ्यास कराया जा सकता है।

४. **कक्षा का आकर्षक वातावरण (The attractive environment of Classroom)**– कक्षा के कमरे में आकर्षक रंग – बिरंगे चित्र एवं चार्ट टांगने चाहिए। चार्ट में चित्र, शब्द व वर्ण बने होने चाहिए। कक्षा की दीवारों पर फर्श से २ फुट उन्हें श्यामपट बने होने चाहिए। रंग- बिरंगी चाक राखी होनी चाहिए। इन चार्टों व चित्रों से वर्णों की आकृतियाँ बच्चे के मांस- पटल पर अंकित हो जाती हैं और चाक से वह मनचाही रेखाएं खींचता है तथा चाक पकड़ने का अभ्यास करता है।

इस प्रकार के विभिन्न साधनों व क्रियाओं के माध्यम से बच्चों की उँगलियों की मांसपेशियों को कलम पकड़ने तथा विभिन्न दिशाओं में घुमाने का अभ्यास कराने के पश्चात ही वर्णों की रचना सिखानी चाहिए। इससे पहले बच्चों के लिखना नहीं सीखाना चाहिए।

दूसरी अवस्था(Second Stage) –

वर्णों की रचना सीखना (Learning the shape of the letters) : लेखन कौशल की शिक्षा के यह दूसरी अवस्था है। जब बच्चा लिखना सीखने को तैयार हो जाए तो उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी वर्णों को लिखना सीखाना चाहिए। वर्णों को लिखना सीखाने के कई विधियाँ हैं। अध्यापक इनमें से कोई सी भी विधि को अपना सकता है।

१. **चित्र विधि (Pictorial Method):** वास्तव में लिपि का विकास ही चित्रों के द्वारा हुआ है। वैसे भी बछहा चित्र बनाने में ज़्यादा रुचि रखता है। अतः इस विधि में बच्चों को खेल खेल में ही लिखना सीखा दिया जाता है।

२. **मांटेसरी विधि (Montessori Method) :** श्रीमती मांटेसरी ३ वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे को वर्ण – रचना सीखाने का समर्थन करती हैं। इस विधि में बच्चे को सर्वप्रथम लकड़ी या गत्ते के बने अक्षर दिए जाते हैं और उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है, फिर उनके बीच पेन्सिल चलाने को कहा जाता है। जब उनकी उंगली साध जाती है तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है।

३. **अनुसरण विधि(Imitation Method) :** इस विधि में अध्यापक बच्चे को स्लेट या तख्ती पर पेन्सिल से वर्ण लिख देता है। अब उसे लिखे हुए वर्ण के ऊपर स्याही के साथ कलम चलाते हैं।

४. **रेखा विधि (Line Method):** इस विधि में बच्चे को विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे- खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, अर्द्ध वृत्त, पूर्ण वृत्त आदि। फिर रेखाओं को मिला कर वर्ण रचना सीखाई जाती है।

५. **पेस्टालाजी की रचनात्मक विधि (Constructivist approach of Pestalozzi):** इस विधि में अक्षरों को टुकड़े में विभक्त करके एक –एक टुकड़े की आकृति बनाने का अभ्यास कराया जाता है और फिर सभी टुकड़ों को मिलाकर पूरा अक्षर बनाना सीखाया जाता है। जो अक्षर सरल होते हैं उन्हें पहले बनाना सीखाया जाता है।

तीसरी अवस्था (Third Stage):

शब्दों तथा वाक्यों की रचना की शिक्षा

वर्णों की रचना सीख लेने के पश्चात बच्चे वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात वाक्य लिखना सीखते हैं। लेखन शिक्षण की इस अवस्था में बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय बच्चे में लिखने से सम्बंधित जैसी आदतें विकसित हो जाती हैं, वे आगे भी चलती रहती हैं। अतः इस समय बच्चे को सुन्दर, सुडौल व स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

१. **सुलेख लिखने का अभ्यास कराना** : इस अवस्था में सुलेख लिखने का अभ्यास कराना बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
२. **अनुलिपि** : अनुलिपि का तात्पर्य जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है।
३. **प्रतिलिपि** : प्रतिलिपि किसी भी छपी हुई पुस्तक में से देख- देखकर गद्यांश या पद्यांश लिखा जाता है। इसके लिए अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिलिपि की सामग्री बच्चे के मानसिक स्तर एवं रुचि के अनुसार हो।
४. **श्रुतलिपि** : प्रतिलिपि में बच्चे देखकर लिखते हैं, किन्तु श्रुत लिपि में बिना देखे, सिर्फ सुनकर लिखते हैं। इसमें अध्यापक बोलते जाता है और छात्र सुन-सुन कर लिखते जाते हैं। इससे विद्यार्थियों का सुन कर लिखने का अभ्यास होता रहता है।

चौथी अवस्था – (Forth Stage)

लेखन अभ्यास करना (Practices of Writing) : लेखन कौशल का यह चतुर्थ एवं आखिरी चरण है। अब तक बच्चों को देखकर व सुनकर सुन्दर लेख के ज़रिए सहबद एवं वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाता है। अब बच्चों को देखकर एवं सुनकर सुन्दर लेख के ज़रिए वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाता है। अब बच्चों को अपने भावों व विचारों को तार्किक क्रम में, व्याकरण के अनुसार भाषा का प्रयत्न करते हुए लिखने का अभ्यास करना होता है, जिससे उनमें लेखन कौशल पूरी तरह विकसित हो सके। इसके लिए कक्षा में समय- समय पर लिखित कार्य कराते रहने की कोशिश की जानी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

लिखने की दूसरी अवस्था – वर्णों की रचना का विस्तार से वर्णन करें।

लिखने के लिए तैयार करने की अवस्था का विस्तार से वर्णन करें ?

.....
.....
लिखने की मांटेसरी विधि से आप क्या समझते हैं ?
.....
.....

.....
.....
चित्र विधि की व्याख्या करें ?
.....
.....

12.5 बच्चों के संप्रत्यय को समझने के लिए उनके लेखन का विश्लेषण करना : सीखने एवं समझने के लिए तरीके एवं माध्यम के रूप में उद्देश्यपरक लेखन (Process of analyzing children's writing to understand their conceptions : ways and means of writing with a sense of purpose writing to learn and understand)

जब कभी हम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तब हम विद्यार्थियों में बोलने, सुनने, पढ़ने, और लिखने के कौशल का विकास करने की बात करते हैं | इसके साथ- साथ बच्चों में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से रखने एवं अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करने को प्राथमिकता देते हैं | विद्यार्थी के अंदर जब तक अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से रखने या अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित नहीं होती है तब तक उसका भाषा पर पूरा अधिकार नहीं हो पाता | इसलिए रचना शिक्षण जिसे उद्देश्य परक रचना शिक्षण (Purpose Writing) भी कहते हैं, की आवश्यकता पड़ती है | सामान्यतया मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति दो तरह से करता है- बोलकर (मौखिक रूप में) एवं दूसरा लिखकर (लिखित रूप में) | उद्देश्य परक लेखन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं –

१. उद्देश्यपरक लेखन का ज्ञान
२. लिख कर अभिव्यक्त कर सकने की क्षमता
३. रचना कार्य में मौलिकता लाना

उपर्युक्त तीनों उद्देश्यों की पूर्ति उद्देश्यपरक लेखन के अंतर्गत की जानी चाहिए | यदि आप इन उद्देश्यों को भली-भांति देखेंगे तो यह पता चलता है कि पहले उद्देश्य में हमारा ध्येय रचना कार्य के

विभिन्न रूपों की जानकारी कराना होगा | यह ध्यातव्य है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर इनकी जानकारी स्तारानुकूल ही संभव हो सकेगी |

द्वितीय उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिख कर अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करने की योग्यता को स्थान दिया है | इसमें पत्र, प्रार्थना पत्र, वर्णन, विवरण निबंध, कहानी या अति लघुसंवाद दिए गए हैं | इनकी भी अपनी-अपनी सीमाएं हैं | हमारी परीक्षा प्रणाली मूलतः लिख कर अभिव्यक्त कर सकने की क्षमता पर निर्भर है | जिसकी लेखन शैली जितनी अच्छी है वो अपने आप को उतना ही योग्य सिद्ध कर पाता है | उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरण, डायरी, लेख, निबंध आदि विभिन्न तरह के उद्देश्यपरक लेखन लिख कर अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता पर ही निर्भर हैं |

मौलिकता लाने के सम्बन्ध तीसरा उद्देश्य, उद्देश्यपरक लेखन के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है | इससे पूर्व हम निबंधादी के अंतर्गत प्रायः रटी – रटाई बातें ही देखा या जांचा करते थे, परन्तु आज के युग में यह आवश्यक हो गया है कि छात्र इस विषय में मौलिकता का परिचय दे | जब हम मौलिकता की बात करते हैं तो इसका अर्थ आप को यह नहीं लेना चाहिए कि इस स्तर पर छात्र को एक लेखक ही बना दें | यहां इसका अभिप्राय उसमें मौलिकता की उद्भावना करना होगा | जो कुछ वह लिखे उसमें उसके अपने अनुभव की बात उसके अपने ढंग से आनी चाहिए | उसकी भाषा अपनी हो उसके भाव अपने हों | इस विषय में एक बात महत्वपूर्ण और भी है जिसका वर्णन करना यहां उचित होगा | मौलिकता का अर्थ असंबद्ध, अप्रासंगिक या क्रमरहित लेखन से कदापि नहीं है | इसका अर्थ विचारों, अनुभवों या शैली की मौलिकता है, किन्तु विषयांतर कदापि नहीं | इतना होते हुए भी आप बहली-भांति जानते हैं कि प्रारम्भ में विद्यार्थी अप्रासंगिक, क्रमहीन बातें तो लिखेगा ही, अतः इस परिस्थिति में प्रयास धैर्य, स्नेह व सहानुभूतिपूर्वक सहयोग की वृत्ति ही अपनानी होगी |

बच्चों के संप्रत्यय को समझने के लिए उनके लेखन का विश्लेषण करना (Process of analyzing children's writing to understand their conceptions): सामान्यतया बच्चों के लेखन शैली को विकसित करने के लिए कुछ निर्धारित विषयों पर ही लिखने के लिए दिया जाता था किन्तु अब स्वतंत्र लेखन को प्रधानता दी जाती है | जब बच्चा स्वयं से कुछ लिखने के लिए चुनता है तो वह उस विषय के साथ न्याय कर पाने में सफल हो पाता है | बच्चे के लेखन से बच्चों के संप्रत्यय के बारे में भी आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है | लेखन उनके संप्रत्यय निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है | बच्चे अपने आस-पास बहुत सी बातें देखते हैं और उन्हीं के आधार पर वे उन विशेष चीजों के बारे में धारणा का निर्माण करते हैं |

अभ्यास प्रश्न

उद्देश्यपरक लेखन से आप क्या समझते हैं ?

उद्देश्यपरक लेखन के उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

रचना कार्य में मौलिकता लाना से आप क्या समझते हैं ?

लिख कर अभिव्यक्त करने योग्यता से आप क्या समझते हैं ?

12.6 सारांश

हमारे देश में आकादमिक उपलब्धि की सफलता मूलतः लिखने की योग्यता पर ही निर्भर है चूँकि जो बेहतर तरीके से लिख सकता है वही अपने आप को ठीक ढंग से परीक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। लिखना एक तरीके से बात करने के सामान है। जैसे ही हम लिखते हैं हम किसी से बात करते हैं हालांकि अधिकतर जिससे से हम बात कर रहे होते हैं वह हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है। हम वर्तमान की परिस्थितियों या घटनाओं की याद ताज़ा रखने के लिए भी लिखते हैं। एक अध्यापक को लिखने की शिक्षा ठीक उसी प्रकार देनी चाहिए जैसे की वह बात करने की शिक्षा पा रहा हो। चूँकि जब तक बच्चा स्कूल आता है तब तक वह नए नए वाक्य बनाना सीख चुका होता है हालांकि अभी वह उन वाक्यों का क्रमबद्ध प्रयोग करने में माहिर नहीं होता है। भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम है – सुनना, बोलना और लिखना। भाषा की शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से

ही बच्चों में इन चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है | बच्चों को पहले मौखिक भाषा के शिक्षा दी जाती है, उसके पश्चात पढ़ना सीखाया जाता है और उसके तुरंत पश्चात लेखन- कौशल का शिक्षण आरम्भ किया जाता है | जैसे ही बच्चे अक्षरों का उच्चारण कर उनके लिपिबद्ध रूप को पहचानने लगते हैं, वैसे ही इन अक्षरों के लिपिबद्ध रूपों को लिखना सीखना भी शुरू कर दिया जाता है | यह कार्य तभी शुरू किया जाना चाहिए जब बच्चों की उंगलियां कलम पकड़ने की अभ्यस्त हो जाएँ |

12.7 अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, पी. और संजय वुफमार 2000 (संपादकग), हिंदी देशकाल में
- चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं।
- चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेजेस 35.1.26-58
- चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविचा
- चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।
- चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, कैंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
- चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
- चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, वैफब्रिज, मास: एम. आई. टी।।
- दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
- हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्युनिक्शन, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉसफिकल डिस्कॉर्स ऑफ मॉडर्निटी, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।
- कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमला।
- शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966

- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।
- पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुवेफेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।
- रिचर्ड्स स.जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, कैम्ब्रिज :कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सायर, डी. 1924, दी इंपैफक्ट ऑफ बाइलिंगुलिज्म ऑन इटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 14:25-38
- श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म, नयी दिल्ली, मनोहर।
- तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद्व), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
- यूनेस्को, 2003, एजुवेफेशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।
- व्योगत्सकी, एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैफब्रिज, माँस: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग टी. ई. एस. ओ. एल. त्रैमासिक, 19.1
- इस वेबसाइट को जरूर देखें : <http://www.languageindia.com>

12.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. लिपि की शिक्षण की आवश्यकता एवं लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालें।
2. उद्देश्य परक लेखन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें।
3. लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के महत्व को स्पष्ट करें।